C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXXV, Fourteenth Session, 2013/1935 (Saka)
No. 12, Saturday, August 24, 2013/Bhadrapada 02, 1935 (Saka)

SUBJECT	PAGES
PAPERS LAID ON THE TABLE	2
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	3
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 34th and 35th Action Taken Reports	4
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 13th Report	4
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 22nd Report	4
BUSINESS OF THE HOUSE	5-10
SUBMISSION BY MEMBERS	11-19
(i)Re: Need to extend assistance to family of Arjuna Award Winner Makhan Singh who are in pitiable conditions	11-13
(ii) Re :Gang rape of a photo journalist in Mumbai	15-19
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Notice of Question of Privilege	20

MATTERS UNDER RULE 377 31-45

(i) Need to provide stoppage of important trains at railway stations at Hinganghat, Chandur, Dhamangaon and Sindhi in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra.

Shri Datta Meghe 31-32

(ii) Need to provide full wages to the workers engaged in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Tiruvannamalai district, Tamil Nadu.

Shri M. Krishnasswamy 32

(iii) Need to provide job to one member of every family whose land has been acquired by Konkan Railways.

Shri Nilesh Narayan Rane 33

(iv) Need to set up a hospital in Pratapgarh Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh alongwith a separate hospital for T.B. patients.

Rajkumari Ratna Singh 34

(v) Need to allocate adequate funds for infrastructural development in Special Economic Zone (SEZ) at Nanguneri, Tamil Nadu.

Shri S.S. Ramasubbu 35

(vi) Need to increase the frequency of local trains from Pune to Lonavala and Shuttle Service from Pune to Daund in Maharashtra and to introduce a direct train on Lonavala-Pune-Daund route.

Shri Suresh Kalmadi 36

(vii) Need to ensure speedy trial of persons apprehended on terrorist charges.

Shri P.L. Punia 37

(viii) Need to include floods due to heavy rains in the category of National Calamity and to provide all round assistance to the flood-affected people of Vidarbha region, Maharashtra.

Shri Sanjay Dhotre 38

(ix) Need to delegate power to Government of Gujarat to grant Indian citizenship to migrant Pakistani Hindus settled in Gujarat.

Shri Harin Pathak 39

(x) Need to set up a University for minority community in Sambhal Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

Dr. Shafiqur Rahman Barq 40-41

(xi) Need to open Import-Export Office on Indo-Nepal border at Valmiki Nagar in Bihar.

Shri Baidyanath Prasad Mahto 41A

(xii) Need to set up one of the proposed five Universities providing for admission of 50% students of minority community in Vellore Parliamentary Constitutency, Tamil Nadu.

Shri Abdul Rahman 42

(xiii) Need to provide adequate health care facilities in Attapady tribal area in Palakkad district, Kerala.

Shri M.B. Rajesh 43

(xiv) Need to lift ban on the use of mercury, lead and other contents in the manufacture of Ayurvedic medicines in the country.

Shri Rudramadhab Ray 44

(xv) Need to expedite conversion of railway line between Chhapra in Bihar to Kaptanganj in Uttar Pradesh into broadgauge.

Shri Prabhunath Singh 44

(xvi) Need to take immediate necessary measures to normalize the situation in Sikkim facing the serious problem of socio-economic blockade by people in favour of a separate state.

Shri Prem Das Rai 45

GOVERNMENT BILLS - Passed

(i)GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL, 2012 46-83

Motion to Consider 46-82

Shri R.P.N. Singh 46-47, 80-83

Shri Kirti Azad 48-50

Shri Jagdambika Pal 51-54

Shri Shailendra Kumar 55-56

Shri Sharad Yadav 56-59

Prof. Saugata Roy 60-63

Sk. Saidul Haque 64-65

Shri Tathagata Satpathy 66-68

Shri S. Semmalai 69-70

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 71-73

Shri Dara Singh Chouhan	74
Shri Prabodh Panda	75-76
Shri Ajay Kumar	77
Shri Tarun Mandal	78-79
Clauses 2 to 4 and 1	82
Motion to Pass	83

(ii)CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2012 84-144

Motion to Consider	84-141
Shri Virender Kashyap	84-91
Shri P.L. Punia	92-95
Shri Shailendra Kumar	96-98
Dr. Baliram	99-101
Shri Bhudeo Choudhary	102-103
Prof. Saugata Roy	104-107
Shri Sakti Mohan Malik	108-109
Shri Mohan Jena	110-111
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	112-115
Shri Sanjay Singh Chauhan	116-117
Shri Prabodh Panda	118-120
Shri S.D. Shariq	121-124
Shri Asaduddin Owaisi	125-128
Shri Ajay Kumar	124-25
Shri Virendra Kumar	129-130
Shri R. Dhruvanarayana	131-132
Kumari Selja	133-134
Clauses 2,3 and 1	141-144
Motion to Pass	144

(iii)CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL,2012	145-211
Motion to Consider	145-208
Shri V. Kishore Chandra Deo	145-146, 196-207
Shri Sohan Potai	147-151
Shri Raghuveer Singh Meena	152-156
Shri Shailendra Kumar	157-159
Shri Dara Singh Chauhan	160-161
Prof. Saugata Roy	162-164
Shri P. Karunakaran	165-167
Shri Mohan Jena	168-169
Shri J.M. Aaron Rashid	170-171
Shri M. Anandan	172-173
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	174
Shri Prabodh Panda	175-178
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	179-181
Shri S.D. Shariq	182-185
Shri Ajay Kumar	186-187
Chaudhary Lal Singh	188-189
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	190-192
Shri Prem Das Rai	193-194
Shri Charles Dias	195
Clauses 2 and I	208-210
Motion to Pass	211

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Satpal Maharaj

Shri Jagdambika Pal

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Saturday, August 24, 2013/Bhadrapada 02, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table. Shri Paban Singh Ghatowar.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Shri E. Ahamed, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2012-2013.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2012-2013.

(Placed in Libray. See No. LT 9560/15/13)

(2) A copy of the Indian Council of World Affairs; Director-General and other Officers and Employees (Salaries and Allowance) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 79(E) in Gazette of India dated 9th February, 2012 under Section 27 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 284(E) dated 3rd May, 2013.

(Placed in Libray. See No. LT 9561/15/13)

11.01 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2013 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd August, 2013."

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2013, as passed by Rajya Sabha on the 22nd August, 2013.

---

* Laid on the Table.

11.01¼ hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
34th and 35th Action Taken Reports

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to present the Thirty-fourth and Thirty-fifth Action Taken Reports (English and Hindi versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

11.01 ½ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
13th Report

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अध्यक्षा जी, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.01¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
22nd Report

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I beg to present the 22nd Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 20th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2013-14.

11.02 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 26th of August, 2013, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Further discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the National Food Security Ordinance, 2013 and further consideration and passing of the National Food Security Bill, 2013;

3. Discussion on the Statutory Resolutions seeking disapproval of the following Ordinances and consideration and passing of the Bills related to these Ordinances:-

   (a) The Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2013;
   (b) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Ordinance, 2013;

4. Consideration and passing of the following Bills: -
   a. The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011;
   b. The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011;
   c. The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012;
   d. The Nuclear Safety Regulatory Authority Bill, 2011;
   e. The Regional Centre for Biotechnology Bill, 2011;
   f. The Rajiv Gandhi National Aviation University Bill, 2013;
   g. The Right to Information (Amendment) Bill, 2013; and

h. The Piracy Bill, 2012.

5. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-

a. The Citizenship (Amendment) Bill, 2013;
b. The National Waterway (Lakhipur Banga Stretch of Barak River) Bill, 2013;
c. The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2013; and
d. The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2013.

6. Consideration of amendments made by Rajya Sabha in the Wakf (Amendment) Bill, 2010, as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha.

अध्यक्ष महोदया : डॉ. वीरेन्द्र कुमार - उपस्थित नहीं।

डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण। क्या आप अपनी सीट पर हैं?

एक अन्य माननीय सदस्य : आज आप इन्हें यहीं से बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : इस बात को माननीय सदस्य तो कहें। सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन वे नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें यहां से बोलने के लिए अलाऊ किया जाए।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. शराब के कारण युवा पीढ़ी बरबाद हो रही है। गरीब और गरीब बन रहे हैं तथा महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। अतः देश की भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सख्ती से नशाबंदी लागू करने का काम किया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में एक भी सरकारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है जिसके कारण युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है। अतः युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकारी उद्योग स्थापित किए जाएं।

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत जैतारण जो कि एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चों की शिक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने की कृपा करे।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोकसभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए।

1. बिहार राज्य के खगड़िया जिला में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से मात्र पांच प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया है। शीघ्र सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाए।

2. बिहार राज्य के खगड़िया जिला में केंद्रीय एजेंसी एन.बी.सी.सी. द्वारा दर्जनों सड़कों का निर्माण 20-25 प्रतिशत तक करके छोड़ दिया गया है। आम लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुस्मिता बाउरी - उपस्थित नहीं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय - उपस्थित नहीं।

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): The following two subjects may be included in the Government Business for the week commencing on 26.08.2013:

(a) Need to remove the shortage of land in Delhi by altering the land use under the Master Plan; … (*Interruptions*)

(b) Need to make Yamuna River flowing through Delhi pollution-free.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I want to suggest the following subjects for discussion in the House. Hence, the following two subjects may be included in the Government Business for the week starting on 26.08.2013:

(a) In the face of a stern stand taken by the Government of West Bengal that there can be no Gorkhaland and division of West Bengal, the agitating Gorkha Janmukti Morcha (GJM) has called for an indefinite strike in the hills. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Prof. Saugata Roy, आप दिए गए विषय को पढ़िए। Do not go into the details.

PROF. SAUGATA ROY : I am reading from the notice that I had given. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have to just read out the topic.

PROF. SAUGATA ROY : What I had given in the notice is only the topic.

MADAM SPEAKER: You have to only read out the subject. आप विस्तार में क्यों जा रहे हैं?

PROF. SAUGATA ROY : I have given a notice under Bulletin Part II. I am only reading the contents of the notice which I had given, which has been approved and supplied to me. I am only reading from that, Madam.

MADAM SPEAKER: But the practice is you have to read out only the subject.

PROF. SAUGATA ROY : The following two subjects may be included in the Government Business for the week starting on 26.08.2013:

(a) The assurance to be given by the Union Government to the State Government of West Bengal in maintaining law and order in the State following Gorkhaland agitation in the State;

(b) Steps to be taken by the Government to check rupee devaluation.

अध्यक्ष महोदया : श्री राकेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : अध्यक्ष महोदया, पूर्वांचल क्षेत्र में इस वर्ष भारी मानसून के कारण काफी तबाही हुई है। घाघरा नदी की बाढ़ के कटाव के कारण जनपद संत कबीर नगर के दो गांव घाघरा नदी में विलीन हो गये हैं। गांव के लोगों को पुनर्वास तथा आर्थिक सहायता देने की अति आवश्यकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतने विस्तार में क्यों जा रहे हैं? जो विषय है, वही पढ़ दीजिए। जो लिखा है, वही पढ़ दीजिए। विस्तार में मत जाइए। लिखा हुआ विषय पढ़िए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Rakesh Singh – not present.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : मैडम, मैं वही पढ़ रहा हूं। कई गांव कट गये हैं। इसको अगले सप्ताह की चर्चा में शामिल करने की कृपा करें। बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियां इन्सेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया इत्यादि के प्रकोप से काफी लोगों के मरने की आशंका है। अत: यहां पर मेडिकल सहायता की अति आवश्यकता है। प्रदेश सरकार मेडिकल तथा आर्थिक सहायता देने में विफल रही है। अत: इस सन्दर्भ में अगले सप्ताह में इस विषय को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए। छतरपुर, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किये जाने वाले थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट हेतु जमीन अधिग्रहण का काम किया जा चुका है। एनटीपीसी की सेवा शीघ्र की जानी चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हेतु मध्य प्रदेश शासन ने जमीन देने की स्वीकृति दे दी है। छतरपुर टीकमगढ़ में पर्याप्त संसाधन भी हैं। अत: केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना छतरपुर, टीकमगढ़ में से किसी भी स्थान पर की जानी चाहिए।

11.12 hrs

SUBMISSIONS BY THE MEMBERS

(i)Re:Need to extend assistance to family of Arjuna Award Winner Makhan Singh who are in pitiable condition

MADAM SPEAKER: Now, we will take up 'Zero Hour'. Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही कष्टदायक विषय इस सदन में उठाना चाह रही हूं। मेरे जीवन में पिछले दो दिनों में एक बड़ा ही अजीब संयोग बना। परसों शाम को मैंने एक फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' देखी। फिल्म बहुत ही प्रभावकारी बनी है और फिल्म को देखने के बाद मुझे यह लगा कि खेल की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितने परिश्रम और कितनी साधना करनी पड़ती है। मेरा मन उत्साह से भरा हुआ था। मैंने ट्विटर पर लिखा कि यह फिल्म हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणा प्रदान करेगी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कल शाम को एक टी.वी.चैनल पर मुझे एक दूसरा दृश्य देखने को मिला। ज़ी न्यूज चैनल ने कल दिखाया कि सरदार मक्खन सिंह जी जो अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं और केवल अर्जुन अवार्ड ही नहीं, बल्कि देश के सबसे तेज धावक फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह को जिन्होंने हराने का काम किया था, उनकी विधवा कल टी.वी.पर रोते हुए पंजाबी मे कह रहीं थीं, "मेरे कोल रोटी नहीं है। मेरे पास रोटी नहीं है।" वह मेडलों का ढ़ेर लगा कर बैठीं थीं कि मैं इन्हें नीलाम करना चाहती हूं। कोई खरीदार आए और इनको मुझसे खरीदकर ले जाए। उसके बाद उन्होंने जो एक वाक्य कहा कि सरदार जी हमेशा कहते थे "खिलाड़ी मत बनना। उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि खेल ने मुझे क्या दे दिया जो तुम्हें मिलेगा और उन्होंने कहा कि इसलिए उनके बेटे, पोते कोई खेल में नहीं गये।"

अध्यक्ष जी, मेरा सारा उत्साह मर गया। मेरा मन बुझ गया और् उसी समय मैंने तय किया कि मैं आपकी अनुमति से इस विषय को सदन में उठाऊंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि सरकार का खेल मंत्रालय तुरंत इस परिवार से सम्पर्क साधे और किस तरह सम्मान से वह परिवार गुजर-बसर कर सकता है, इसके बारे में प्रबन्ध करे। लेकिन मैं इस प्रसंग से एक सूत्र पकड़ना चाहती हूं। यह एक अकेले मक्खन सिंह जी की कहानी नहीं है। हर रोज मीडिया खोज-खोजकर कभी प्रिंट में, कभी इलैक्ट्रॉनिक में ऐसे लोगों की दुर्दशा की कहानियां बताता रहता है।...(व्यवधान) चंड़ीगढ़ में भी।...(व्यवधान) मैं पूरे देश की बात कह रही हूं। आर्चरी खेल की लड़की जो झारखंड में थी, उसके बारे में मीडिया में आया। हर रोज आता है। मैं कहना चाहती हूं कि खेल मंत्रालय एक नीति बनाए ताकि जितने पुरस्कार

विजेता हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाए कि किस पुरस्कार को प्राप्त किए हुए खिलाड़ी को कितनी पेंशन देनी है, उनके बाद उनके परिवार को कितनी पेंशन देनी है, उनके घर में क्या रोजगार देना है। इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा देश अगर अपने देश के इन राष्ट्र नायकों को संभाल नहीं सकता है तो हम पर लानत है। हमें शर्म आनी चाहिए। ये हमारे नायक हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी की प्रेरणा है। इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कहानियां उभरकर आएंगी तो केवल मन ही दुखी नहीं होगा बल्कि आगे कोई खेल जगत में जाने से भी रुक जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस परिवार से तुरंत संपर्क किया ही जाए। हमारे यहां अलग-अलग पुरस्कार दिए जाते हैं इसलिए एक नीति खेल मंत्रालय द्वारा बननी चाहिए जिसमें चाहे अर्जुन पुरस्कार या खेल रत्न विजेता हो, हर पुरस्कार को श्रेणीबद्ध करके सरकार उनके परिवारों को संभालने का काम करे। यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है इसलिए मैं चाहूंगी कि पूरा सदन मेरी इस अपील के साथ अपने आपको जोड़कर सरकार से अनुरोध करे।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बीजू, श्री शिवकुमार उदासी, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री प्रहलाद जोशी, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल, श्री शिवराम गौंडा, श्री धनजंय सिंह, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री निशिकांत दुबे, श्री पी.एल. पुनिया, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सोहन पोटाई, श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहान को संबद्ध किया जाए।

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुषमा जी की बात का आपने भी और सदन ने सम्मान किया है, यह बहुत प्रेरणादायक बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ने जो बात सदन के सामने रखी है, पूरा सदन इस बात से सहमत है और आपकी तरफ से भी तालियां बजी हैं इसलिए इस बारे में सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि खेल मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में कुछ बताएं।

* Not recorded.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): Madam, of course, the Government is going to take steps in this to formulate a policy. But as Shrimati Sushmaji was speaking, the Petroleum Minister informed me that his Federation of Sports of the Petroleum Companies will immediately extend relief to Shri Makhan Singhji's family. The Government will formulate a policy so that not only the problems of those who are in distress will be resolved but also it gives an inspiration to youth to be able to come into the world of sports.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, बिहार, उत्तर प्रदेश और अगल-बगल के राज्यों के कुछ हिस्से सुखाड़ से तबाह हैं, किसानों में तबाही मची हुई है। कुछ हिस्से बाढ़ से तबाह हो गए, सुखाड़ से तबाह हो गए, यही नहीं किसान सरकार से भी तबाह हैं। कोई मदद नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उपचार नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि केंद्र सरकार सजग हो। राज्य में अपनी टीम भेजकर देखे की क्या बर्बादी बाढ़ और सुखाड़ से हुई है, कैसे सहायता हो सकती है, उनको कैसे बचाया जा सकता है। इसका उपचार किया जाए नहीं तो बहुत भयानक स्थिति आ सकती है। एक साथ बाढ़, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा से किसानों की तबाही हो गई। वहां के लोग तबाह हो गए हैं, बेरोजगारी हो गई है। किसानों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कोई मददगार नहीं है। किसानों की गांव में यही हालत है। प्राकृतिक आपदा के लिए कोई इंतजाम नहीं है और इस वजह से बड़ा भारी असंतोष है। उनकी कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है, कोई लिखापढ़ी नहीं हो रही है, कोई टीम नहीं जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि बिहार के उत्तर बिहार में गंगा नदी में बाढ़ आ गई है और बाकी की जगहों में सुखाड़ है। वर्षा नहीं हुई है, नगण्य वर्षा हुई है और इसी कारण धान का रोपण भी नहीं हो पाया है। पंपिग सैट चलाकर कुछ किसानों ने किसी तरह मेहनत की है लेकिन सूखा हो गया। सावन चला गया, भादों आ गया और वर्षा भी नहीं हुई है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं कि वह कोई संतोषजनक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदया :श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ डॉ. संजय जायसवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री हुक्मदेव नारायण यादव को संबद्ध किया जाए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, हाल ही में वहां प्राकृतिक आपदा आई, बड़ी भीषण आपदा आई...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट आप बैठ जाइये और इन्हें बोलने दीजिए।

श्री सतपाल महाराज : वहां बहुत ज्यादा लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गये। मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के पांच जिलों में बहुत ही भयंकर आपदा आई, जिसमें रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, कालीमठ, जाल चौमासी, बक्सीर बांगर, रासी, गोंडार तथा चमोली जिले में गोविंदघाट, पांडुकेश्वर, थराली घाट, नारायण बगड़, उर्गम, लोहागंज, उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी,

गंगोरी, भटवारी, हर्षिल और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, जौलजीवी, मदकोट, बालुवाकोट, तवाघाट तथा बागेश्वर जिले में कपकोट आदि क्षेत्र आपदा से गंभीर रुप से प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 1700 गांव आपदा के कारण समाप्त हो चुके हैं और चार हजार गांव आपदा से भयंकर रूप से प्रभावित हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि फिर से उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए भूमि चिह्नित की जाए। आज वहां के लोग आसमान के नीचे, तारों के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऊपर से वर्षा पड़ रही है। हाल ही में अब बर्फ पड़नी शुरू हो जायेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर सहायता पहुंचाई जाए, सुदूर के गांवों में खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, अनाज आदि पहुंचाया जाए, जिससे कि वहां के लोग भुखमरी के कगार पर न पहुंच पाएं और उसके साथ-साथ ऐसी भूमि चिह्नित की जाए जिससे कि ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट दे, ताकि वहां फिर से उनके गांव बन सकें, उनके मकान बन सकें।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा -

"मेरे वतन की बहार जवान होने दो, महान है मेरा भारत महान होने दो,
किसी को सींच रहे हो, किसी पर पानी बंद, तमाम खेतों की फसलें समान होने दो,
गुबार दिल का, गर्दों से ख्याल दूर करो, नई जमीन नया आसमान होने दो,
सुभाष, गांधी, जवाहर की रूह भी यही कहती है, तमाम देश को एक खानदान होने दो।"

अध्यक्ष महोदया : यह तय हो चुका है कि नियम 193 में सबसे पहले चर्चा इसी पर होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): पूरी चर्चा होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हां, पूरी चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल.पुनिया अपने आपको श्री सतपाल महाराज जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं। श्री गोपीनाथ मुंडे, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Madam, please allow me to speak.

अध्यक्ष महोदया : जयाप्रदा जी, आपका नोटिस नहीं है, I do not know what you want to speak on.

श्रीमती जयाप्रदा : मैंने सुबह नोटिस दिया था। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Then you should have told me. Your notice is not here. Submitting notice is not enough, it should come here.

श्रीमती जयाप्रदा : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : आपने किस विषय पर नोटिस दिया है, आपका विषय क्या है?

श्रीमती जयाप्रदा : महोदया, मुम्बई में जो गैंगरेप हुआ है, मैं उस पर बोलना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : हां, वह बोल रहे हैं। मुंडे जी, इसी पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं, आपको भी बुलवा देंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, इसी पर बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have given time for this very subject. Mundeji is raising it.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदया, मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, आप बहुत देर से खड़े हैं।

11.25hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS ….Contd.

(ii)Re: Gang-rape of a photo journalist in Mumbai.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): स्पीकर महोदया, मैं आपका आभारी हूं, 22 तारीख को मुम्बई शहर में महिला जर्नलिस्ट अपने असाइनमैन्ट पर गई थी, उसके साथ एक अन्य सहयोगी भी था। उस महिला जर्नलिस्ट पर चार लोगों ने रेप किया और आज जसलोक हास्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। …(व्यवधान) उसमें से एक या दो लोग पकड़े गये हैं। …(व्यवधान) हमारी मांग है कि इसके लिए सरकार बयान दे। इन लोगों को तो पकड़ लिया गया। लेकिन पुणे जिले के दौंड में एक छोटी बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल जाती थी, उस पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसका कोई हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बीती रात ही उसे नेवी में अपाइंटमैन्ट मिला था, रेलवे स्टेशन पर उसके चेहरे पर पर तेजाब फेंका गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गत वर्ष एक आईएएस ऑफिसर की बेटी ऊंचे टावर में रहती थी, उस पर अत्याचार हुआ, उसकी भी हत्या हुई। मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं और आप बोल रहे हो कि एक को पकड़ा तो सब कुछ ठीक हो गया।…(व्यवधान) निर्भया के बाद मुम्बई और विशेषतः महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने गत साल जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहे हैं। बीते एक महीने में ऐसी चार घटनाएं हुई हैं। …(व्यवधान) मैं आपसे अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र में गिरती एवं बिगड़ती हुई लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति के लिए केंद्र सरकार रिपोर्ट मंगाए और केंद्रीय मंत्री भी इस सदन में इसके बारे में बयान दें।

महोदया, निर्भया फण्ड बनाया गया था। महिलाओं के प्रति अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सारी संसद जाग उठी थी। सारा देश जाग उठा था और यहां संकल्प किया गया था कि निर्भया जैसे और किसी को यह सहना न पड़े। लेकिन क्या हो रहा है? उसके बाद महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार कम नहीं हुए हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने निर्भया फण्ड में एक हज़ार करोड़ रूपये की राशि देने की घोषणा की थी। एक साल हो गया है, लेकिन निर्भया फण्ड में एक रूपया भी जमा नहीं है। संसद ने जो वादा किया, क्या वह वादा आपने नहीं निभाया? इसके बारे में क्या सच्चाई है? सदन वह भी जानना चाहता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, इनसे अपेक्षा नहीं करता हूँ। आपसे अपेक्षा करता हूँ कि निर्भया फण्ड के बारे में और महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति बढ़ते अन्याय और अत्याचार के बारे में केंद्र सरकार इस सदन में बयान दे और इस पर सदन में भी चर्चा हो। यह मेरी मांग है। आपसे अपेक्षा है कि आप इसके बारे में निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री पी.के.बिजू, श्री एम.बी.राजेश, श्री प्रहलाद जोशी, श्री शिवराम गौड्डा एवं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल स्वयं को गोपीनाथ मुंडे जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Prof. Roy, you may associate yourself with this issue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do not disturb. It is going on so-well, do not disturb.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग ऐसे मत कीजिए। क्या अब बारी-बारी से हरेक पूछेगा कि हमारे नोटिस का क्या हुआ? I am coming to the notices given by every hon. Member.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय जी, आप इस पर अपने को एसोसिएट कर लीजिए।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): On this issue?

MADAM SPEAKER: Yes, you have given a notice on this issue, is not it?

PROF. SAUGATA ROY : Yes, Madam. I have given notices on both Adjournment Motion and for the 'Zero Hour', regarding the rape of a helpless photojournalists in Mumbai, in the campus of Mahalakshmi Mills by five persons; though two persons have been arrested, what is needed is an early justice because we know that the accused in the Delhi gang rape case have not yet been punished. So, even after the Parliament passed such a severe law against sexual offences, it seems that the culprits are not being deterred from carrying on their nefarious activities and wherever it happens, we condemn the same. … (*Interruptions*) In West Bengal, we are more sensitive and you need not lecture us on that. We are more sensitive and everybody has been arrested in every incident in West Bengal.

Madam, again, I would bring it to the notice of the House that the situation is very terrible and everybody who has a girl child in the family is afraid of sending the girl out, especially after dark, if it can take place in the commercial Capital of the country, that too in the day-light hours, I do not know whether the law or the law enforcing agencies are being able to bring fear in the minds of the potential culprits. I also feel that there should be stricter control on illegal alcohol and drugs, because most of these crimes that are committed by people are under the influence of alcohol and drugs.

---

* Not recorded.

I again urge that strong action and quick justice be done in the case of the gang rape in Mumbai city.

MADAM SPEAKER: Dr. Ratna De, Shrimati Shatabdi Roy and Shrimati Harsimrat Kaur Badal are allowed to associate with this issue.

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): मैडम स्पीकर, आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैडम, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहती हूँ और इस सदन को भी यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह निर्भया का जो मामला हुआ है, जो घटना घटी है, हम उसको अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। फिर से एक बार और इस तरह की जो घटना मुंबई में हुई है, उसमें 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के ऊपर अत्याचार हुआ है। 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। लेकिन अभी तक किसी एक्यूज़्ड को पकड़ नहीं पाए हैं। ...(व्यवधान) एक को पकड़ा है, बाकी लोगों को नहीं पकड़ा है।...(व्यवधान) एक को पकड़ा है।...(व्यवधान) ठीक है, बाकी तीन को नहीं पकड़ा है।...(व्यवधान)

मैडम, मैं आपसे यही बताना चाहती हूं।...(व्यवधान) एक मिनट मुझे बात करने दीजिए।...(व्यवधान) यह बहुत ही गंभीर मामला है। एक हो या दो हों, लेकिन हादसा तो हुआ है, उसके लिए मैं न्याय मांगने के लिए यहां पर खड़ी हूं। हम लोगों ने यह आश्वासन दिया है, मौजूदा सरकार सख्त कानून लेकर आई है और उनको मजबूत करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश हुयी है। कई बार हमने इस पर बहस भी की है। उसी से हम लागों ने देश को भी यह आश्वासन दिया है कि आगे आइंदा इस तरह किसी महिला के ऊपर अत्याचार करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन यह कहां तक रूकेगा, यह किसी को मालूम नहीं है। अगर हम एक फोटो जर्नलिस्ट को सेफ्टी का एहसास नहीं दिला पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भारत देश में किसी लड़की को हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं।

आज मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूं कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो क्या वे सुरक्षित घर वापस आएंगे, वे नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर पुरूषों के साथ-साथ हमारे लिए भी बराबर की सहायता है तो हम उसी हक से मांगना चाहते हैं। आज उस जर्नलिस्ट के साथ क्या जुल्म हुआ है, वह हम देख रहे हैं। वह हास्पिटल में स्ट्रगल कर रही है। हम यह मांग कर रहे हैं कि दूसरों के ऊपर ऐसा न हो। किसी तरह का सख्त कानून न हो या उन्हें सजा नहीं मिल पाती है, गुनहगार को समय पर नहीं पकड़ पाते हैं तो इससे उनकी हिम्मत बढ़ रही है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह आश्वासन लाना चाहती हूं कि हमारे देश के सब बच्चे सुरक्षित रहें। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग बाहर जाकर देखेंगे, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, हम भी मुम्बई में रहने वाले हैं, हम बहुत अहसास करते थे कि मुम्बई बहुत सुरक्षित है, लेकिन आज उस अहसास के साथ मैं वहां जी नहीं सकती हूं। आज मैं आपके

माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं कि उस बच्ची के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उन गुनहगारों को सख्त सजा दिलानी चाहिए। उस बच्ची के जीवन के लिए सरकार क्या आश्वासन देना चाहती है, मैं यह सरकार से सुनना चाहती हूं। इस सदन को मैं यह बताना चाहती हूं कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, जो एक्यूज्ड हैं, निर्भया केस में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं, उन्हें अभी सजा नहीं मिली है। मैं आपसे अपील करती हूं कि उस बच्ची को न्याय दिलायें और अगर यहां से उसे न्याय नहीं मिल पायेगा तो दुनिया में किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि उस जर्नलिस्ट के लिए, उनके जीवन के लिए सरकार की तरफ से रोजगार मिलना चाहिए, उनके जीवन के लिए जो भी उन्हें देना चाहते हैं, उनके जीवन भर के निर्धारित आधार के लिए एक करोड़ रूपये उनके बैंक एकाउंट में डालें, ताकि उनके जीवन में एक सुरक्षित अहसास आ सके ।

अध्यक्ष महोदया : श्री अजय कुमार और श्रीमती भावना पाटील गवली अपने आपको श्रीमती जयाप्रदा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

…(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदया, उस गैंग रेप के बारे में सरकार का जवाब क्या है?...(व्यवधान) सरकार उसके बारे में क्या कहना चाहती है?...(व्यवधान) Madam, the UPA Chairperson is present in the House.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): महोदया, इस सदन ने कुछ महीने पहले सख्त कानून पास किया था और इसमें कोई शक नहीं कि यह घटना गंभीर है, चिंताजनक है। हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाई है और परसों, अगर आपकी आज्ञा हो तो गृह मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट देंगे।

11.33 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Notice of Question of Privilge

MADAM SPEAKER: I have received a notice from Shri Dinesh Chandra Yadav and 11 other MPs on the question of privilege dated 23rd August, 2013 against the Minister of State for Railways for making a Statement outside Parliament regarding the tragic accident involving the Railways resulting in the death of several pilgrims on the railway track at Dhamara Ghat Railway Station in Bihar, even though the House is in Session. The matter is under my consideration.

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, देश के आर्थिक हालात आज इतने विकट हैं कि उस पर लंबी बहस की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि पाँच दिन के लिए आपने संसद का सत्र बढ़ा दिया है। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): अध्यक्ष महोदया, अभी तक सत्र नहीं बढ़ाया है। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : बढ़ा दिया है?

श्री कमल नाथ : अभी तक इसका कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं है। जब होगा तो सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

श्री शरद यादव : शरद पवार जी कह रहे हैं कि हो गया और ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) शरद पवार जी ज़रा मित्र हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हो गया है। ...(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ाने वाला एक मामला बहुत गंभीर है जो कि बार-बार उठता है। यह जो कमोडिटी एक्सचेन्ज है, इसके चलते एक बार नहीं, सदन में कई बार मामला उठा है। मैंने ऊपरी सदन में भी कहा था कि यह काम मेरे हाथ से हुआ है, इसलिए इस पर मुझे बहुत अफ़सोस और तकलीफ़ है। मैं मानता हूँ कि यह बड़ी भारी गलती हुई है। इस एक्सचेन्ज का 2500 करोड़ रुपये का जो टर्न-ओवर था, वह अब 2लाख 95करोड़ रुपये का हो गया है। फिर उन्होंने 1.7.2007 में स्पॉट एक्सचेन्ज लगा दिया। अब इस स्पॉट एक्सचेन्ज का मतलब समझ लीजिए कि 11 दिन में जो भी माल रखा है, उसको 11 दिन के भीतर लेना है। लेकिन एक भी 11 दिन में नहीं गया, यह सब फ्यूचर ट्रेडिंग में गया। फ्यूचर ट्रेडिंग में गया तो इसमें अकेले एक आदमी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक आदमी ...(व्यवधान) * ने स्पॉट एक्सचेन्ज में जो लोगों का माल था, उसके पैसे उसने देने का काम नहीं किया। 2लाख 95 करोड़ रुपये का यह सट्टा बाज़ार हो गया और किसानों और उपभोक्ताओं को इसमें कोई लाभ नहीं हुआ, दोनों ही लुटे। एक जगह सामान पर्ची पर लिखा हुआ है, वह कोलकाता में बिक गया, फिर मुम्बई में बिक गया, फिर अहमदाबाद में बिक गया। यानी पर्ची बिकती जा रही है और पैसा बढ़ता जा रहा है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई का एक कारण मैं यह मानता हूँ। शरद पवार जी इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है। संजय निरुपम जी उधर चले गए तो हमें नहीं बताते, ये मुम्बई के रहने वाले हैं। यह फ्यूचर ट्रेडिंग जो कमोडिटी एक्सचेन्ज में है, यह देश में तबाही मचाने वाले बहुत से कारणों में से एक कारण है। जो रुपया डूब रहा है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ घट गई है, एक्सपोर्ट घट गया है, आप पूरी तरह से दुनिया में इस हालत

* Not recorded.

में हैं कि यहाँ कोई एफडीआई लाने को तैयार नहीं है। जो यहाँ थे, वे भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति को यदि ठीक करना है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सारी पार्टियों को बुलाकर इस संकट पर बात करने का काम करना चाहिए। हमारे देश में पहले बहुत कम आयात होता था। हमने अपने देश के अंदर जो हमारी ताकत थी, हमारे मिनिरल थे, कोल हो, आयरन हो, हमने क्या-क्या तमाशा किया है? हमारे पास 81 मिनिरल्स हैं, लेकिन हमने उनका कोई लाभ नहीं उठाया। हमारे पास इतना पानी है, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, इन सारी शक्तियों के होते हुए, इतनी आर्थिक ताकत हुए भी हमारी यह दुर्गति हुई है, इस पर बहस होनी चाहिए। कमोडेटी एक्सचेंज के बारे में मैं आपसे, सरकार से और शरद पवार जी आपसे कहना चाहता हूं कि इसको बंद करवाइए।...(व्यवधान) बहुत छोटे शब्दों में कह रहा हूं कि इसको बंद करवाइए। यह बंद नहीं होगा तो महंगाई और बढ़ेगी। हमारे यहां सट्टेबाजार का क्या मतलब है? न तो यह किसान को लाभ पहुंचा रहा है और न यह उपभोक्ता को लाभ पहुंचा रहा है। सब तरह से तबाही और बर्बादी है। आज देश किस जगह खड़ा है? प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं, उनको सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए और सदन में बहस करवानी चाहिए, यह इतना गंभीर मामला है कि देश कहां जा रहा है और कहां पहुंचेगा? इसके लिए हमें और पूरे देश को विश्वास पर तो लेना चाहिए। आज सभी लोग परेशान हैं। जो देश को समझता है, आर्थिक मुद्दों को समझता है, वह हमें फोन कर-कर के कहता है कि इस मामले पर पार्लियामेंट ठीक से क्यों नहीं बोल रही है? आज देश की जो हालत है, हम जिधर पहुंच गए हैं, तो यह आपकी ही नहीं, हमारी भी चिंता है और इस चिंता को कैसे दूर करेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डरो मत। आपने कह दिया डरो मत, लेकिन सामने दाम बढ़ रहे हैं, सामने तबाही हो रही है, सामने उद्योगधंधे तबाह हो रहे हैं और आप कहते हैं कि घबराओ मत। घबराएंगे कैसे नहीं? किस बात के लिए नहीं घबराएंगे? इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आर्थिक मामलों को लेकर यदि आप पांच दिन बढ़ाते हैं, तो देश की आर्थिक दशा पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए। इस सदन में इतने लोग हैं, उनके सुझाव भी सामने आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री निशिकांत दुबे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री प्रेम दास राय, श्री पी.के. बिजू, एम.बी. राजेश, श्री शिवकुमार उदासी और श्री देवजी एम. पटेल अपने को श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट से बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): महोदया, यह सीट परमानेंट खाली है। हमारी तो दीवार के बाहर हो गयी है।

अध्यक्ष महोदया : प्रभुनाथ सिंह जी, आप अपने स्थान से बोलिए। इस सदन का एक नियम है। आप अपनी सीट से बोलिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 84 कोसी परिक्रमा की घोषणा की थी, जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। उस प्रतिबंध के बाद भी बार-बार घोषणा और राजनीतिक पार्टी खास कर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा सहयोग की घोषणा के बाद देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गयी है।...(व्यवधान) पूरा देश अभी संशय में बना हुआ है।...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदया इसमें भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो लोग स्वयंभू हिन्दुओं का संरक्षक अपने को विश्व पैमाने का कहते हैं, हम को नहीं लगता है कि भारत में 1/99वां भाग भी उनको पसंद कर रहा है। वैसी स्थिति में जो राजनीतिक पार्टी ऐसे कामों में भाग लेती है, उनको राजनीति करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनका राजनीतिक रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए तथा देश को इस संशय से बचाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी साम्प्रदायिक सद्भाव इस देश में बिगड़ने नही पाए। यही हमारा आपसे आग्रह है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे बोलने से पहले कुछ हिदायत भी किया था, मैं उसका पूरा पालन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। आज पूरे देश की एकता-अखण्डता को खतरा है। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं देश में घुसपैठ कर रही हैं। दूसरी ओर देश में दैवीय आपदा जबरदस्त है, बाढ़-सुखाड़ के बारे में यहां चर्चा हुई और उत्तराखण्ड की त्रासदी सभी को मालूम है। इसके बावजूद भी देश में अमन, चैन, शांति को भंग करने मिनट रूक जाइए। मुझे बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान)के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक दल लगे हुए हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा।...(व्यवधान) एक

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। क्या हो गया?

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश में 84-कोसी परिक्रमा की जो घोषणा हुई है, वह पूरे तरीके से असंवैधानिक है। उस पर रोक लगायी जाए। ऐसी शक्तियां जिन्होंने देश में पहले भी राम के नाम पर राजनीति की हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके पहले भी देश में अमन, चैन, शांति, क़ौमी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द्र को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गयी है।

हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से चाहेंगे कि ऐसी संस्था जो राम के नाम को बेच कर वोट लेना चाहती है या राम के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उन पर रोक लगे और उनकी मान्यता समाप्त की जाए। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): दूसरे पक्ष को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को रखने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नीरज जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, यह सदन एक ऐसा फोरम है जहां पर सभी विषयों पर पूरी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, पूरी संवेदनशीलता से होनी चाहिए।...(व्यवधान) हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। बस्ती मेरा जनपद है, अयोध्या मेरे क्षेत्र से मिला हुआ है। मैं वहां की परंपराओं से परिचित हूं। मैं हिन्दू हूं। मैं उन यात्राओं में शामिल होता हूं।...(व्यवधान) सभी को यह अधिकार होना चाहिए। चाहे वह पंचकोसी परिक्रमा हो या चौदह-कोसी परिक्रमा हो या 84-कोसी परिक्रमा हो, वहां परिक्रमाओं की इज़ाजत है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बोलने का समय देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बोलने का समय देंगे। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : उस अयोध्या में भगवान राम की राजधानी थी जिसे हम कौशलपुर के नाम से जानते हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बोलने का समय देंगे। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : भगवान राम की राजधानी कौशलपुर का जो इलाका था, वह पांच कोस का था इसलिए पंचकोसी परिक्रमा होती थी।…(व्यवधान) फिर उसके बाद जब भरत ने खड़ाऊं से राज किया तो उसका दायरा बढ़ाकर 14-कोसी की परिक्रमा की गयी क्योंकि उन्होंने अयोध्या के बाहर भरतपुर में रह कर इस परिक्रमा को शुरू किया था।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौंवी को की जाती है।…(व्यवधान) जो 14-कोसी परिक्रमा होती है, वह हर साल देवोत्थानी एकादशी से की जाती है।…(व्यवधान) एकादशी के बाद यह माना जाता है कि भगवान राम विश्राम करते हैं। यह जो सावन, भादो, आषाढ़ का महीना है, उस क्वार, सावन, भादो, आषाढ़ महीने में सरयू नदी का जल बहुत ऊपर रहता है इसलिए कोई साधु-संत उस समय कोई परिक्रमा नहीं करते हैं और यह माना जाता है कि उस समय यह अशुभ लग्न है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shrimati Bijoya Chakravarty.

… (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल : चाहे 14-कोसी परिक्रमा हो या 84-कोसी परिक्रमा हो, विश्व हिन्दू परिषद् ने पिछले कुछ वर्षों में कभी इस तरह की यात्रा नहीं की।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आपका समय समाप्त हो गया। अब उन्हें बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, I am grateful to you. …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं है।...(व्यवधान) ये सियासी यात्रा शुरू कर रहे हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ना चाहते हैं तो ये देश के गैर-जिम्मेदार लोग हैं।...(व्यवधान) 84-कोसी परिक्रमा 20 अप्रैल से मई तक होती है। इस समय भगवान राम विश्राम करते हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती विजया चक्रवर्ती।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब सिर्फ़ इनका भाषण जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय से श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री कमल किशोर 'कमांडो' स्वयं को संबद्ध करते हैं।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY :Madam, I would like to bring to the notice of the House a very important and a very dangerous fact, which is dangerous for the external and internal security of the country. It is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is divided into two parts as the Eastern Part and the Western Part. We all know about the Western Part. It is the Tawang side. The area on the Western Side is Tawang. In the Eastern Part, just near Tazo, from 150 kilometres from Tazo, there is an area called Palmpalm. There are four outposts. These four outposts had been occupied by the Chinese Army from 10th to 16th August. Till then, either the Defence Minister or the Government of India was not

---

* Not recorded.

aware of the fact that these four outposts in the Palmpalm area in the eastern side of Arunachal Pradesh had been occupied by the 200-strong Chinese Army. Only the Indo-Tibetan Border Police came to know of this incident after five days when the local people brought this fact to their notice.

I want to bring to your notice another very basic fact that for a distance of 105 kilometres from Changlang, there is no road at all. People have to walk to reach the border. The Army is occasionally stationed there. Out of the four outposts that have been there, very occasionally the Army is stationed there. That is why, the Chinese Army came inside the boundary of India, about 55 kilometres. They stayed there for many days. The Indian Army have to walk miles after miles, nearly 105 kilometres but, on the other side of the China, they have got air-strip, they have got good roads and they have got everything. On the Indian side, our Army has to walk miles with all the load. In the Palmpalm area where four border outposts have been situated, in 1962, during the Chinese aggression, the Kumaon Regiment shed a lot of blood there. They have been butchered like anything. The most unfortunate fact is that people do not know what to do, where to go, whether they should go to the Chinese side or to the Indian side. These things are happening there. So, the border should be properly protected. The Eastern Side is too much neglected.

Therefore, I want a Statement from the Minister and also a discussion on this subject.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने दलित, आदिवासी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। एस.सी./एस.टी. (रिजर्वेशन इन पोस्ट एण्ड सर्विसेज) बिल राज्य सभा द्वारा वर्ष 2008 में पास किया गया था और लोक सभा में अभी तक पास नहीं हो सका है। वर्ष 2008 में ही लोक सभा में यह बिल पेश हुआ लेकिन यह महसूस किया गया कि इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। इस पर आम सहमति हुई, चर्चा हुई, कार्मिक विभाग की सहमति हुई, न्याय विभाग की सहमति हुई लेकिन अभी तक इसको लोक सभा में विचारार्थ पेश नहीं किया जा सका है ताकि यह पास हो सके। इस समाज से जुड़े हुए लोक सभा और राज्य सभा के जितने सांसद हैं, वे

प्रधानमंत्री जी से मिले, राज्य मंत्री नारायणसामी जी से मिले लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

संविधान में दलित, आदिवासी समाज के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। छुआछूत को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रावधान है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट वर्ष 1955 में बना। आगे चलकर शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रौसिटीज) एक्ट वर्ष 1989 में बना। अब उस में भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उसका प्रस्ताव मंत्रालय के द्वारा अभी लाया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टीकल 16 में नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें प्रावधान के साथ-साथ संविधान में पहला संशोधन 1951 में जो हुआ, वह भी इस समाज को शिक्षा और बाकी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण देने के संबंध में था। लेकिन नौकरी के आरक्षण का प्रावधान केवल प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से होता है, कोई कानून नहीं है। यह महसूस किया गया कि इसमें कानून होना चाहिए, कानून न होने की वजह से अनेक भ्रांतियां हैं। जिसकी वजह से न्यायालय ने अनेक प्रकार के आदेश दिए हैं और जिसकी वजह से यह आवश्यकता महसूस की गई है, यह बिल लाया गया है। लेकिन छ: बार संविधान में संशोधन होना पड़ा, क्योंकि न्यायालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए हैं। दलित समाज ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि कानून बनाने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कानून बनना चाहिए ताकि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि क्या-क्या प्रावधान, किस-किस तरह से प्रोसिज़र होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण एससीएसटी रिजर्वेशन पोस्ट्स एंड सर्विसेज़, जो राज्य सभा द्वारा सन् 2008 में पास किया जा चुका है, वह तत्काल लोक सभा में पेश हो और इसको पास कराया जाए। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से भी इसका अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदया: अपने को जो एसोसिएट कर रहे हैं, वे अपने नाम सदन के पटल पर भेज दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, श्री सोहन पोटाई, श्री कमल किशोर, श्री पी.के. बिजू, श्री वीरेन्द्र कश्यप, सुश्री जे. शांता, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री पी. लिंगम, श्री मधु गौड यास्खी, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री हरीश चौधरी, श्री मोहिन्दर सिंह के.पी., श्री मधु कोड़ा, डॉ. प्रभा किशोर तावियाड़, श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी, श्री विन्सेंट एच. पाला, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बघेल, श्री राजाराम पाल, श्री भरत राम मेघवाल, श्री रतन सिंह, कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, श्री भूदेव चौधरी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, श्री आर, ध्रुव नारायण श्री पी.एल. पुनिया जी द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): अध्यक्ष महोदया, यह मामला हमारे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है। मैं बिहार में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लाखों पशुओं की मौत और सम्पत्ति के नुकसान के अलावा सैंकड़ों लोगों की मृत्यु की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1954 में बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए नीतियां बनाई गई थीं। लगभग 60 वर्षों के बीत जाने के बाद भी बाढ़ को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हर वर्ष आश्वासन दिए जाते हैं, हजारों मानव और पशुओं की मौत बाढ़ में हो जाती है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाटलिपुत्र में दानापुर और मनेर प्रखंड इस वर्ष आई बाढ़ के कारण अत्यधिक प्रभावित है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार दानापुर के दियारा क्षेत्र मनेर प्रखंड के महावा टोला, कित्ता चौहत्तर और कित्ता छिहत्तर इत्यादि जगहों पर गंगा नदी के बहाव के कारण अत्यधिक कटाव हो रहा है। इस रिपोर्ट का ध्यान मैंने पहले भी नियम 377 के अंतर्गत उठाया था। इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा जल संसाधन मंत्री जी से फिर से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और गंगा कटाव दानापुर, मनेर प्रखंड में तुरंत रोकने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें। इस संबंध में दीर्घकालिक कोई योजना बनाई जाए, जिससे कि भविष्य में गांव में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें और वहां की जनता सुखमय, जोखिम मुक्त जीवन बिता सके।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam Speaker, I would like to draw your attention of this august House to a grave injustice and serious discrimination done in the selection of Arjuna Award winners. Earlier, the legendary athelete Milkha Singh himself had refused Arjuna Award in protest against this discrimination. This practice is still continuing, Madam. This year, Tom Joseph, former Indian Volley Ball Captain, an outstanding player, who had represented India continuously for 15 years and who has won six international trophies has been denied Arjuna Award for the 10th continuous year. This is the 10th time he has been denied Arjuna Award.

Madam, justification given is that Volley Ball is not a popular game. Whether the Selection Committee is of the view that only Cricket is the popular game?

12.00hrs

Some cricketers, who are part of this Selection Committee, are responsible for this. The entire credibility of Arjuna Awards is now in question. This is like the Nobel Peace Prize which was never given to Mahatma Gandhi.

So, I urge upon the Government to look into the process of deciding Arjuna Awards and also to look into the process of selection of this Selection Committee itself and make this whole process transparent so that this will not happen in future. Cricket is not the only game being played in the country. Football, Volley-Ball and many other games are played in the country and it is the duty of the Government to promote all those games, not just Cricket. Therefore, I request the Government to seriously intervene in the matter.

MADAM SPEAKER: Hon. Members Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi, Shri P.K. Biju and Shri P. Karunakaran are allowed to associate themselves with the matter raised by Shri M.B. Rajesh.

12.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to provide stoppage of important trains at railway stations at Hinganghat, Chandur, Dhamangaon and Sindhi in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं गत तीन वर्षों से लगातार विदर्भ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र को नई रेलगाड़ियों और कुछ रेलगाड़ियों के स्टॉपेज की मांगें आदरणीय रेलमंत्री जी के सामने रखता आया हूं, किंतु मेरी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) में तीन बड़े शहर हैं हिंगनघाट, चांदूर और धामनगांव जहां से पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर जाने वाली सभी रेलगाड़ियां गुजरती हैं । लेकिन प्रमुख रेलगाड़ियों का इन शहरों में स्टॉपेज नहीं होने के कारण इस इलाके के रेल यात्रियों को असुविधा हो रही है । रेलगाड़ियां होने के बावजूद यहां के प्रवासियों को उनका कोई उपयोग नहीं है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हिंगनघाट शहर जो दो लाख बस्ती का शहर है और प्रतिदिन हजारों प्रवासी यहां से आवागमन करते हैं, में नागपुर-सिकन्दराबाद 12771-12772, जयपुर एक्सप्रेस, मद्रास-जोधपुर एक्सप्रेस और सिकन्दराबाद-बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टॉपेज दिए जाएं ।

---

* Treated as laid on the Table.

चांदूर और धामणगांव के रेलयात्रियों की बहुत पुरानी मांग है कि हजरत निजामुद्दीन-गोंडवाना एक्सप्रेस, अमरावती नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा जबलपुर एक्सप्रेस आदि गाड़ियों के स्टॉपेज उन्हें मिले।

सिंदी एक बड़ा रेल स्टेशन है । नागपुर-अमरावती इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमरावती-नागपुर गाड़ियों का सिंदी स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है । यहां से प्रतिदिन सैंकड़ों लोग और छात्र-छात्राएं वर्धा और नागपुर आना-जाना करते हैं । अगर रेल मंत्रालय उन पर निर्देशित स्टॉपेज देता है तो भारतीय रेल को लाखों रूपये की आमदनी भी होगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी ।

मैंने स्वयं यह बात सभागृह में दो बार रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है । आशा है आप मेरी उपरोक्त मांगों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए निर्देश देंगी ।

(ii) Need to provide full wages to the workers engaged in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Tiruvannamalai district, Tamil Nadu

SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI): I would like to draw the attention of the Government regarding the need to ensure full payment of the minimum wages to the workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) in Tiruvannamalai District of Tamil Nadu.

In this regard, I would like to bring to your kind attention the fact that the payment under MGNREGS to the workers has been increased from Rs.134/- to Rs.148/- per day. But in reality, the workers under this scheme are getting very less amount. The Government officials in Tiruvannamalai district are not adhering to the prevailing rules. Workers were never paid the full amount i.e. Rs.148/- per day in Tiruvannamalai District. Such situation prevailing in Tiruvannamalai District is very sad and the workers are being exploited.

I, therefore, request the Hon'ble Minister for Rural Development to kindly take remedial steps in this regard.

(

(iii) Need to provide job to one member of every family whose land has been acquired by Konkan Railways

SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): I draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the plight of the families affected due to the land acquired for Konkan Railway project. This project which has become the pride of the Railways, has adversely affected the life of many villagers whose cultivable land has been acquired for this project.

The farmers were provided with a meager compensation in lieu of acquisition of their land. However, the money received in this regard has been spent and now they are without any source of income for their livelihood. It was presumed at the time of acquisition of their land that a member from each of the families affected would be given a job in the Konkan Railways but to their dismay nothing of this sort happened.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways to look into this matter seriously and come up with solution that could save the livelihood of a lot of people in the region directly affected due to this project. I also request the Hon'ble Minister to consider if certain privileges could be provided to land oustees such as concessional fares in Konkan Railways.

(iv) Need to set up a hospital in Pratapgarh Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh alongwith a separate hospital for T.B. patients

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बीड़ी मजदूरों की संख्या आसपास के जिलों से बहुत ज्यादा है । तम्बाकू संबंधी कार्यों में लगे रहने के कारण बीड़ी मजदूरों में टी.बी. जैसी बीमारी और अन्य बीमारी गंभीर रूप से फैली हुई है और हर साल कई सौ लोग टी.बी. रोग से मर रहे हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में जानलेवा बीमारी एड्स बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं और अभी हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ सदर तहसील के जमूआ गांव में दो बच्चों के माता-पिता एड्स से मारे गए और उनके चाचा ने दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया कि उन बच्चों को एड्स है और इन दोनों बच्चों को बरसात में एक प्लास्टिक का कवर में अपने को ढककर शमशान में कई रातें बितानी पड़ी । मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां पर इन दोनों बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से हो सके । लोगों को इलाज के लिए इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली आना पड़ता है ।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में एक बड़ा अस्पताल खोला जाए और टी.बी. का एक विशेष अस्पताल भी शीघ्र खोला जाए ।

(v)Need to allocate adequate funds for infrastructural development in Special Economic Zone (SEZ) at Nanguneri, Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): The Nanguneri Special Economic Zone (SEZ) has been set up in Nanguneri Town, Tirunelveli District, Tamilnadu. This project is worth around Rs.14,000 crore and the land required for establishing it has been acquired. Various industries that would be established in Nanguneri SEZ are consumer goods, electronic durables, IT, Pharmaceuticals, light engineering, biotechnology, telecommunication, power plants, sewage and water treatment plants. Pharmacy Park also would be set up in the SEZ which is expected to provide employment to about 3,000 people and it is estimated that it would manufacture drugs worth around Rs. 500 crore. Nanguneri SEZ would have all the world-class standard facilities that are required by the units that function in a SEZ. It will be very attractive if investments are made in southern districts of Tamil Nadu as it will decongest the crowded Chennai and its surrounding areas.

However, the progress of setting up of said SEZ is very slow. Though 2,520 acres had been acquired for the project, it is doubtful whether the first phase on 400 acres would be ready in the near future. Nanguneri is well connected with Tuticorin Airport/Port, railways and 4- lane NH. However, the infrastructure within the SEZ is bare minimum and the situation remains the same for the last 11 years. The promoters and entrepreneurs are not having adequate resources to invest for infrastructural facilities within the SEZ. If the SEZ is merged with National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ), there will be much potential for investment and full utilization of the SEZ.

Keeping in view the above, I humbly urge upon the Union Government to take necessary steps for allocation of adequate funds for the development of infrastructure at Nanguneri SEZ and to expedite the above project.

(vi) Need to increase the frequency of local trains from Pune to Lonavala and Shuttle Service from Pune to Daund in Maharashtra and to introduce a direct train on Lonavala-Pune-Daund route

SHRI SURESH KALMADI (PUNE): On the Pune - Lonavala railway route, the number of daily passengers has gone down by 13 lakh since 2010. About 41.01 lakh commuters travelled on Pune - Daund route in 2010-11 which went down to 39 lakh in 2012-13.

The railway administration operates 42 trips of local trains every day on Pune - Lonavala - Pune route and four trips on the Shivajinagar -Talegaon - Shivajinagar route. On an average, a commuter finds a local train every hour during the day time. The Pune - Daund route has 10 daily passenger trains running up to Daund, Baramati and Manmad with a frequency of one train every two and a half hour. In the last three years, the railway administration has introduced 12- Coach rakes to increase carrying capacity of trains.

I urge upon the Railway Minister to increase the frequency of local trains from Pune to Lonavala and shuttle service from Pune to Daund and run these trains every half an hour. A direct train should also be introduced on Lonavala - Pune - Daund route. These steps will help the commuters and also increase the revenue of railways.

(vii) Need to ensure speedy trial of persons apprehended on terrorist charges

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आतंकवाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती है । देश के लगभग हर कोने में आतंकवाद की घटना घटित हुई है । हर बार घटित घटना अपने साथ सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले जाती है और फिर सिलसिला शुरू होता है, एक लंबी जांच का । जांच में अक्सर निर्दोष लोगों को शक के कारण गिरफ्तार किया जाता है, जिससे उस पर जिन्दगी भर का आतंकवादी होने का कलंक जुड़ जाता है । जांच के बाद मुकदमा न्यायालय में चलता है जिसमें वर्षों फैसला होने में लग जाता है कि वह वास्तव में आतंकवादी घटना में शामिल था या नहीं, जमानत नहीं होती है । अतः सालो साल बेगुनाह साबित होने तक जेल में ही जिन्दगी कट जाती है । बेगुनाह साबित हो भी जाए तो भी व्यक्ति अपनी सामान्य जिन्दगी नहीं जी पाता, ना ही उसे नौकरी मिलती है ।

मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मामलों की जांच केवल एन.आई.ए. से कराई जानी चाहिए तथा स्पेशल कोर्ट के माध्यम से यह पाबन्दी भी लगाई जाए कि ऐसे मामलों का तीन महीने के अंदर फैसला जरूर लिया जाएगा वरना ऐसे मामलों से जुड़े लोगों को निर्दोष माना जाएगा ।

(viii) Need to include floods due to heavy rains in the category of National Calamity and to provide all round assistance to the flood-affected people of Vidarbha region, Maharashtra

SHRI SANJAY DHOTRE (AKOLA): The Vidarbha region of Maharashtra comprising Akola, Washim, Chandrapur, Nagpur, Yeotmal and Buldhana Districts has suffered huge losses i.e. more than Rs. 5000 crore due to heavy rains triggering floods in the region in the recent past. Although the loss of several lives and livestock can not be compensated but the Central Government may provide immediate relief and assistance to the affected people of the region. Further, the people of the region have not got any relief and assistance from the Central Government despite such huge losses as the losses due to heavy rains do not come under the category of natural calamity. Therefore, it has now become imperative to include heavy rains in the category of natural calamity in order to provide immediate relief and help to the flood affected people not only in the Vidarbha region of Maharashtra but also across the nation.

(ix) Need to delegate power to Government of Gujarat to grant Indian citizenship to migrant Pakistani Hindus settled in Gujarat

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): A decision regarding granting of nationality/citizenship to the Pakistani Hindu minority community members migrated from Pakistan and settled in Rajasthan and Gujarat was taken by the then NDA Government in the year 2003-04 & by UPA Government in the year 2004-05. As per that decision, the State Governments of Rajasthan & Gujarat were empowered to scrutinize the applications and grant citizenship to the migrated Pakistani Hindu minority community members at the State level only. In this regard a notification giving power to the above mentioned States was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) in the year 2004. The notification was valid for one year. Due to this notification a large number of Pakistani Hindu minority community members settled in Rajasthan and Gujarat were granted Indian citizenship as per the rules by the respective State Government. As one year is a very short time to scrutinize the applications and grant citizenship, so on my request the notification was extended for another one year and a large number of Pakistani Hindu minority community members were benefitted at that time. Now it has come to my notice that despite the time period of two years, a large number of Pakistani Hindu minority community members settled in Gujarat were not able to acquire Indian citizenship due to lack of knowledge and now they are running from pillar to post with documents to get Indian citizenship. Further, Government of India had granted same powers to the State of Maharashtra for granting Indian citizenship to Pakistani Hindu minority community members settled in Maharashtra. I, therefore, request the Hon'ble Minister of Home Affairs to again give powers to the State Government of Gujarat for one year to grant Indian citizenship to Pakistani Hindu minority community members so that the remaining persons can avail the benefit of getting Indian citizenship.

(x) Need to set up a University for minority community in Sambhal Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क़ (सम्भल): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र " सम्भल) " की ओर दिलाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर अब जिला भी बन चुका है । लगभग 80 प्रतिशत यह अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र से लगे हुए दूसरे शहरों व जिलों में भी अल्पसंख्यकों की अच्छी तादाद है । लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय/यूनिवर्सिटी का न होना है जिसकी वजह से यहां के होनहार बच्चे अच्छी तालीम से महरूम रह जाते हैं जो कि बड़े फिक्र की बात है और इसी वजह से यह 80 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्य " सम्भल संसदीय क्षेत्र " तालीम में बहुत पिछड़ा हुआ है । मुझे पता चलता है कि केन्द्र सरकार की अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बड़े विश्वविद्यालय/यूनिवर्सिटी खोलने की योजना है ।

इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि 80 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले मेरे संसदीय क्षेत्र संभल में अल्पसंख्यक कोटे की एक यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द खुलवाने की मेहरबानी करें ।

(xi) Need to open Import-Export Office on Indo-Nepal border at Valmiki Nagar in Bihar

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): बिहार के मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकीनगर भारत नेपाल सीमा (प0 चम्पारण जिला) में आयात निर्यात सीमा शुल्क कार्यालय, खसौल (पूर्वी चम्पारण) बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सोनौली (महाराजगंज) के तरज पर खोलने की मांग अपने पत्रांक 21/2013 दि0 22.2.2013 के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली से किया था । चूंकि वाल्मीकी नगर क्षेत्र जो भारत नेपाल सीमा ले लगा है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां के ग्रामीणों को आवागमन हेतु भारी वाहन के परिचालन जिस प्रकार खसौल एवं सेनौली (महाराजगंज) में भारी वाहनों का आवा-जाही होती है, उसी प्रकार करने का अनुरोध किया था, परंतु अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है ।

अतः मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वाल्मीकी नगर (बिहार) भारत-नेपाल सीमा पर आयात निर्यात कार्यालय शीघ्र खोलने की कार्रवाई की जाय, ताकि जनजातीय लोगों को इसका लाभ मिल सके ।

(xii)Need to set up one of the proposed five Universities providing for admission of 50% students of minority community in Vellore Parliamentary Constitutency, Tamil Nadu

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Vellore is the district in Tamil Nadu having more than five lakhs minority people out of whom sixty percent are backward in socio-economic terms. Their livelihood is mostly based on their employment in tannery industries and beedi works. As there are very few educational institutions for higher studies in this area, these people are facing challenges as they cannot afford fee-structure due to their poor economic condition. The drop-out rate among them is very high due to their economic condition.

The Government has recently announced that there is a plan to set up five universities in different States with as much as 50 percent reservation for the minorities. The Ministry of Minority Affairs had stated that the socio-economic backwardness would be the key determinant for the reservation as per Article 15 and 16 of the Constitution. My constituency Vellore would fulfill eligibility criteria in this regard.

Since the above demand is very much legitimate and the same is the need of the hour, I strongly appeal to the Government of India to set up the said University in my constituency Vellore in Tamil Nadu.

(xiii) Need to provide adequate health care facilities in Attapady tribal area in Palakkad district, Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of this Government to an alarming situation prevailing in Attapady tribal area in Palakkad district, Kerala. According to an official report 53 tribal children have died in the last 18 months due to malnutrition. More than 500 children are suffering from various diseases related to malnutrition. Infant deaths, anemia in pregnant women, premature deliveries are common in the area. Proper ante-natal and post-natal care are not being given by the health workers and discontinuation of distribution of nutritious foods by the Social Welfare / ST Departments. There is lack of coordination among the different departments in implementing various programmes in the area. There are 172 anganwadis in this area under Integrated Child Development Services Scheme and their functioning is not up to the mark. There are vacancies of supervisors. It is shocking that the distribution of eggs, milk, plantain etc., was stopped about one year back in these Aanganwadis. The central programme to give Rs. 4000/- in installments to pregnant women under IGMS Scheme has also not been properly implemented. There is an utter lack of coordination among various Government Departments. No effective steps have been taken to ensure proper functioning of Tribal Speciality Hospitals and filling up of large number of vacancies of medical and paramedical staff. The situation requires urgent intervention from Central Government. Hence I urge upon the Government to take immediate steps to protect the interests of tribal population of Attapady.

(xiv) Need to lift ban on the use of mercury, lead and other contents in the manufacture of Ayurvedic medicines in the country

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): The Government has recently banned use of mercury, lead and arsenic contents in all ayurvedic medicines being supplied by CGHS but these medicines are openly available in the market. The Government has also not suggested/recommended alternative medicines for the banned drugs. I would like to inform the Government that no Ayurvedic medicines can be manufactured without the use of mercury, lead and arsenic contents. All these contents are being used for the last 12,00 years.

I would request the Government to apprise the House if any study was conducted to find out the ill-effects of these contents in ayurvedic medicines. Government should promote use and manufacture of Ayurvedic medicines. These medicines are also less harmful than allopathic drugs.

(xv) Need to expedite conversion of railway line between Chhapra in Bihar to Kaptanganj in Uttar Pradesh into broadgauge

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): बिहार प्रान्त के छपरा और उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज (छपरा से कप्तानगंज) रेलवे लाईन को छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिणत करने की मांग दोनों राज्यों की आम जनता वर्षों से कर रही थी । जनता की भावनाओं और जरूरतों को महसूस करते हुए वर्ष 1998-99 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इसके तहत यह आदेश किया गया था कि योजना को दो वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा ।

स्वीकृति प्रदान किए लगभग 14-15 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक यह योजना अध्री पड़ी हुई है । जिसका कारण समय पर निधि आवंटन नहीं होना । इस वजह से दोनों राज्यों की आम जनता में सरकार के प्रति काफी असंतोष और आक्रोश है ।

इस योजना के पूरी होने से एक तरफ दोनों राज्यों के बीच सामाजिक व्यवसायिक संबंध बढ़ेगें वहीं पर 100 गांवों की लाखों जनता लाभान्वित होगी । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना के अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ।

(xvi) Need to take immediate necessary measures to normalize the situation in Sikkim facing the serious problem of socio-economic blockade by people in favour of a separate state

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): The UPA Government and in particular the Congress Party took the painful call of carving out the State of Telengana. The announcement was made on the evening of 29th July, 2013. In a show of strength the announcement came after a meeting of some of the UPA partners.

Neither the Sikkim Democratic Front was invited nor the Naga Peoples Front of Nagaland.

The consequential impact of the decision has been as predicted. Promptly Gorkha Janmukti Morcha withdrew from the Gorkha Territorial Administration and an indefinite bandh was announced. They have closed the schools and warned people for a long drawn 'battle'. The 31A National Highway which is the lifeline of Sikkim has been closed. Plying cars and motor-cycles were set ablaze along with some bungalows. The livelihood of the people of Sikkim is in danger as tourism is the main economic activity.

In Sikkim the price rise will continue unabated. The road blocks will effectively stop free flow of food and tourists. Hence it will hit our citizens the hardest.

The Central Government should compensate us adequately in order to check downturn in the economy.

12.02 hrs

GOVERNMENT BILLS -Passed

(i)GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL, 2012

MADAM SPEAKER: Item No. 8. Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Madam, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 be taken into consideration."

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, मेरा दो मिनट का कहना है...

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अगर इनको 1-2 मिनट का टाइम दे देंगी तो ठीक रहेगा।...

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): मैं सदन से विनती करूंगा कि ऐसा संयोग है कि आप लोग एक स्वर से इस बिल को स्वीकृत करेंगे। क्योंकि, अगर इस बिल को स्वीकृत करेंगे तो,...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

श्री आर.पी.एन.सिंह : इस बिल से सिर्फ लीडर ऑफ दि हाउस ही प्रभावित नहीं होंगे, पर जो हमारी लीडर ऑफ अपोजीशन हैं, उनके पति भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं हाउस को यह बताना चाहूंगा कि चूंकि लीडर ऑफ दि हाउस और लीडर ऑफ अपोजीशन के पति प्रभावित होंगे तो मैं समझ सकता हूं कि सदन इस बिल को जल्द से जल्द पास करने का जरूर कदम उठाएगा। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

*(Interruptions) …**

12.03hrs

Shri Nama Nageswara Rao then left the House.

SHRI R.P.N. SINGH: Madam, The emoluments, allowances and privileges of Governors are governed by the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 and rules framed thereunder, namely, the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987. Section 3 of the above referred Act provides for an emolument of Rs. 1,10,000/- per month to Governors.

However, the Act has no provision for any pension or post-retirement benefits to ex-Governors except medical facilities governed by rules/orders issued by the Ministry of Health and Family Welfare from time to time.

The issue of making available secretarial assistance to Governors after demitting office has been raised at various levels including the Governors Conference. Keeping in view the high constitutional office that the Governors hold, it is considered to provide secretarial assistance to ex-Governors in the form of one Personal Assistant which the concerned ex-Governor may appoint, on reimbursable basis.

This Bill seeks to provide secretarial assistance to an ex-Governor for the remainder of his life, in the form of a Personal Assistant. The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 and the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987 provide that the expenditure on various activities involving the office of the Governor to be met out of the Consolidated Fund of the respective State. Keeping in view the number of ex-Governors and the small quantum of the amount involved, it was agreed that this amount would be met by the Union Government.

The proposals contained in the Bill have been finalized in consultation with the Ministry of Finance and the Ministry of Law and Justice.

With these words, I commend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012 to this august House for consideration.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 be taken into consideration."

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। वैसे तो यह एक औपचारिकता मात्र है जो यह बिल लेकर हमारे सामने माननीय मंत्री जी आये हैं। हमें इसे पास करने में तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

मैं आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा कि किस प्रकार से राज्यपालों के पद का दुरूपयोग किया गया। अनेकों कमीशन बने, स्टेट-सेंटर रिलेशनशिप को लेकर सरकारी कमेटी भी वर्ष 1988 में बनी थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, बहुत कुछ प्रस्तावित किया था, जिससे कम से कम जो राज्यपाल हैं, उनका राजनीतिक दुरूपयोग न किया जा सके। हमारे पास पिछले 9-10 सालों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से राज्यपालों को इस्तेमाल कर अपने विरोधी दलों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया गया है। सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल-स्टेट रिलेशनशिप वर्ष 2010 में बनी थी और उस समय पुंछी कमीशन बना था। उसके पहले वर्ष 2002 में वेंकटचलैया कमीशन बना था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थीं कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए। जिस समय पुंछी कमेटी वर्ष 2010 में बनी थी, उस समय उन्होंने कहा था,

"That the Commission argued that the Central Government should adopt strict guidelines as recommended by the Sarkaria Commission."

सरकारिया कमीशन ने क्या-क्या चीजें कही थीं? उसमें उन्होंने कहा था

"The Governor should be an eminent person from outside the State."

अभी हमने एक उदाहरण देखा है कि स्थानीय व्यक्ति को जो उसी प्रदेश के हैं, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। दूसरा उन्होंने कहा था,

> "Must not have participated in active politics at least for some time before his appointment."

I do not want to take any name, but we have seen in these last few years that politicians who had been Ministers were made Governors straightaway and a lot of Governors had left their position as Governors and became Ministers directly. उनका केवल इतना ही कहना था, "

> "Must not have participated in active politics at least for some time before his appointment. He should not also be connected with the politics of the State."

आप उस राज्य के व्यक्ति को ही वहां का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं, तो यह तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति वहां की स्थानीय राजनीति में भाग लेता होगा। इसको यदि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि इस पद का राजनीतिक दुरूपयोग करना।

एक चीज और है, जिसमें आपका भी नाम है और यह सुझाव बड़ा अच्छा था।

> "The Governor should be appointed in consultation with the Chief Minister of the State, the Vice President of India and the Speaker of Lok Sabha."

लेकिन शायद आजकल कुछ ऐसी विकृतियां राजनीति में आ गयी हैं, जिन दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, उनमें इस पद का दुरूपयोग किया जा रहा है।

> "Must not be eligible for any other post after the time of his tenure; should receive some post retirement benefits."

ये सारी चीजें उस समय सरकारिया कमीशन ने वर्ष 1988 में कही थी, जो पुंछी कमेटी ने वर्ष 2010 में रिकमेंड करके स्ट्राँगली कहा था। जब कभी भी इस प्रकार के पदों का दुरूपयोग होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उनका कार्य गैर-राजनीतिक होता है। जब हम अलग-अलग राज्यों में उनका उपयोग करते हुए देखते हैं कि राजनीतिक ढंग से वहां की सरकारें आपकी नहीं है, तो उसके विरूद्ध उनको खड़ा कर उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से

यह अनुरोध होगा, उस जमाने में आप जानते हैं कि पहले हमें आजादी मिली, आजादी के बाद समय निकलता चला गया, अब एलायंसेज की सरकारें बन रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब अलग-अलग रीजनल लोग और पार्टियां बाहर निकलकर आती हैं, तब यह आवश्यक हो गया है कि इन पदों को हम गैर-राजनीतिक रखें। जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर सरकार बैठकर निर्णय ले और जब कभी भी किसी को गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, हमने यह भी देखा है कि जब इन लोगों को बनाया गया तो उनके बारे में ये चीजें भी सामने आयीं कि किसी के नाम से जमीन की गड़बड़ी थी, किसी के नाम से बैंक बैलेंस की गड़बड़ी थी, तो जब कभी कोई इस पद पर मनोनीत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि सरकार इन सभी चीजों को देखे।

ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दाग लगा हो, वह व्यक्ति इस पद पर न जाए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। वे हमारे कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को संभालने के लिए होते हैं। यह सूत्र है - राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में। The Governors are basically the agents of the Central Government or rather appointed by the hon. President of India. Hence I feel that these positions should not be used politically. ये कुछ बातें हमारे सामने थीं।

मैं सरकार से सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिस समय वे गवर्नर के पद से रिटायर होंगे, तो उनको एक स्टाफ मिलेगा, जिसको 28 हजार रुपए मिलेंगे। बिल में कहा गया है कि अगर पुनः वे एम.पी., एम.एल.ए. या मिनिस्टर बन जाते हैं, तो यह जो सुविधा है, उनसे वापस ले ली जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वे गवर्नर थे, गवर्नर के पद से हटे, मेम्बर ऑफ पार्लियामोट बनें, वे एक सैशन या दो सैशन तक रहें, तो फिर हमारी जो पेंशन है, वह मिलेगी। क्या पेंशन के साथ स्टाफ का भी पैसा उनको मिलेगा? क्योंकि इस चीज में यह क्लीयर नहीं है। यदि हम मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है। हम चुनाव हार जाते हैं। हम दो टर्म तक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहें, तो हमें एक मुश्त पैसा पेंशन के रूप में मिलता है।

मैं केवल इतना जानना चाहूंगा कि जो लोग गवर्नर रहें, फिर अगर वे सांसद या एम.एल.ए. बन गए, और उनको चुनाव हारने के बाद या रिटायरमेंट के बाद या अपने पद को छोड़ने के बाद पेंशन मिल रहा है, तो क्या तब भी पेंशन के साथ उनको यह 28 हजार रुपए प्रतिमाह जो उनको दिया जाएगा, क्या उनको मिलेगा?

बाकी मैं इसके समर्थन में मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि वह बिल ले आए। लेकिन अंत में मेरा आप से यह अनुरोध रहेगा कि सरकारिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो वर्ष 1988 में आई है, जिसके विषय में, मैंने आपके सामने पढ़ा है और पुनः पूंछी कमेटी ने वर्ष 2010 में सेन्ट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स पर कहा है और नेशनल कमीशन टू रिव्यू फॉर वर्क ऑफ कांस्टीट्यूशन-2002, वेंकट चलैय्या कमेटी ने भी जो रोल ऑफ गवर्नर के लिए कहा है, उसके ऊपर सरकार जरूर गंभीरता से सोचेगी और इस पद का राजनीतिकरण खत्म करेगी।

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि अभी आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill 2012 पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी ने भी बिल का स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि सदन में आज जो एक शुरुआत इस बिल के माध्यम से हुई है, सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज जो श्री राज्यपाल के रूप में रहते हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके रिटायरमेंट के बाद न उनको पेंशन की और न किसी पोस्ट बेनिफिट की, कोई सुविधा अभी तक उनको उपलब्ध नहीं हुई है। श्री राज्यपाल का दायित्व कितना महत्वपूर्ण है, उनके पास कम से कम एक्जेक्यूटिव पावर्स हैं, लैजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके डिसक्रिशनरी पावर्स हैं। आज आर्टिकल 153 में संविधान यह व्यवस्था करती है कि हर स्टेट में एक श्री राज्यपाल की नियुक्ति होगी और उनमें पूरे राज्य का जो एक्जेक्यूटिव पावर है, वह आर्टिकल 154 में निहित रहेगा। राज्यपाल जब उस एक्जेक्यूटिव पावर को उस एडवाइस के साथ, एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करते हैं, जो आर्टिकल 164 में है, और वह हमेशा एड एंड एडवाइस राज्यपाल को होता है और जो भी सरकार कार्य करती है, राज्यपाल के प्लेजर पर कार्य करती है। हाउस को समन करना हुआ, हाउस को प्रोरोग करना हुआ, कोई भी अगर बिल पारित होगा तो उस बिल को जब तक गवर्नर का असेन्ट नहीं होगा, तब तक कानून नहीं बन सकता है। अगर सदन सत्र में नहीं है, जनहित में कोई आवश्यक कानून बनाना है तो अध्यादेश के माध्यम से उनमें वही शक्तियां निहित होंगी जो विधेयक में निहित होती हैं। अध्यादेश बनाने का भी अधिकार श्री राज्यपाल को है। उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। स्वाभाविक है कि जनता के हितों में जो कानून बनाने का काम करें, असेम्बली को समन करने का काम करे, प्रोरोग करें।

उनके पास डिसक्रिशनरी पावर भी है कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका ने भी सजा दे दी है, उसके बावजूद राज्यपाल अपने विवेक से इस बात को महसूस करते है कि उन्हें क्षमा दान दिया जा सकता है, तो इस देश में पार्डन करने की शक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे केवल मंत्री या नेता सदन ही लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी लाभान्वित होंगे, उनके पति गवर्नर थे। मैं कह रहा हूं कि इससे आप भी लाभान्वित होंगे। आज आप मंत्री हैं लेकिन जब कभी गवर्नर बनेंगे तो स्वाभाविक है कि आज जिसकी आप शुरूआत कर रहे हैं, वह आपको लाभ देगी कि कम से कम आपके पास सैक्रेटेरियल सर्विस रहेगी। निश्चित तौर से आपने अपने को छोड़ दिया।

अभी मेरे साथी ने कहा कि गवर्नर के रूप में भूमिका निभाने पर राज्यपाल जो कौन्सटीट्यूशनल हैड है, स्टेट का हैड है, जिस तरह उन्हें अपनी भूमिका निभाने में पैराफर्निलिया है, रिटायर होने के बाद उनके पास पीए न हो, प्राइवेट सैक्रेटरी न हो। हमने राज्यपालों को रिटायर होने के बाद देखा है। लखनऊ में वे रिक्शे से आते हैं। हमने गोरखपुर में देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जिन परिस्थितियों में देखा है, मैं समझता हूं कि इससे सदन सहमत होगा कि राज्यपाल को रिटायर होने के बाद केवल एक पीए की सुविधा न दी जाए बल्कि उन्हें और उनके परिवार को मेडिकल फैसीलिटी भी दी जाए। इस बिल में कहा गया है कि अभी केवल जो हैल्थ मिनिस्ट्री तय करती है, राज्यपाल को वही मेडिकल सुविधा प्राप्त है। उसमें अभी भी कोई खास सुविधा नहीं है। गवर्नर के परिवार को कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। इसमें उसे जोड़ने की बात भी की जाए। आज इस सदन के सदस्यों को पैंशन मिलती है, विधान सभा के सदस्यों को पैंशन मिलती है, लोक सेवक कर्मचारी, अधिकारियों को मिलती है तो राज्यपाल की पैंशन भी मुकरर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह सदन हर बार साक्षी बने कि जो राज्यपाल रह चुका है, वह संसद सदस्य या विधायक बनकर आता है। राज्यपाल रिटायर होने के बाद प्राय: एक्टिव पॉलिटिक्स या किसी और भूमिका में नहीं रहते। उनके लिए पैंशन या आवास, अगर आप राज्यों में मुख्य मंत्री थे तो पूर्व मुख्य मंत्री होने के बाद बंगला मिल जाएगा, सैक्रेटेरियल स्टाफ मिल जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी।...(व्यवधान) मैं और मुख्य मंत्रियों के बारे में कह रहा हूं, अपनी सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) यहां नेता, प्रतिपक्ष बैठी हों, शरद यादव जी बैठे हों, यह कहना कि जो राज्यपाल नियुक्त होता हो, वह एक्टिव पॉलिटिक्स में कुछ वर्षों से न रहा हो, इतिहास गवाह है कि देश में आज भी सिविल सर्वेंटस भी लेफ्टिनैंट गवर्नर होते हैं और पब्लिक लाइफ के लोग भी गवर्नर होते हैं। किसी भी पक्ष का कोई नेता, कार्यकर्ता या जनता हो, अगर राज भवन के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले होंगे तो पोलिटिकल बैकग्राउंड के, किसी भी पार्टी के लिए गवर्नर के दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए यह कहना कि अगर कोई पोलिटिकल व्यक्ति है तो वह अछूत हो

जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसका मतलब राज भवन या जितनी इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जब आईएएस, आईपीएस रिटायर हों तो हम उन्हें एक्सटैंशन दे दें। पदों को महिमा मंडित करने के लिए 60 वर्षों के बाद 5 साल का एक्सटैंशन केवल सिविल सर्वैंट्स को दें, मैं इससे कदाचित सहमत नहीं हूं। उसमें एक प्रतिस्पर्धा है। आज राज्यपालों की नियुक्ति में सिविल सर्वैंट्स, आईएएस, आईपीएस, तमाम एक्सपर्टीज लोग हैं और पोलिटिकल बैकग्राउंड के लोग भी हैं। सुषमा स्वराज जी की पार्टी ने या तो तय कर लिया है कि भविष्य में कभी सत्ता में नहीं आना है, इसलिए राज भवनों में ब्यूरोक्रेट्स ही नियुक्त हों, किसी पोलिटिकल व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो मैं उनकी पार्टी को इस सोच और दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल बधाई दूंगा अन्यथा मैं समझता हूं कि इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रजातांत्रिक प्रणाली से बेहतर कोई प्रणाली नहीं है। चाहे कोई राजभवन में बैठा हो, आखिर उसी की सरकार होती है, वह कहते हैं कि हमारी सरकार यह कर रही है। उसकी सरकार किसके प्रति जवाबदेह है - वह जनता के प्रति जवाबदेह है। जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही हो, आज वह राज्यपाल रिटायर होने के बाद किन परिस्थितियों में हैं। आज हमने एक शुरुआत की है कि उन्हें सैक्रेटेरिएट में एक पीए देंगे। प्राइवेट सैक्रेट्री भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है कि हम क्रिटेरियेट में उनको अभी केवल एक पीए (पर्सनल असिस्टेंट) देंगे, लेकिन उसे भी रीएम्बर्स करेंगे। आखिर पीए को कितना दिया जायेगा, क्योंकि सारे रिटायर्ड राज्यपालों पर जो खर्चा दिखाया गया है -

It says:

> "In order to implement the aforesaid provision it is estimated that an approximate amount of rupees one crore ninety-five lakh per annum would be involved."

मतलब पूरे देश में 1 करोड़ 95 लाख रुपये का खर्च आयेगा। उसमें से उन लोगों के लिए कितना रीएम्बर्स होगा, इसे भी कम से कम माननीय मंत्री जी क्लीयर करें। आपने यह बहुत अच्छी शुरुआत की कि राज्यपाल को कम से कम एक पीए की फैसीलिटी दी। आज भी रिटायर होने के बाद वे राज्यपाल सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन न उनके पास कोई साधन है, न कोई मेडिकल फैसीलिटी है, न रहने की कोई फैसीलिटी है, जबकि क्लॉज फोर के सैक्शन 13 में जिसे आज हम अमेंड कर रहे हैं, उसमें केवल पोस्ट बेनीफिट्स के नाम पर उनको एक पीए देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने एक अच्छी शुरुआत की है, तो आगे इस पर कुछ और विचार करें जिससे हम काम करें, क्योंकि आज उनको कहने के लिए ही यह है। आज उनके पास हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने की पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जजेज की जो नियुक्ति होंगी, वह राष्ट्रपति, राज्यपाल से

कंसल्ट करते हैं। आप अगर भूमिकाएं देखें, मैं अगर सभी आर्टिकल्स की बात करूं, जैसे आर्टिकल 175 में जिस तरीके से गवर्नर या राष्ट्रपति सदनों को समवेत्, सम्बोधित करते हैं या आर्टिकल 176 में अगर कोई स्पेशल एड्रैस हो, तो उसे गवर्नर करते हैं या किसी बिल को चाहें, तो उसे करते हैं। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हर महीने, सरकारिया आयोग ने क्या कहा है? स्टेट-सैंटर रिलेशन्स को डिफाइन किया है। स्टेट-सैंटर में आखिर फेडरल स्ट्रक्चर में आज जिस तरीके से लगातार भारत सरकार तमाम पैसा दे रही है। हमने तो नहीं कहा कि हम एनआरएचएम में पैसा दे रहे हैं, उसका राज्य में कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज सर्वशिक्षा अभियान में हम पैसा दे रहे हैं, उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज जिस तरीके से भारत निर्माण में, तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम राज्यों को बहुत पैसा दे रहे हैं। उसके बावजूद राज्यों को उस पैसे का जो सदुपयोग करना चाहिए, केवल एक यूसी आ जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट आ जाता है। आज यह विषय नहीं है कि हम यह आलोचना करें कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजते हों, प्रधान मंत्री जी को भेजते हों, होम मिनिस्टर को भेजते हों, वाइस प्रेजीडैंट ऑफ इंडिया को भेजते हों, तो कम से कम राज्य सरकारों का यह अहसास होता है कि कम से कम जो भी रिपोर्ट, चाहे लॉ एंड आर्डर की हो, डेवलपमैंट की हो, ड्राउट की हो या फ्लड की हो, उन सारी ओवरऑल सिचुशन्स में राज्यपाल की एक भूमिका होती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कदाचित् मुझे उसे विस्तार से कहने की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा बिल है। मैं इसका समर्थन करता हूं। पूरा सदन इसे सर्वसम्मत से समर्थन करेगा। यह एक अच्छी शुरुआत है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक देखा गया कि यह अधिनियम 1982 का संशोधन है। माननीय मंत्री श्री आर.पी.एन.सिंह जी इसे लेकर आये हैं। बहस शुरू होने से पहले माननीय मंत्री जी मना भी कर रहे थे कि इस बिल पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर यह बिल है, तो इसमें क्या खामियां हैं, क्या संशोधन होना चाहिए, वह विचार मेरे ख्याल से सर्वसम्मत से प्रतिपक्ष या पक्ष की तरफ से आता है, तो उसका अनुपालन करना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस संशोधन विधेयक पर अपनी राय रखी है जिसमें महामहिम राज्यपाल की उपलब्धियां, उनके भत्ते, जो सुविधाएं हैं और उनके विशेषाधिकार पर उन्होंने विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी है। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने अपनी बात रखी। यहां पर आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। पाल साहब, जैसा आप कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ऐसी बात आयी है। यदि राजनीतिक परिदृश्य देखें, तो पूरे देश में गठबंधन की सरकारें बन रही हैं।

आज आपकी सरकार है, कल प्रतिपक्ष की सरकार भी आ सकती है। हमेशा यह देखा गया है कि जिसकी भी सरकार केंद्र में रही है, वह अपने लोगों को राज्यपाल बनाने के लिए सिफारिश करती है। जहां तक महामहिम राज्यपाल के जीवन का या उनके कार्यकलापों का विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाए या उनके कार्यक्षेत्र पर गहन अध्ययन किया जाए, वे किन-किन पदों पर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से परिदृष्य में वह बात आ जाती है। अक्सर देखा गया है कि कई जगहों पर महामहिम राज्यपालों की जो भूमिका रही है, वह कहीं-न-कहीं विवादास्पद रही है। कुछ राज्यों के उदाहरण हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकारिया आयोग की सिफारिशें हैं, चूंकि बहुत-से हमारे सम्मानित सदस्यों ने धारा-उपधारा का भी उद्‌बोधन किया है कि उसमें ये-ये बातें रखी गयी हैं। लेकिन यदि कहीं भी उसमें अच्छी सिफारिशें हैं, तो उसे मानना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो राज्य हैं, संघीय ढ़ांचे में राज्यों को अपना अधिकार दिया गया है। कहीं-कहीं पर राज्यों पर ऐसे विवाद खड़े हुए हैं, जहां पर राज्यपाल महोदय ने पूरे तरीके से राजनीतिक विद्वेष की भावना से एकपक्षीय, केंद्र सरकार के इशारे पर काम किया है। उन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए, देखा जाए तो सरकारिया आयोग ने उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी दी है, कुछ सिफारिशें भी दिये हैं, उसे हमें मानना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ न कहकर, इतना ही कहना चाहूंगा कि जो तमाम विचार आये हैं और माननीय मंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह जी, जो इस बिल को लेकर आए हैं, मैं पुरज़ोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरे ख्याल से इस बिल को सर्वसम्मति से पास होना

चाहिए। चूंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, राज्यपाल भी बदलते रहते हैं। राज्यपाल का पद निर्विवाद होता है। निष्पक्ष तरीके से वे राज्य में विकास के कामों को देखते हैं और राजनीतिक गतिविधियों को भी देखते हैं। मैंने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोगों की तरफ से जब राज्यों में इस प्रकार की गड़बड़ियां आती हैं, तो वे ज्ञापन देने जाते हैं। अपनी बात कहते हैं। उसके माध्यम से वे केन्द्र सरकार को या महामहिम राष्ट्रपति को भिजवाते हैं। यह एक प्रक्रिया है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं, अंग्रेजों के समय में जो संविधान में संशोधन हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, उस परिपाटी को समाप्त करते हुए, हमें भारतीय राजनीतिक परिवेश में बदलाव लाना है, तो वह होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और संविधान में जो परंपराएं हैं, उनको कायम रखते हुए, इस पद की महत्ता को हमें कायम रखना है। इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैंने जो सारी बातें कही, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं निवेदन करना चहता हूं कि देश की आज़ादी के साथ, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जिस सादगी के साथ, जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की, मुझे मालूम है कि कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली के लोग तनख्वाह घटाते थे। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि आज तनख्वाह नहीं बढ़ने चाहिए, भत्ते नहीं बढ़ने चाहिए, लोगों की हैसियत ऊपर नहीं उठनी चाहिए आदि। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह आज राज्यपाल और राष्ट्रपति जी हैं, उनके वैभव को देखकर, मुझे लगता है कि जिस बुरी स्थिति में देश है, वह कभी अच्छी स्थिति में नहीं आया। एक बड़ी आबादी है, जो रोज़ रोटियों को तरसती है। अब यह वैभव जो हमने पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि यह वैभव हमने किस बात के लिए किया है? जनता को डराने के लिए किया है? किसलिए किया है? देश की संसद, जो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं सरकार से कहूंगा कि एक पेपर ले आएं कि ...* भवन पर जो खर्च हो रहा है और इस पर जो खर्च होता है, उसकी तुलना कर लें। क्या जरूरत है इतने वैभव की, इतने कर्मचारियों की? ये लोग गवर्नर बनते हैं। बीजेपी के एक मित्र कह रहे थे कि गवर्नर पोलिटिकल पार्टी से नहीं बनना चाहिए। यह ठीक बात है। मेरी पक्की राय है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, जो आपने टिप्पणी की है, उसको मैं मिटवा रही हूं।

श्री शरद यादव : यह ऐसी टिप्पणी तो नहीं है, जिसे मिटाना पड़े। पहले इस विषय पर इतनी बहस हो चुकी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :आपने उनका नाम लिया है।

---

* Not recorded.

श्री शरद यादव : इस मामले में पहले कितनी बहस हुई है। मैं पिछले रिकॉर्ड उठाकर दे दूंगा आपको।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह विधेयक राज्यपाल के बारे में है।

श्री शरद यादव : आपकी मर्जी है, आप निकाल दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने नाम लिया है।

श्री शरद यादव : मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री शरद यादव : उतने कर्मचारी पार्लियामेंट में नहीं हैं। यहां पर खाने के खर्चे को मीडिया वाले लोग दे रहे हैं। अरे, खाना क्या अकेले एमपी लोग खा रहे हैं। एमपीज से ज्यादा स्टाफ यहां होता है यानि निश्चित तौर पर हमारे बारे में आलोचना हो, हमको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसकी आलोचना हो, मैं बढ़ाने के हक में नहीं था। इसकी आलोचना हो, लेकिन बिल्कुल टारगेट करके केवल राजनीतिक लोगों को हर तरह से डिग्रेड करना, उनकी अवमानना करना, लेकिन जो वैभव पर खर्च हो रहा है, हमने जो सफेद हाथी पाल रखे हैं, मैं किसी व्यक्ति या संस्था के लिए नहीं कह रहा हूं, उनकी जरूरत नही है। इसकी जरूरत नहीं है। इसको तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको कई जगह के उदाहरण देना चाहता हूं, एक जगह एजुकेशन का सारा मामला गवर्नर के हाथ में है। एक सूबे में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पैसे लेकर वाइस-चांसलर एप्वाइंट कर दिए गए। यह अधिकार चुने हुए लोगों का है, आपको वहां बैठाया गया भारत के संविधान की रक्षा के लिए। यह वैभव है। हम लोग आज बुरी हालत में हैं। पहले दिन से भी बुरी हालत में हैं। आजादी के बाद जो लोग बने थे, उनकी सादगी, उनका रहना, उनका तरीका हमने देखा है। हमने मोरार जी भाई को देखा, हमने बाबू जी को देखा है, चौधरी चरण सिंह को देखा, ये बड़े-बड़े लोग थे और ऐसे लोग थे कि उनके जीवन में इतनी सादगी थी कि उस सादगी का सम्मान था, इज्जत थी, हैसियत थी, आज भी है। गवर्नर के बारे में आज आप उनकी तनख्वाह, सुविधा वगैरह बढाना चाहते हैं, मैं उससे सहमत हूं। अध्यक्ष जी, सोनिया जी यहां बैठी हैं, मेरा पक्का मानना है कि जो अफसर लोग हैं, राजनीति से बाहर के लोग हैं, उनको गवर्नर बनाने का जो सिलसिला चला हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। गलती तो सब करते हैं, लेकिन आप सर्वे कर लीजिए कि जो राजनीतिक आदमी गवर्नर बने हैं, उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, जो ब्यूरोक्रैट्स गवर्नर बनाए गए, उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया है। यहां उम्र भर सेवा करते हैं, लोग कितनी बार एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाते हैं और सेवा में लगाने के बाद चौबीस घण्टे हर तरह की आलोचना के शिकार होते हैं। उनकी राजनीति में सेवा करते हुए

पूरी उम्र चली जाती है। उन लोगों के लिए आपने यह एक पद बनाकर रखा है, जिसके हक में मैं नहीं हूं, लेकिन बनाकर रखा है, तो किसी राजनीतिक आदमी को, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, हैसियत देने की, सुकून देने की जगह है। अब आप उस पद पर ब्यूरोक्रैट्स का बैठा रहे हैं। जो ब्यूरोक्रैट पहले एक चाय पिलाने को तैयार नहीं है, वे लोग जाकर गवर्नर बने हुए हैं। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, दूसरे तरह के लोग हैं, वे कभी एक चाय नहीं पिला सकते हैं। हम लोगों को बगैर चाय पिलाए ही वापस भेज दिया जाता है और यहां तक कि पानी तक नहीं पिलाते। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक आदमी बोला कि साहब मैं आपके यहां गया था, लेकिन वहां कोई पानी देने वाला नहीं था। मैंने कहा कि अजब बात है, मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि क्यों नहीं पूछा और पानी पिलाने में क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है। हमसे कैफियत पूछी जाती है तो यह कोई खराब बात नहीं है। हम लोग कोई चाँद से तो नहीं आए, कोई ऐसी विशेषता नहीं है। जैसे देश के अन्य लोग हैं, वैसे ही हम हैं। हमें भी पानी चाहिए, हवा चाहिए।

आप गवर्नर्स की तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल राजनैतिक लोगों को बनाएं। राजनैतिक लोगों ने अगर खराब काम किए भी हैं तो उन्हें सराहा नहीं गया और उन्हें बंद कर दिया गया। जैसे कर्नाटक सरकार और एस.आर. बोम्मई का केस था, उसके बाद कोई राज्यपाल किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने से पहले सौ बार सोचता है। बरनाला साहब इतने समय से राज्यपाल रहे हैं, लेकिन कोई उनके बारे में अंगुली नहीं उठा सकता। वह यहां भी काफी समय तक मंत्री रहे हैं। राज्यपाल के रूप में रहते हुए उनकी एक भी शिकायत नहीं आई। मैं और लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं कि जो राजनैतिक लोग राज्यपाल बने हैं, उन्होंने सक्षम और सही तरीके से राज्यपाल पद को निष्पक्षता से निभाया है। राज्यपालों पर जो इतना भारी खर्च होता है, चाहे राष्ट्रपति जी हों या राज्यपाल हों।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): राष्ट्रपति जी का नाम न लें।

श्री शरद यादव : ठीक है उनका नाम नहीं लेते। मैंने इसलिए नाम लिया कि सांसदों के खाने तक के बारे में चर्चा होती है। मैं आर.पी.एन. सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि राज्यपालों पर जो खर्चा होता है, उसे सदन के सामने रखें कि देश के सारे राज्यपालों पर कितना खर्च होता है। शरद पवार जी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी का नाम न लाओ, तो हम उनकी बात को मानते हुए उनका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन राज्यपालों पर इस देश का कितना खर्च हो रहा है, वह तो बताएं। जिससे पता चल सके कि गरीब देश पर कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है। यह एक ऐसा बोझ है कि इनका काम सिर्फ दस्तखत करना ही है, इसलिए इन्हें बिठाया गया है। जबकि इनका वैभव ऐसा है कि साधारण व्यक्ति तो क्या हम जैसा व्यक्ति भी राज्यपाल से नहीं

मिल पाता है। आम आदमी तो उनका वैभव देखकर ही डर जाता है और फिर सोचता है कि कौन वहां जाकर माथा मारे।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि उन्हें थोड़ी सुविधा बढ़ाने के लिए सदन में लाए हैं, लेकिन एक बात जरूर बताएं मंत्री जी कि इन पर कितना खर्च होता है। इस बारे में आप अपने अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि इन पर कितना खर्च होता है। यह फालतू स्टाफ है, वहां सिर्फ स्टाफ ही नहीं, फौज के आदमी तक खड़े रहते हैं। ऐसा रहन सहन है इनका कि लगता है जैसे कोई लाट साहब आ गया हो। पहले हम राजाओं को लाट साहब बोलते थे, अब इन्हें बना दिया गया है। इसलिए यह कोई ठीक बात नहीं है। इन्हें सादगी की तरफ लाएं। देश सादगी की तरफ आएगा तो जनता में भी भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज की तरफ असर होगा। जिस व्यक्ति का नैतिकता से जीवन बीता हो, उसकी बात का असर होता है।

मेरी आपसे विनती है, सोनिया जी ने ऑस्टेरिटी पर अभियान चलाया था, लेकिन वह बंद है। आप सबके लिए चलाएं, यहां भी चलाएं, सब तरह के लोगों के लिए उसकी पालना कराएं। मेरी सरकार से विनती है कि जो बिल यहां पास करने जा रहे हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। हम इस पर और भी कहना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष जी आपने इशारा किया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, तो मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राज्यपालों पर जो खर्च हो रहा है, वह हम कहां से लाएंगे, इतने बड़े हमारे हाथ नहीं हैं कि इतना भारी खर्च इन पर बर्दाश्त कर सकें। इसलिए आप यह बताएं कि इन पर कितना खर्च होता है, नहीं फिर कभी न कभी इस मामले को उठाया जाएगा।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012. I am largely in agreement with the spirit, if not the words, of hon. Sharad Yadav ji. I do feel that the Office of the Governor is an anachronism in a modern day democracy. But, I do not agree with him when he says that politician should be made Governor. I want to know whether a politician, who has any touch with the people, would like to go to a gilded cage that the Governor is in. He has no power. It is, maybe, a retirement benefit, he has no power; he has very little say. And, no active politician, who wants to keep touch with the people, would like to go as Governor if he has a choice. That is what I feel.

It is almost 63 years, since we had the Constitution. We have had two Commissions and one Committee to look into the working of the Constitution – the Sarkaria Commission, the Punchhi Commission and the Venkatachaliah Committee. It is time to take a fresh look into the Office of the Governor as to whether it is in consonance with the spirit of modern democracy. Till that is done, we shall have to ensure that the Governor stays within the framework, that is, he does not do anything beyond what is prescribed by the Council of Ministers.

He has limited power. The only thing is that in a hung Assembly, he can call somebody to be the Chief Minister. Then, if a Bill is sent to him, he can give his assent, withhold his assent or reserve the Bill for the assent of the President. According to the Constitution, he has certain powers to grant pardons, but I see that most Governors do not do the basic duty assigned to them. Madam, I will give you an example. Clause 3 of the Fifth Schedule - Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes - says:

> "The Governor …. shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive

> power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas."

Today, the Scheduled Tribe Areas of the country, especially in the Central India, are hotbeds of Maoism, extremism and people who want to overthrow the State by force of arms. I want to know from the hon. Minister how many Governors from these Maoist-affected States have given reports to the President regarding the administration of these areas. The Scheduled Areas are being trampled upon by the multinationals who want to exploit them for getting the minerals. What role has the Governor played according to the Constitution in administering these areas?

Nobody will grudge an ex-Governor the grant of a personal assistant. The total cost is only Rs. 1.95 crore whereas the total expenditure of the Central Government has crossed Rs. 10,00,000 crore. So, this is pittance, chicken-feed. Nobody objects if you give an ex-Governor a good personal assistant. Let him write his memoirs with the help of the personal assistant, but it is time that the Government, in its last year of office, takes some look at the recommendations about the appointment and functioning of Governors given by various commissions.

Even at the time of Constitution-making, it was suggested in the Draft Constitution that the Governor should be an elected post, but ultimately when the Constitution was passed, the 'elected Governor' was not adopted. But now there is constant difference as to the manner of appointment of the Governor. We would like the Governor to be appointed compulsorily in consultation with the State Government. If you see, Madam, the Sarkaria Commission, it recommended to make the consultation with the Chief Minister compulsory. It was appointed by late Shrimati Indira Gandhi. The Central Government did not accept the recommendation of the Sarkaria Commission in 1980. Sarkaria Commission had also laid down certain basic conditions for appointment as Governor, like he might

not have participated in active politics for some time, should not be connected with the local politics of the State and should be appointed in consultation with the Chief Minister of the State, the Vice-President and the Speaker. The Sarkaria Commission made a specific recommendation as to the power of the Governor in reserving the Bills passed by the Assembly for the President's assent.

Now, the Venkatachaliah Commission also gave certain recommendations. They said that there should be a time limit within which the Governor should take a decision whether to grant assent or to reserve it for the consideration of the President. We have not followed the Report.

Then, again, Punchhi Commission said that Governors should be given a fixed tenure of five years. A Governor who is to be reprimanded or removed for whatever reasons is given an opportunity to defend his position. Many a time, when political change takes place, the Governor is removed, but he is not given an opportunity to defend himself. It also recommended on the Governor's power to give assent to the Bill or not.

Now, there have been great Governors in this country. In our State, we had a Governor called Harendra Nath Mukherjee, an Educationist, who was from our State. Normally, a Governor is not appointed from within the State. But Harendra Nath Mukherjee proved to be a great Governor. We had a great Governor in a person of Prof. Nurul Hasan, an eminent Educationist. Recently, we had Gopal Krishna Gandhi, Gandhiji's grandson, who wrote a Book on "*Gandhi and Bengal*", which is a valuable addition to Gandhiana.

But there are also Governors who are retired bureaucrats. For instance, in one State in the South, which is a troubled place, there is a Governor who is from that State itself and he has done nothing to douse the fires there. He has been given extension again, the same man, who is a former IB official.

Now, we must be a little careful in our choice of Governors so that they earn respect of the people of the State to which they are sent. They are not to be

cocooned in the cage that the Raj Bhawans are. It is high time to consider whether the Governor should occupy such huge areas which can put to use for children and for common people. In Kolkata, right in the heart of the City, we have a 200-year old Raj Bhawan. Now, can that Raj Bhawan not be put to better use? Can the Governor not be given a more functional house? It is even difficult to keep that Raj Bhawan neatly.

We have been free sixty-six years ago. The Constitution has been enacted sixty-three years ago. It is time that we get rid of the symbols of the Raj. Let the Governors vacate the gilded cages of the huge Raj Bhawans which they occupy, which were built by the Raj for enforcing the Empire on the people of India.

With these words, I support the Bill.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you, Madam, for giving me a chance to speak on this Bill.

Now, this Bill seeks to give secretarial assistance to the former Governors. We have no objection to that. But I would like say something, though many speakers have already talked about it, about the appointment and the role of the Governor. Here, in this House, every speaker has talked about the recommendations made by the Sarkaria Commission, the Venkatachaliah Commission and the Punchhi Commission. I would like to again reiterate that what had been recommended by the Sarkaria Commission had been even supported by the Supreme Court. As you know, Madam, a Five-Member Bench under the leadership of Justice Y.K. Sabharwal also supported the view that the recommendation of the Sarkaria Commission should be implemented.

What did the Sarkaria Commission recommend? It said: (a) that the Governor should be an eminent person in some walk of life; (b) a person outside the State and not connected to the politics of that State; and (c) not taken great part in politics, particularly in the recent past. The Sarkaria Commission also said, and this is very important, Madam, that it is not desirable that a politician from the ruling party or the Union is appointed as a Governor of a State run by the Opposition. This is very important. But what is our experience under the present UPA Government or even when the NDA Government was in power? The same thing happened. They are now talking about the implementation of the recommendations made by the Sarkaria Commission. But when the NDA was in power, and now the UPA is in power, both of them have appointed politicians for getting political mileage in different States.

That is why, when the Left Front Government in West Bengal was in power, they have made some concrete proposals particularly regarding the implementation of the Sarkaria Commission telling that before appointing a Governor to a State, there must be a consultation with the Chief Minister. Even the then Chief Minister of West Bengal Jyoti Basu sent a letter to the Centre telling that the States should send three names and out of which the Central Government should recommend one name as the Governor of State. That procedure should be adopted. Otherwise, what will happen is that the active politicians will be appointed as Governor to the States ruled by the Opposition or bureaucrats will be appointed as Governors and bureaucracy will show allegiance to the Ruling Party so that they can also get the post of Governor and the real essence of the democracy of India will be marred.

I would again request the Government to rethink whether there is any necessity for the post of Governor. The time has come to discuss and think about it whether the post of Governor should exist or not particularly in consideration with the Centre-State Relations. I would request the hon. Minister who is present here and who has presented the Bill to think all these things so that the post of Governor is not used for getting political mileage and also to think about the necessity of keeping the post of Governor. Even if the Government wants to keep the post of Governor, the Central Government must discuss with the Chief Minister and also with the Speaker, the Vice-President as was recommended by the Sarkaria Commission and the Governor should be made from among the eminent persons.

With these words, I again support that secretarial assistance should be given to the ex-Governors. I conclude my speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I would not like to take too much time of this House on a seemingly trivial issue such as the Governors Emoluments Allowances & Privileges (Amendment) Bill, 2012. Like many of the hon. Members who have spoken earlier, have quoted Commissions and not many have quoted omissions. But it is unfortunate that we are still stuck with the colonial legacy such as the Governors. The utility of Governors *per se* has been challenged, has been questioned over a long period of time and it has been questioned even today. Most of the Governors behave as the *Subedars* of the Mughal times. Over a period of time, we have seen that most Governors have been appointed from the party which is in power whichever side it is. I am not exonerating any side. That shows the basic intolerance of our democratic system. There is absolutely no consultation. It is only now we hear that a senior Minister present in the House today after a lot of cajoling has been able to get a man from his party to be appointed as the Governor of a comparatively small but well-loved border State. Otherwise, we have had Governors whose direct political involvement or even as bureaucrats or Commanders of the Armed Forces who have never ever shown any excellence in their whole working lives. If this becomes a post as an after-retirement benefit, we also should see the characters of those people. One of the hon. MPs who spoke earlier said that the secretarial service should be offered because then the ex-Governors can write their auto-biography or biography or memoirs. I know of many people if they start writing about their memories and about their past, not only paternity rights but articles published in magazines like 'The Illustrated Weekly of India' or many such articles will come to the fore. I am sure, not many Members are aware of those hideous characters, those people who have managed to write memoirs, how they had been in the past.

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : So, I would request the hon. Minister to also inform the House as to what is the age limit for them. How many Governors do we have now in the Raj Bhavans presently who have crossed the limit of 80 years of age? Do they deserve to be where they are? Would the hon. Minister Shri R.P.N. Singh who is a young and bright Minister, be willing to accept the same people, if the God forbid, ever becomes the Chief Minister of a State, as Governors who will dictate his political career? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Okay, thank you very much.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, I just want one minute. I do not, like everybody, speak. My Party is a prominent Party from Odisha and small in number here. Madam, I would request you to bear with me.

Right now, what we see is that most of the Governors are from one political party. There are people, there are Governors who have taken oath and in their very first speech, they have said, "I have come to this State with a mission." It is a little bit frightening for the people of those States when they hear such statements from the Governors because they are not made aware of what the hidden agenda is. Is it to serve the people? Is the mission to serve the people or is the mission something else, something more sinister? That is what people question nowadays. We have seen in the 1970s and prior to that, when the Kerala Government was once dissolved by the Governor, and also the Punjab Government and Tamil Nadu Government during the Emergency period and later on. We have seen how Governors had behaved. It is time that we actually take a re-look at this whole establishment. This may seem like a small amount of money for the Central Government, it is something sad that we are still stuck with this system. It is time we had a re-look at the very system of Governors.

I would suggest that the post of Governor should be banished, should be removed. If at all, you wish to continue with it, it should be such a thing that the name should come from the Chief Ministers of the States. There should be a discussion with the hon. Speaker, with the Leader of the Opposition, with the Leader of the House of both the Houses and also of other civil society people so that the Governor is a commonly acceptable figure in that State.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we are skipping the lunch hour today.

Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012. This is the only Bill brought by the UPA-II which is non-controversial. I think, nobody is going to oppose this Bill.

This Bill, providing some facilities to the Governors, is really a welcome one. I think, such facilitation should have been extended long ago. But anyhow, it is better late than never. The Governor holds a higher position as per our Constitution. On demitting the office, he or she should enjoy some respectable status and live with dignity till his or her life time.

Hence, providing facilities to the ex-Governors is not only desirable but also essential. Providing an Assistant to the Governors is really very much needed to them. The entire cost will be around only Rs. 2 crore per annum. So, I endorse the features contained in this Bill.

13.00hrs

At this juncture I would like to mention that an important recommendation of the Sarkaria Commission, as mentioned by some of the Members, is that the Chief Ministers of the respective States should be consulted in appointing Governors. Even now in the appointment of some Constitutional posts, the Leader of Opposition is being consulted before such appointments are made. This is the practice now. So, I strongly feel that while appointing Governors to various States, the Chief Ministers of the respective States should also be consulted. It should be made mandatory. My revered leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has insisted very often to follow this procedure so that partisan appointments will not be made.

Constitutional expert Shri K. Munshi once said, “Governor is the watchdog of the Constitutional propriety and the link which binds the Centre to the States thus securing the constituent unit of India”. Governors, therefore, should exercise powers during their tenure with great caution, ability, integrity, nobility and standing.

With that, I support this Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है। गवर्नर जो भूतपूर्व हो गए हैं, उन्हें पीए रखने की छूट हो जाए, यह विधेयक है। माननीय सदस्यों ने राज्यपाल की भूमिका, बहाली, योग्यता, सरकारिया आयोग आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। गवर्नर शब्द जिसे लाट साहब और राज्यपाल कहा जाता है। इनकी नियुक्तियां अंग्रेजी सल्तनत नहीं मुगल काल से होती थी। मैं सोचता हूं कि राज भवन, सैंकड़ों एकड़ जमीन, विशाल महल, गवर्नर का पद नहीं रहने से भी देश, प्रदेश का या गरीब आदमी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारी पार्टी का प्रथम मत है गवर्नर के पद को समाप्त किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह हमें ब्रिटिश रिजीम, पुराने सल्तनत राजतंत्र की याद कराता है। मैं गवर्नर, लाट साहब, महामहिम का रहन-सहन, ठाटबाट और विलासिता संबंधी चीजों को देखता हूं और लगता है कि यह सब कुछ जनतंत्र के विरुद्ध है। जहां इतनी गरीबी है, गैर बराबरी है, उसमें गवर्नर साहब बने रहें, लाट साहब बने रहें, उनके लिए सभी ऐश और आराम की चीजें बनी रहें। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, यह मेरा प्रथम मत है। दोनों तरफ लंबे सिपाही लाठी और भाला लेकर चलते हैं, यह सब दिखावटी लगता है। ये सब क्या प्रदर्शन है? हम जब गुलाम थे उस समय गवर्नर साहब का यह रहन-सहन था। अब गरीब आदमी इसे पसंद नहीं करता है, आम जन इसे पसंद नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि सामान्य तरीके से शासन व्यवस्था चले, फिजूलखर्ची न हो। महात्मा गांधी और जितने महापुरुष हुए हैं, उन सभी का भी यही सिद्धांत और मत था। देश गरीब है और गरीबी अभी हमारी जान नहीं छोड़ रही है। दिखावटी शान शौकत और ठाटबाट से घोड़े का प्रदर्शन होता है, बग्गी आगे होती है। ये सब पुरानी चीजें हैं, इसे खत्म होना चाहिए। आजादी के बाद इन सब चीजों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब जनतंत्र है और जनता ने जनतंत्र का मजबूतीकरण स्वीकार किया है इसलिए जनतांत्रिक भावना के अनुकूल सब काम होने चाहिए।

महोदया, हम गवर्नर के पद की मुख़ालिफ़त करते हैं, यह खत्म होना चाहिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया जो महान् विचारक हैं, उन्होंने भी कहा था कि गवर्नर का सामंती पद जो दिखावटी, विलासिता संबंधी है यह समाप्त होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इस विधेयक पर तो कुछ कह दें। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अभी तक क्या कह रहे थे? अब जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, संविधान की धारा 197 के मुताबिक उसमें कहा गया है कि 35 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति गवर्नर बहाल हो सकता है। बहाली का शब्द कैसा है? प्रसाद पर्यंत। वाह! आजादी मिल गई, संविधान बन गया। किसके प्रसाद पर कौन पर्यंत रहेगा, बहाल रहेगा और हटेगा। इन सब शब्दों को हटाना चाहिए। बहाली की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। बहाली का कोई नियम होना चाहिए। नहीं तो लोग अपनी मनमर्जी से अपने कृपा पात्रों को राज्यपाल बना देंगे। कोई कह रहे थे कि अफसरों को बहाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति को बहाल होना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। लालू जी, आप बोले जा रहे हैं तो वे और आगे बोले जा रहे हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, गवर्नर के पद को सरकार के एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल वहां पर संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह केंद्र और राज्यों के बीच की एक कड़ी हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि गवर्नर साहब को केंद्र के ऐजेंट के रूप में काम कराया जाता है। जब सरकार बदल जाती है तो राज्यपाल भी बदले जाते हैं। वे उनके प्रसाद-पर्यंत हैं। वे हट जाएंगे। इसलिए उनको बहाली का, उनको हटाने का और उनको रखने का, यह नहीं कि उनके मनमर्जी के मुताबिक काम नहीं किया तो उनको हटा दिया जाए। कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस पर हस्तक्षेप किया है। इसमें नियम-कायदा केवल ये वाला देने का किए हैं, लेकिन इसमें बहाली का पहला नंबर तो खत्म होना चाहिए। खत्म नहीं कर सकते हैं तो बहाली की प्रक्रिया तो तय कीजिए। फिर हटाने और रखने का नियम-कायदा तय होना चाहिए। उनका इस्तेमाल संवैधानिक प्रधान की तरह होना चाहिए न कि उनको ऐजेंट की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि किस हिसाब से हमारा संविधान अक्षरशः लागू हो। उसकी भावना के मुताबिक हम काम करें। वैसे पहले हुआ था कि उनको पेंशन दिया जाए। पेंशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको कहां से कौन सी सरकार पेंशन देगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। दारा सिंह जी, अब आपकी बारी है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसमें "इमौल्युमेंट्स" की हिंदी "उपलब्धियां" की गई हैं। उपलब्धियां तो अचीवमेंट होता है। इमौल्युमेंट्स की हिंदी उपलब्धियां हमें सही नहीं लगती है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। अक्षर में हेरा-फेरी भी हमें समझ आती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। रघुवंश जी, अब कितना बोलेंगे? दारा सिंह जी बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, "उपलब्धियां " की अंग्रेजी "अचीवमेंट्स " होगी लेकिन इसमें इमौल्युमेंट लिख दिया है। …(व्यवधान) शब्द साफ होना चाहिए। नहीं तो ये सब कानूनी शब्द हैं, इनमें बहुत गुंजाइश है। महोदया पहले मांग की गई थी। राज्यपाल जी का संगठन है। उनकी मांग है कि उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। उनका पी.ए. रखने का तो यह कानून बन गया है। उनको अभी 1 लाख 10 हज़ार महीने का, जो सन् 1982 में कानून बना था, उसके हिसाब से था, इसलिए उनकी मर्यादा के हिसाब से काम होना चाहिए। …(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज हम गृह मंत्री जी के प्रस्ताव राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012 पर चर्चा के लिए खड़े हुए हैं।

महोदया, अब तक इस सदन की परंपरा रही है कि जब भी ऐसे महामहिम या संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों के विशेषाधिकार और सारी चीज़ों पर चर्चा होती है तो सारा सदन एक साथ खड़ा हो जाता है। चूंकि यह एक संवैधानिक पद है। संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। यह सरकार और जनता के बीच में इंसाफ की कड़ी नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि जब प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्य में जब संवैधानिक संकट पैदा होता है,

13.10hrs

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair)*

अगर जनता की बात सरकार नहीं मानती है तो राज्यपाल पर संविधान के संकट का संज्ञान स्वतः लेकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके के संवैधानिक पद का राजनीतिकरण न होकर संविधान के निर्वहन की जिम्मेदारी उसकी होती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोल रहा हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। इस पद की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। स्वतः संविधान की रक्षा के लिए राज्यपाल को संज्ञान लेकर, अगर कहीं इस तरीके का संवैधानिक संकट किसी प्रदेश में पैदा होता है तो इस तरीके की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल महोदय की है।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Chairman, Sir. I rise to support this Bill. Sir, the scope of this Bill is very limited but even then the relevance of the post of the Governor is important and questions have been raised from all sides of this House in this regard. So, I am of the opinion that the Report of the Sarkaria Commission in this regard should be discussed in depth and the Government should take proper steps. If the Government wants to set up another Commission in this regard that should be done as without that this problem cannot be solved.

Sir, the post of Governor is the only post which is not elected. Even the post of President is an elected post. The Vice-President's post is also an elected post. The hon. Chairman is also getting, either unanimously or by majority, elected in the House. The Speakers of the Legislative Assemblies are also elected by the Members of the respective Legislative Assemblies. This is the only post for which election is never held and there is no scope for election in future also. We are just carrying the legacy of the colonial rule, the British rule which should be done away with. There is no necessity of this.

Today we are talking of the vibrant democracy and the functioning democracy. In this scenario what is the relevance of having such an important post without the election? So, I do agree that, not only for the sake of talking alone, the Government should do something in this regard. Either the Minister himself or the whole Cabinet should discuss this. I think the Minister cannot reply about the relevance or non-relevance of the post of the Governor. He can reply only about the limited scope of this Bill.

There is no problem in having general agreement with this Bill but the main point which is being raised in this House is about the relevance, the necessity of the post of the Governor nowadays in this democratic set up of our country. The Minister can reply in this regard. I would request the Government to at least give an assurance to the House that it will think about having a proper discussion of the Sarkaria Commission Report and if necessary it will set up a high level Commission to examine this matter. Otherwise, the democratic aspirations of the people with regard to the post of Governor are not being properly justified.

With these limited words, I support this Bill but I think the hon. Minister will respond to the questions being raised from different quarters of this House.

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, जो भी बातें मैं कहना चाह रहा था, वह आपने और शरद जी ने पहले ही कह दी हैं। इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी यह सदन कोई नियम या कानून बनाती है, खास तौर से जो राजनैतिक सुविधा से संबंधित है तो देश के लोग उससे प्रेरित या निराश होते हैं, जिस तरह का नियम हम बनाते हैं।

मैं अनुरोध करूंगा, जैसा कि शरद जी ने कहा था कि राजनीतिक लोगों को राज्यपाल की पोस्ट के लिए शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को सोशल वर्कर लोगों को भी राज्यपाल की नियुक्ति में शामिल करना चाहिए, जिससे आम जनता देख कर प्रोत्साहित हो, क्योंकि हर वक्त दो ही तरह के लोग गवर्नर बन रहे हैं या तो राजनीति से संबंधित हैं या ब्यूरोक्रेटस हैं।

दूसरी बात, जैसा कि तथागत जी ने कहा है कि गवर्नर की भी एक ऐज लिमिट होनी चाहिए और दो टर्म होनी चाहिए। इसके अलावा हर वक्त चर्चा होती है कि केन्द्र सरकार कोई गवर्नर राज्य सरकार पर थोप देती है, जिससे दोनों में टैंशन हो जाती है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विधान सभा में विपक्ष के नेता गवर्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हों तो काफी हद तक यह जो खटास है, वह कम हो जाएगी।

मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐज लिमिट हो, दो टर्म की सीमा हो, एक पारदर्शी सिलेक्शन प्रोसेस हो। जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा था कि यही एक पोस्ट है, जिसमें इलेक्शन नहीं होता है। आपसे यही अनुरोध है कि कम से कम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विधान सभा में विपक्ष के नेता का एक पैनल बने।

आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्वाइंट है कि ब्यूरोक्रेसी के रोल के बारे में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन यह बात भी सही है कि जहां भी मोटीवेटिड गवर्नर भेजा जाना होता है तो सिविल सर्वेंट भेजा जाता है। यह जरूरी है कि राजनीतिक पर्सन या सोशल वर्कर को गवर्नर पद पर सिलेक्शन के लिए नियम कानून बनाए जाएं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, इस बिल को सपोर्ट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वर्तमान या भूतपूर्व गवर्नर को देश के खजाने से ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कि जब एमपीज़ की सैलरी और एम्लोयूमेंट्स की बात उठी थी तब मैंने उसका विरोध किया था। हर महीना 60 हजार रुपये मैं अपने क्षेत्र के स्टूडेंट्स को स्कोलरशिप दे रहा हूं, मेडिकल कैम्प चला रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश में जो भूखे, नंगे, मरीज लोग हैं, जो लोग आज बेरोजगार हैं, जिनको ध्यान में रखके सरकार पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड की इस परम्परा को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, उसमें गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि गवर्नर क्या करते हैं? हम जब भी कोई छोटा मुद्दा ले कर जाते हैं तो वह राज्य सरकार पर उसको टाल देते हैं। हम लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहें तो वह उनको ही विचार करने के लिए भेज देते हैं। केन्द्र सरकार जो करने के लिए कहती है, वही करते हैं और उसके लिए इनका सिलेक्शन हो रहा है। यह दुख की बात है और मैं इसका विरोध करता हूं कि किसी पॉलीटिकल पर्सन को गवर्नर या प्रेसीडेंट का पद दिया जाए। आज हमारे देश में महात्मा गांधी नहीं है, सीमान्त गांधी नहीं है, सी.आर. दास नहीं है, सुभाष चन्द्र बोस नहीं है जो स्टेट से मिलने वाली सुविधा को इंकार कर देंगे। इसमें इतनी लग्ज़री होती है, इतना लैविश होता है कि लगता है कि वह आधुनिक काल का सम्राट है, एम्पर्र है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस महल में यह लोग रहते हैं इसको एक मान्यूमेंट बना दिया जाए, बड़ी-बड़ी यूनीवर्सिटी बनाएं, हॉस्पीटल्स बनाएं और बच्चों के लिए म्यूज़ियम बनाएं, लेकिन हमारी रिक्वैस्ट है कि आप इनको पैसा मत दीजिए।

महोदय, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में सरकार को एजुकेटिड, रिसपैक्टिड, रिगार्डिड सोशल पब्लिक नहीं मिल रहा है। वह क्यों पॉलीटिकल पब्लिक को इस पर लाना चाहते हैं? हमारे देश में गवर्नर की पोस्ट का और प्रेसीडेंट की पोस्ट का डेरोगेशन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि लोग इनको कितना सम्मान दे रहे हैं? कोई राज्यपाल बन कर केन्द्र में मंत्री बन जाता है, तब किस का सम्मान कितना है।

हमारे देश में जो जरूरत है, उसकी ओर हम लोग नहीं देखते हैं। हमारे देश के लिए इम्प्लॉयमेंट चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, चाइल्ड लेबर बंद करना चाहिए, वूमेन ट्रैफिकिंग बंद करना चाहिए। निर्भया कांड, फोटो जर्नलिस्ट रेप कांड, कामदुनि कांड आदि को बंद करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए।

इसके साथ ही इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): महोदय, तेरह सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने समर्थन किया, सिर्फ़ डॉ. तरुण मंडल जी को छोड़कर। पर, एक चीज़ मैं जरूर इस हाउस में रखना चाहूंगा।

It distresses me when I see hon. Members of this House dismantling the very organisations and institutions that have been set up by the forefathers of our country. Today we, as Members of Parliament, say that there should be no Governor's post. There are people who sit outside in *dharnas* and they say that there should be no Parliament. It is extremely unfortunate. To get these institutions -- to give a federal structure to the country -- a Constitution was made, a *dhancha* was made where all the rules and regulations were made. We as the upholders of this Constitution, it is our prime concern that we should not be seen as trying to dismantle that very structure. Out of these 67 years of our Independence, with great struggle, these institutions have been fortified and we have see how democracy is functioning in this country. This is something that we really need to re-look at.

I would now like to answer a few questions raised by some hon. Members of Parliament.

कीर्ति आज़ाद जी ने कहा कि अगर कोई गवर्नर सांसद बन जाता है तो क्या उस को तब भी एलाउंस मिलेगा? मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उस समय अगर वे सांसद बन जाते हैं या किसी और पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाते हैं तो उन को वह एलाउंस नहीं मिलेगा। परन्तु, अगर वे एक्स एम.पी. हो जाते हैं तो उनको तत्काल फिर से एलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा।

जगदम्बिका पाल जी ने मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सवाल किया था। पाल साहब ने तो यह भी आशा की थी कि मैं भी एक दिन गवर्नर बन जाऊं। पर, मैं पाल साहब से यह कहूंगा कि यह गवर्नर बनने की शुभकामना मुझे अभी न दें। मैं कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि अपने क्षेत्र से कि मुझे और मौका दें सांसद बनने का और पाल साहब का आशीर्वाद भी जरूर लूंगा कि आगे भी अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए काम करता रहूं। मैं उन को भी शुभकामना दूंगा कि वे किसी दिन जरूर गवर्नर बनें। उन्होंने

हेल्थ के बारे में पूछा था कि उनको स्वास्थ्य के बारे में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? यह सिर्फ़ एक्स गवर्नर्स को नहीं मिलती, बल्कि उनके पूरे परिवार को हम सिर्फ़ स्वास्थ्य के लिए बेनेफिट्स देते हैं।

इस बिल को जब आप लोग पास करेंगे तो महज 25,000 रुपये हर एक्स गवर्नर को पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया जाएगा। यह कोई बड़ी रक़म नहीं है।

शरद यादव जी ने बात की थी कि कितने पैसे खर्च होंगे? दो करोड़ रुपये से कम एक्स गवर्नर्स पर खर्च होंगे। हमारे पास इस देश में अभी सिर्फ़ 65 एक्स गवर्नर्स मौजूद हैं जिसमें एक तो हमारे लीडर ऑफ द हाउस ही हैं और दूसरे हमारे एलओपी के पति हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का संगम एक बिल से हो रहा हो। मैं समझ सकता हूं कि इसमें हम सब का सौभाग्य है कि दिलों को जोड़ने का काम हम सब एक स्वर से करें।

प्रो. सौगत राय जी ने ट्राइबल्स के बारे में पूछा था। The Governors are advised by a Tribal Advisory Council. This aspect is dealt with by the Ministry of Tribal Affairs. The Governors, on the recommendation of the Tribal Advisory Committee as well as the State Governments, keep giving information. … (*Interruptions*) I would not like to get into the details. I am completely sure that they are discharging their duties with the utmost faith, honesty and diligence that they are required to do so.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हमने भी कुछ कहा था।

श्री आर.पी.एन.सिंह: शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा था कि मैंने उन्हें बोला था कि वे कम बातें रखें। इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखीं और इसका समर्थन किया। इस के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं।

तथागत सत्पथी जी ने पूछा कि कितने गवर्नर्स हैं जो 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े मुख्यमंत्री ने 80 साल की उम्र के बाद भी मुख्यमंत्री के पद को संभाला है और इस देश में अच्छा काम किया है। यह सिर्फ़ गवर्नरों के बारे में कहना, मैं समझ सकता हूं कि यह अच्छी बात नहीं होगी। इस सदन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस उम्र से ज्यादा हैं। उन्होंने भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है और दे रहे हैं।

मैं तमाम सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन इस विधेयक पर खंडशः विचार करेगा।

Clauses 2 to 4

प्रश्न यह हैः

"कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 तक को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 **Short Title, extent and commencement.**

Amendment made:

Page 1, line 3, -

for "2012"

substitute "2013". (2)

(Shri R.P.N. Singh)

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Enacting Formula

Amendment made:-

Page 1, line 1, -

for “Sixty-third”

substitute “Sixty-fourth”. (1)

(Shri R.P.N. Singh)

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

“कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, with your permission, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13.31 hrs

(ii) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2012--Contd

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No.9. Shri Virender Kashyap to continue.

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Sir, I would thank you for calling me to speak now.

I have stood up to support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 which was introduced in the Lok Sabha on 21st May, 2012 and thereafter the Bill was referred to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 25th May, 2012 for examination. The objective of the Bill is to insert certain castes in respect of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura in the Scheduled Castes Order, 1950 and to omit Entry 3 of the Schedule to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. Today, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are grateful to the Founding Fathers of the Constitution of India, especially we are indebted to Dr. B.R. Ambedkar who has put certain constitutional provisions for the upliftment of these communities which used to be called as "untouchables" in our society. The definitions of Scheduled Castes are: Article 366 of the Constitution, in clause 24, says:

> " "Scheduled Castes" means such castes, races, or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purpose of this Constitution."

Article 341, about Scheduled Castes, says:

(1) "The President may with respect to any State or Union Territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be

Scheduled Castes in relation to that State or Union Territory, as the case may be.”

(2) “Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification…”

Under this clause, the said Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 has been brought forward here to include certain castes in the list of Scheduled Castes of Kerala.

According to the proposed amendments and notifications, Pulluvan is to be included along with Palluvan at Serial Number 46 and inclusion of Thachar in Serial Number 61 along with Thandan in the Scheduled Caste List of Kerala State. In Madhya Pradesh, Dahiya is to be included along with Dahait, Dahayat, Dahat at Serial Number 18 in the Scheduled Castes List.

In Odisha, Amata, Amath are to be included at Serial Number 2, and Bajia at Serial Number 13, Jaggili and Jagli at Serial Number 41, Buna Pano at Serial Number 69 in its Scheduled Caste List. There is one more amendment with regard to the change of the heading of Part XIII–Orissa to Part XIII–Odisha.

In Tripura, Cha**mar-Ro**hidas, Chamar-Ravidas is to be included at Sr. No. 4, **Dhobi a**t Sr. No. 7, Jhalo-Malo at Sr. No. 12 in the list of its Scheduled Castes of the State.

In all the above entries, the State Government, RGI and NCSC have recommended for the inclusion of these castes in their respective lists as being synonym.

Now, there is one more amendment which is regarding the exclusion of a caste from the Scheduled Castes, that is, Majhi (Nepali) from the list of SCs in Sikkim. In this case the Government of Sikkim has said - "As is revealed from the

reports of the State Government, and Sikkim Commission for Backward Classes, the Majhis want to come out of "social stigma" of a Scheduled Caste. According to them, Majhis are not considered as 'untouchables' among Gorkha and it hurts their sentiments' The NCSC has concurred with this ruling.

Actually, the criteria followed for consideration of specification of a caste, etc. as a Scheduled Caste is `extreme social, educational and economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability'. The Constitution (SC) Order, 1950 as proposed in the Bill is supported by views of experts, individuals, organisations, and institutions in the field of Anthropology and Ethnography.

After promulgation of the Constitution, in exercise of powers conferred by clause of Article 341 of the Constitution, the President made the following six Presidential Orders between 1950 and 1978, for specifying castes as Scheduled Castes in relation to various States/Union Territories :

(i) The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950;
(ii) The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951;
(iii) The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order 1956;
(iv) The Constitution (Dadra & Nagar Haveli)Scheduled Castes Order 1962;
(v) The Constitution (Pondicherry)Scheduled Castes Order, 1964; and
(vi) The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

These Orders have been amended from time to time by the various Acts of Parliament enacted as per Article 341(2) of the Constitution between 1956 and 2007.

Presently, 1208 castes etc. have been specified as Scheduled Castes in relation to various States and Union Territories.

It has been noticed that lists of Scheduled Castes were last revised vide the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2007. Thereafter, proposals have been received from the State Governments of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and Sikkim for certain modifications in the list of Scheduled Castes of these States, as stated above. The proposals were processed as per approved modalities. The NCSC and the RGI have accordingly conveyed their concurrence to the proposed notifications.

To give effect to them, it is proposed to amend the following two Presidential Orders:-

(i) The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950:- in respect of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura and in which 11 castes which are either synonym or the same are to be included in SC list of respective lists of States; and

(ii) The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 wherein one caste is to be excluded from the list of SC of that State.

Many hon. Members of this august House have given many more castes for their inclusion or exclusion from this list. Mr. Nishikant Dubey and Dr. Raghuvansh Prasad Singh, who is now presiding, have given notices for amendments and inclusion of various castes into SC list. But I also want to mention one such caste – Koli and Kori - which is a synonym, may be included in the list of those states where they are excluded to be as Koli and Kori. In Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Chhatisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh both Koli and Kori are treated as Scheduled Castes and are given all facilities of Scheduled Caste and are given all facilities of SC.

Similarly in Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand Koris are given all benefits of Scheduled Castes. In Delhi, Kolis are given the benefit of Scheduled Castes. Here, it is to be mentioned that in Delhi, Koris cannot get the

Scheduled Caste Certificate and in Uttar Pradesh and Uttarakhand Kolis are not given this facility due to the reason that these castes, though synonym, do not find place in their respective lists of the States. In Maharashtra, it has come to notice that the certificates issued in the name of Kolis are being cancelled due to this ambiguity. This anomaly should be removed immediately after enlisting these two castes, Koli and Kori, in Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, so that the benefits are given to those who are being deprived of such benefits even after a long 66 years of free India.

I have continuously been pressing this demand of the ambiguity in Koli-Kori and written letters to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and also Delhi Government, but no action has been taken so far. In this regard, I would like to mention an Office Note of the Chairman, SC/ST Infrastructure Development Committee of Delhi Government, which is self-explanatory. I would like to quote a few lines of that Note. It says:

> "This is in connection with the inclusion of Kori Caste as synonym of Koli caste in the SC List of Delhi. I am to refer to your letter F.N. 44(8)/DSCST/2002-03/8056 dated 6.11.2007 wherein the representation of Delhi Pradesh Koli Samaj Kalyan Sangh (Regd.) was sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi. You may perhaps be aware that Kori and Koli are used as synonym in almost all the States in India. It is only in Delhi that this discrepancy has crept in. It is a matter of common knowledge that Kori and Koli are synonymous and they belong to the same community and creed. It may also be stated that by using this synonymous name, no additional caste or community is added to the list. In fact, they are the same and one caste. Therefore, there should not be any hesitation in undertaking this change."

Similarly it is to be mentioned here that BERWA is in SC List in Rajasthan whereas in other States it is in OBC.

In Uttar Pradesh, Bahelia is in the SC List whereas Aheria is not in the SC List, though these two castes are the same and synonym. In this case, the All India

Commission of Backward Classes has admitted that Aheria is the sub-caste of Bahelia.

In Bihar, Paan (Samwasi) is synonym to Tanti (Tatwan). The people of these castes are demanding that their castes should be excluded from Extremely Backward Classes and included in the SC List. I have a representation of Bihar Paan Samwasi Bunkar Samaj Udyan Sangh who has given reasons for their demands. I am not going into the details now. But I want to refer a few lines of the observations made by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment. It says:

> "The Committee are constrained to note that as many as 17, 18 and 7 proposals from State Governments for amendment in the SC orders are pending with the Ministry of Social Justice and Empowerment, Registrar General of India and National Commission for Scheduled Castes respectively. The Committee have been informed that there is a specified procedure for deciding claims for inclusion in and exclusion from and other modification in the List of Scheduled Castes requiring consultation with the above mentioned agencies."

"…Since the whole process is long drawn and sometimes it may take many years for State Government proposals to reach the Bill stage, the Committee wish to emphasise that a sound system need to be put in place under which each organisation/agency involved, that is, State Government, Registrar General of India, National Commission for Scheduled Castes (NCSC) and the Ministry of Social Justice and Empowerment are made to follow strict time schedule to process the proposals received so that the benefits may reach the intended populace in the shortest possible time. The Committee hope that the Government will take appropriate steps in the right direction."

Even after a long 66 years of Independence and 62 years of our Constitution, we are not in a position to identify which caste should be SC and which area/caste should be included in ST. This is very strange. The Government

should come forward with a policy so that all such demands are solved once and for all.

In Himachal Pradesh, there is a growing demand that the *Hattis* should be given Tribal Area Status and other areas have also raised demands to give them tribal status. I have also raised this issue in the House and with the Government of India as this is an issue of my State and also from my Lok Sabha Parliamentary Constituency.

There are some questions to the Government, which the hon. Minister should reply while summing up the discussion in her reply.

1. Whether the amended list would affect the 15 per cent of Scheduled Caste population?
2. How many such cases were lying pending in the Ministry?
3. Why the Report of NCSC is not discussed in both the Houses of Parliament?
4. Whether it is true that the Reservation Roster in services is not implemented in the Parliament?

Lastly, I want to say a few lines about two more demands.

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

SHRI VIRENDER KASHYAP : Sir, I am going to conclude. This issue was also raised by Mr. P.L. Punia today in the 'Zero Hour' that the Reservation Act should be brought in the House and it should be implemented accordingly because that is pending for the last so many years. If this Act is brought and passed then the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will get the maximum benefits, otherwise there is a lot of problem in implementing various rules and regulations, etc. in this country.

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : इंडियन जूडिशियरी सिस्टम की स्थापना इस देश में हो जाए, ताकि जूडिशियरी में भी शेड्यूल कास्ट लोगों को प्रॉपर रिप्रजेन्टेशन मिल सके। यह भी मैं हाउस के सामने इस अमेंडमेन्ट बिल के माध्यम से कहना चाहता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही साथ मैडम रामा जी का भी एक संशोधन है कि दिल्ली, बिहार उत्तर प्रदेश में बलवार जाति और जयसवाल जाति को अतिपिछड़ा जाति के वर्ग में रखा जाए। यह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...(व्यवधान) इस बारे में मैं तीसरी बार खड़ा हुआ हूं। मैं आज इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। The Constitution (Schedule Castes) Order (Amendment) Bill, 2012 पर विचार हो रहा है। हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा विस्तार से इस पर प्रकाश डाला गया है, उन्होंने इस पर पूरा विवरण दिया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को शीघ्रता से लोक सभा में लाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि अनुसूचित जनजातीय से संबंधित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक-2012, वह भी आ रहा है। इसके साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बिल, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक भी आज विचारार्थ है। उम्मीद है कि वह पास किया जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ और बिल हैं जिनका हवाला हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी ने दिया। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट्स, जो राज्य सभा से वर्ष 2008 में पास हुआ था और अभी लोक सभा में लंबित है, उसे संशोधनों के साथ पास होना है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन राज्य सभा से पास हो चुका है, वह भी लोक सभा में लंबित है। रिजर्वेशन इन ज्यूडीशियरी जिसका हवाला अभी हमारे साथी ने दिया, वह भी अति अनिवार्य है, क्योंकि गवर्नमैंट और पब्लिक सैक्टर में वेकैंसीज़ बहुत कम हैं और ज्यादातर जॉब अपौर्चुनिटीज अब प्राइवेट सैक्टर में ही हैं, तो प्राइवेट सैक्टर में भी शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन विषयों पर जल्दी से जल्दी बिल लेकर आए और वे लोक सभा में प्रस्तुत करके पास किए जाएं।

जहां तक कौन्सटीट्यूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल 2008 का सवाल है, यह लोक सभा में 21 मई, 2012 को प्रस्तुत किया गया था और चार दिन बाद 25 मई, 2012 को स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने शीघ्रता से यानी 24 अगस्त, 2012 को इस पर रिपोर्ट दी। आज 24 अगस्त, 2013 है। एक साल पहले स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत कर दी गई थी। इसमें जो समय लगा, वह आज हमारे सामने है। कौन्सटीट्यूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल जिसकी बात की जा रही है, यह आर्टिकल 341 से संबंधित है। आर्टिकल 341 में हिन्दुस्तानभर की अनुसूचित जाति की राज्यवार सूची उल्लिखित है। वीरेन्द्र कश्यप जी ने बताया कि सभी राज्य और यूनियन टेरीटरीज की अनुसूचित जाति की कुल संख्या 1,208 है। यह आर्टिकल 341, अनुसूचित जाति की सूची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आर्टिकल 342 में अनूसूचित जनजाति की सूची है। आर्टिकल 341(1) में

उल्लेख है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के गवर्नर से सलाह-मशविरा करके उस सूची को प्रकाशित करेंगे। आर्टिकल 341(2) में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा सूची नोटीफाई करने के बाद उसमें राष्ट्रपति संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसका संशोधन केवल पार्लियामैंट द्वारा किया जा सकता है। सूची में घटाने-बढ़ाने का कार्य राष्ट्रपति का नहीं है, सरकार यह कार्य नोटीफिकेशन से नहीं कर सकती बल्कि पार्लियामैंट में कानून बनाकर किया जा सकता है। इसीलिए कौन्सटीट्यूशन (शैडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमैंडमैंट) बिल हमारे सामने है। आर्टिकल 342(2) में इसका पूरा प्रावधान है कि पार्लियामैंट द्वारा कानून बनाकर लिस्ट संशोधित की जा सकती है। वर्ष 1950 में अधिकांश राज्यों में यह सूची बनी थी। सिक्किम क्योंकि बाद में राज्य बना था, इसलिए 1978 में उसकी सूची बनी। समय-समय पर जब भी एडिशन-डिलिशन होता है तो उन्हीं में संशोधन के लिए प्रस्ताव आता है। आज यह बिल उसी के अंतर्गत है। केरल, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, त्रिपुरा में बहुत सी जातियां सिनॉनिम्स हैं। कोई किसी जाति के नाम से है, उससे मिलता-जुलता नाम कोई दूसरा है। वह छूट गया। इसमें अधिकांश उसी तरह से हैं जो सिनॉनिम्स नेम हैं ,मिलते-जुलते नाम हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत लोगों की अपेक्षाएं थीं, बहुत दिनों से उनकी मांग थी। उस मांग पर विचार करके राज्य सरकारों ने यहां भेजा। राज्य सरकारों के प्रस्ताव आने पर, मंत्रालय द्वारा उसकी प्रक्रिया निर्धारित है, उसके माध्यम से उस पर विचार करके तमाम तरह के नाम जो पहले सम्मिलित नहीं हो सके थे, उन्हें सम्मिलित करने के बारे में सूची में संशोधन किया जाता है। हमारे साथी वीरेन्द्र कश्यप जी ने बहुत विस्तार से बताया है। केरल की दो जातियां हैं जिन्हें जोड़ा जाना है। वे सिनॉनिम्स है। मध्य प्रदेश में एक, ओड़िशा में चार, त्रिपुरा में तीन हैं। इनके आर्डर में संशोधन करके उन जातियों को सम्मिलित करना है। सिक्किम का शैड्यूल्ड कास्ट्स आर्डर वर्ष 1978 का है। उन्होंने माझी (नेपाली) एक जाति का उल्लेख किया है। राज्य सरकार ने कहा कि उस जाति के लोगों की मांग है कि वे अनुसूचित जाति में सम्मिलिति नहीं रहना चाहते। वे समझते हैं कि हमारे साथ किसी को अनटचेबिलिटी नहीं होती, छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं होती। इस सूची में रखने से वे अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें इस सूची से निकाला जाये। उन्हें ओबीसी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव अलग से किया गया है। इसीलिए माझी (नेपाली) जाति को सिक्किम की सूची से बाहर निकालने का इसमें प्रस्ताव है। ओड़िशा में चार जातियों के नाम हैं, जो सम्मिलित होने हैं और उड़ीसा राज्य के नाम का, क्योंकि यहां पार्लियामैंट में ही संशोधन हुआ था, तो संशोधित नाम को इस आर्डर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि किसी जाति के नाम को जोड़ने व हटाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। क्या नाम जुड़ें, क्या नाम बाहर निकाले जायें, इसकी निर्धारित प्रक्रिया है। राज्य सरकार सम्यक विचार करने के उपरांत सोशल जस्टिस इम्पावरमैंट मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजती है। सोशल जस्टिस इम्पावरमैंट मिनिस्ट्री में विचार

करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में प्रस्ताव भेज दिया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आवश्यक अध्ययन करने के बाद अगर अपनी सहमति देता है, तो मंत्रालय में भेजता है। अगर असहमति देता है तो भी मंत्रालय में भेजता है। अगर सहमति हो तो मंत्रालय उस पर विचार करने के बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श लेता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्ययन, परामर्श करने के बाद अपनी सहमति और असहमति देता है। सहमति देने के बाद मंत्रालय द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के बाद फिर यह बिल प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह आज इस बिल पर हम विचार कर रहे हैं।

यहां पर कुछ जातियों का उल्लेख किया गया, वीरेन्द्र कश्यप जी ने जिन जातियों का उल्लेख किया, यह सही है। उन्होंने स्वयं इसका उल्लेख किया कि इसका क्या प्रोसीजर है?

13.57hrs

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

मंत्रालय द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से पूरा प्रस्ताव विचार करके पार्लियामैंट में आता है। बहुत सी जातियां हैं। बैरवा समाज का भी उन्होंने उल्लेख किया। बैरवा समाज राजस्थान में अनुसूचित जाति में सम्मिलित है और दिल्ली में उसका प्रस्ताव, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, उस पर विचार हुआ। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी उसे किया है, लेकिन राज्य सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा उस पर विचार हो रहा है। वह विस्तार से विचार करने के बाद मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजेंगे, तो उस पर विचार किया जायेगा। प्रोसीजर फालो करने के बाद आज इस पर विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज बिल पास होने के बाद प्रशासनिक कठिनाइयां दूर होंगी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी और जो प्रक्रिया निर्धारित है, भविष्य में भी कोहरी और कोहली समाज के बारे में जो अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर भी इसी प्रोसीजर के आधार पर विचार किया जायेगा और मैं समझता हूं कि उसमें जोड़ने के लिए उस पर विचार अवश्य किया जायेगा। अब मानक क्या हैं? बहुत से लोग बात कह देते हैं कि साहब, हमें अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया जाये। उसके मानक निर्धारित हैं। लोकुर कमेटी वर्ष 1965 में बनी थी। उन्होंने सुझाव दिया था, जिनके आधार पर निम्न मानक बने।

> "The test of extreme social, educational and economic backwardness of the caste arising out of the traditional practice of untouchability."

किसी जाति को सम्मिलित करने का यह लिटमस टैस्ट है कि अनटचेबिलिटी से सफर करते हों। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनियाः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो अनटचेबिलिटी है, वही सम्मिलित करने का आधार है। मैं समझता हूं कि तरह-तरह के मुद्दे उठाये गये। जब तक अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची में हैं, जो प्रेजिडैंशियल कांस्टीट्यूशन शैड्यूल्ड कास्ट आर्डर में सम्मिलित हैं तब तक उनको बैकवर्ड माना जायेगा। शैड्यूल्ड कास्ट्स को सम्मिलित करने के जो लिटमस टैस्ट लोकुर कमेटी ने निर्धारित किया था, वह माना जायेगा कि वे जातियां अनटचेबिलिटी से सफर करते हैं। जो इस तरह के जजमैंट कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, वे कहते हैं कि इन जातियों में बैकवर्डनैस देखी जाये।

14.00hrs

इसका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देखा जाए। इसके आंकड़े भी हैं और जब तक आर्टिकल 341 की सूची में वे जातियां है, तो माना जाएगा कि वे बैकवर्ड हैं। वे कौन-सा बैकवर्डनेस का पैमाना मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि इसी तरह से रिजर्वेशन, इन प्रमोशन के सिलसिले में एम. नागराज ने सुप्रीम में जो निर्णय दिया था, उसके सिलसिले में जो बिल आया, जो राज्य सभा से पास हो चुका है, मैं समझता हूं कि वह लोक सभा में भी अवश्य पास होना चाहिए। आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है, वह बहुत सही बिल है। कई राज्यों-केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि के लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यह बिल लाया गया है। उन्हें आज यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही होगी कि उनकी जाति को शामिल करने के लिए जो मांग चल रही थी, वह आज पूरी हो रही है। मैं समझता हूं कि जो कठिनाइयां थीं, वे दूर होंगी। उनको अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट मिलने प्रारम्भ होंगे, लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, संविधान (अनुसूचित जातियां आदेश) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। आपने परमीशन दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी जैसा कि श्री विरेन्द्र कुमार जी और श्री पुनिया जी ने बहुत विस्तृत तरीके से इस पर अपनी बात रखी है। यह बहुत छोटा-सा संशोधन है। लेकिन इस पर बोलने के लिए कह दिया जाए, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति बहुत लम्बा बोल सकता है। वही व्यक्ति बोल सकता है, जिसके ऊपर गुजरी हो। मेरा ऐसा मानना है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, चूंकि जनजाति वाला विधेयक इसके बाद है, यह अनुसूचित जाति के बारे में है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इन जातियों को संघर्ष करना पड़ता है। आज बोलने से पहले मैं डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहूंगा। यदि संविधान में उन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर बढ़ाने की बात का समावेश न किया होता, तो हम भी यहां खड़े होकर नहीं बोल रहे होते। लेकिन हमेशा देखा गया है कि कुठाराघात हुआ है। यह संविधान में था कि जब तक शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर ये अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं, तब तक इन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम जहां-के-तहां हैं। यह स्थिति केवल शहरों में देखने से नहीं पता लगेगी। यदि आप शहर के स्लम बस्तियों में चले जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों की बस्तियों में चले जाइए, तो आज भी वही स्थिति है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार इन जातियों के उत्थान के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दीं। भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाया गया था कि जो भी इनके उत्थान या इनकी तरक्की के लिए या इनकी समस्याओं के लिए जो आर्थिक तौर पर धनराशि का समावेश है, वह विशेष रूप से इन्हें मिले। लेकिन उन योजनाओं को भी समाप्त कर दिया गया है। अभी हमारे मित्र श्री बलिराम जी बैठे थे, जिनसे हमारी बात हो रही थी कि कॉमनवेल्थ गेम में स्पेशल कंपोनेंट में अनुसूचित जाति का जो बजट था, उसको ट्रांसफर करके वहां खर्च किया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम जहां-के-तहां खड़े हैं। धीरे-धीरे हमेशा गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। एक साज़िश यह भी हो रही है कि इनको जो आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं, किस प्रकार से उनको समाप्त किया जाए।

महोदय, हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एम्स के बारे में एक आदेश हुआ कि स्पेशलिस्ट या विशेष वर्ग के लिए ही आरक्षण है, उन लोगों के अतिरिक्त सी एवं डी ग्रुप के लोगों को आरक्षण दिया जाए। मेरे ख्याल से यह एक साजिश है कि धीरे-धीरे इसे कैसे समाप्त किया जाए। इस ओर

हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि आज केवल अनुसूचित जाति आदेश, 1950 और अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, तो देश की आजादी के बाद आपने देखा होगा कि इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, आज हम किस पैमाने पर कहां खड़े हुए हैं, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम हर दस-बारह वर्ष पर आरक्षण को बढ़ाते हैं। आज ज़ीरो आवर में माननीय सदस्य श्री पुनिया जी ने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी, जिसको हमने भी सपोर्ट किया। समय-समय पर ये बातें उठती रहती हैं कि किस तरीके से इन जातियों को सुविधाएं मिलें। इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अगर ठीक होती, तो आज इस विधेयक की जरूरत न पड़ती। जिस समय संविधान में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन जातियों का समावेश किया था, उस वक्त इनकी आबादी और आज इनकी आबादी में बहुत अंतर है। जैसे-जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुरूप हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यह समस्या विकराल रूप से खड़ी हुई है और इस पर सरकार भी गौर नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगर इन जातियों को सही सुविधाएं मिलती, तो आज इस संशोधन विधेयक की बात नहीं आती।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बहुत सी जातियों को जब लगता है कि हमें अनुसूचित जाति के रूप में हक नहीं मिला, तो हम अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएं। जनजाति में जाने के बाद भी जब उनको सुविधा नहीं मिलती, तो वे वापस अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं। हमारे यहां इलाहाबाद में कोल जाति है, उनको अनुसूचित जाति में रखा गया। जब उन्होंने देखा कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो अब उनकी मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति में फिर वापस जाना चाहिए। कहीं न कहीं जिस भी पैमाने पर इन जातियों को रखा जाए, मेरे ख्याल से संविधान के तहत भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके अनुरूप उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज कोल बिरादरी, जो इलाहाबाद में है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, वे केवल गिट्टी और पत्थर तोड़कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। उनके बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, बीमारियां अलग से हो रही हैं, न उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसलिए इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा से 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मैंने एक अतारांकित प्रश्न किया था, उसका जवाब आया। आपके समय में पिछले मंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी तक वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस प्रकार से तमाम प्रदेशों की विधान सभाओं से पारित प्रस्ताव आकर केंद्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं, उन जातियों को कम से कम अपने वर्ग में, जहां भी वे जाना चाहें, उनकी अपनी राय है, अपना निर्णय है, उसे

भेजने में हमें क्या दिक्कत आती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसे गंभीरता से लें और माननीय मंत्री जी अपने जवाब में उसके बारे में बताएं।

दूसरी बात यह है कि हम रोजगार की बात करते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में हमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो भी नौजवान पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं खासकर अनुसूचित जाति की बात कह रहा हूं, अगर किसी प्रकार से उनके मां-बाप ने लोन लेकर अपने बच्चे को डाक्टर, इंजीनियर बनाया है, तो प्राइवेट सेक्टर में वे जा रहे हैं, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर और जूडिशियरी में भी आरक्षण की सुविधा हो, तभी जाकर सामाजिक न्याय की हमारी परिकल्पना पूरी हो पाएगी।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां आदेश) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने वर्ष 1928 में , जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की सूची बना रहे थे, जिन्हें कुछ अधिकार दिये जाएं जिससे उन्हें अन्य वर्गों की तरह समता का दर्जा मिल सके। जिन लोगों ने बाबा साहेब डा.अंबेडकर की बात मान ली उन्हें सूचीबद्ध कर कुछ अधिकार दिला दिये। लेकिन उन दिनों कुछ लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया कुछ लोग (पिछड़ी जाति) की सूची में शामिल होने से वंचित हो गए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान की धारा 340 में व्यवस्था की कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह समय-समय पर आयोग बिठाकर कौन-कौन से लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी शिनाख्त करके उनके लिए भी अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह आरक्षण की व्यवस्था करें। संविधान में इस तरह का प्रावधान है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के लगभग 65 साल बीत जाने पर भी संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, उसके अनुरूप इन्हें हक और अधिकार नहीं मिले। संविधान में संशोधन हो रहे हैं, संशोधन लाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल कैसे होगा, इस पर विचार नहीं हो रहा है। संशोधन करने से ही हमारी स्थिति में बदलाव नहीं हो जाएगा, अनुसूचित जाति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा।

लोक सभा में 21 मई, 2012 को पुरःस्थापित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2012 का आशय केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और ओड़िशा राज्यों के सम्बन्ध में कतिपय जातियों को संविधान अनुसूचित जातियां आदेश, 1950 में समाविष्ट करना, माझी, (नेपाली) जैसा कि पूनिया जी ने कहा है, वे अपने को अनुसूचित जाति से अलग करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर छुआछूत है। इस तरह का मंत्री जी ने यहां पर संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह वर्ग ऐसा है, लोग आज सोचते हैं कि इसे कैसे दबाया जाए, कैसे प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए तरह-तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और यहां तक कि न्यायालय ने भी इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 27 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात की थी। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन जातियों को

अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो ये जिन जातियों से निकल कर आए हैं, उसी आधार पर अनुसूचित जाति के कोटे को बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, उनका हक मारा जाएगा। हम इसके पक्षधर हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

डॉ. बलीराम : ठीक है कि जनसंख्या के आधार पर उनका आरक्षण होना चाहिए। अभी आपने देखा कि कई महीनों से जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से वहां के लोग आंदोलनरत हैं। वहां के तमाम सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन के सवाल पर। अभी हमारे साथियों ने पिछड़ी जातियों से इस बारे में सम्बन्धित बात कही और शैलेन्द्र जी ने एम्स की बात बताई। मैं इसका समर्थन करता हूं। जब मंडल कमीशन की बात आई उस समय भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उसके लिए संविधान में संशोधन का यहां विधेयक लाया जाए, लेकिन साथ ही साथ प्रोमोशन में जो रिजर्वेशन है उसके लिए भी संविधान में संशोधन लाया जाए ताकि कोई भी चाहे न्यायालय हो या सरकार उसमें दखलंदाजी न कर सके। आज हमारे जो सरकारी उपक्रम हैं वे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और वे निजी क्षेत्रों को सौंपे जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं और माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि इस तरह का अमेंडमेंट लाया जाए ताकि निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों को उनकी संख्या के आधार पर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से जो ज्यूडिशियरी है उसमें भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। माननीय चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तो 18 अप्रैल 2012 को उन्होंने कहा था कि दलितों की स्थिति सुधारे बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आबादी का एक-चौथाई हिस्सा दलितों और आदिवासियों का है, उनकी उपेक्षा करके देश का विकास नहीं किया जा सकता। उन्होंने अफसोस जताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। इसलिए जब हमारे वर्ग की एक-चौथाई आबादी है तो उसके विकास के लिए सरकार बजट में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है कि एक-चौथाई बजट उनके विकास पर खर्च किया जाए ताकि उसकी स्थिति सामान्य लोगों की तरह हो सके।

आप लम्बे अर्से से सरकार में हैं और हमारे इधर के भाई भी सरकार में रहे हैं। हमारे इधर के भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनका आदर करते हैं। ये उनके रास्ते पर चलने की बात करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके चरित्र को भी समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब रामजी को बनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता भी गईं। कैकेई जी ने कहा कि जब ये लोग जंगल में चले जाएंगे तो राज-पाठ भरत जी संभाल लेंगे। लेकिन भरत जी ने कहा कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है, इस पर तो रामजी का अधिकार है, इसलिए उनकी खड़ाऊं को वहां पर रखकर राजपाठ को चलाया। इसलिए हम आपसे भी यह कहना चाहते हैं कि अगर गरीबों का अधिकार मारा जा रहा है तो आपको इनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से उनके चरित्र को जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो दलितों का अधिकार है, जो पिछड़ों का अधिकार है, उस अधिकार को भी दिलवाने का आप प्रयास करें, उनकी लड़ाई लड़ें। ...(व्यवधान) इसलिए हमारी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, संविधान के हिसाब से हमें हमारा अधिकार मिले।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। किसी और का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दें।

...(व्यवधान)

डॉ. बलीराम : मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के लोग अपना मन बना लें, अपनी नीयत साफ कर लें और देश को संविधान के हिसाब से चलाएं, संविधान में जो हमारा संविधानिक अधिकार है, अगर वही अधिकार दे दें, तो इस देश में दलितों और पिछड़ों की स्थिति सुधर जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* Not recorded

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी द्वारा 5 अगस्त, 2013 को सभा में पेश किए गए प्रस्ताव संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने तथा आपकी इजाजत द्वारा मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं।

महोदय, मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बात विस्तार से कही है। आज आजादी के 67 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति की दयनीय दशा और दिशा पर चर्चा हो रही है। मैं भारी मन से कहना चाहता हूं कि संशोधन तो बहुत हुए, लेकिन संशोधन के बाद जिस तरह से उन संशोधनों के अनुरूप कार्य होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आई और कहीं न कहीं उदासीनता आई है। सिक्किम में कुछ जातियों को 1978 में अनुसूचित जातियों की अनुसूची में प्रतिबद्ध किया गया था किंतु कई ऐसी जातियां जिनकी स्थिति और परिस्थिति बहुत ही नाजुक रही है, उन्हें शामिल करने की बात कही गई है। इस देश में आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर किसी जाति विशेष की आर्थिक स्थिति खराब है, तो वह अनुसूचित जाति ही है। आज भी गांवों में 80-82 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो अनुसूचित जाति की हैं, उनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। वे आज की तारीख में भी सड़कों के किनारे, पोखर-तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे शौच करती हैं। वे अंधेरा होने का इंतजार करती हैं, सुबह होने के पहले तत्परता दिखाती हैं। अगर ऐसी विषम परिस्थिति आज भी आजादी के 67 सालों के बाद देश में है, तो वह अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं हो रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति के 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी जिस अवस्था में पैदा होते हैं, उम्र के हिसाब से उनका वजन कम होता है। आज भी अधिकांश अनुसूचित जाति के बच्चे विकलांग हैं। आज भी वे बीमारी से त्रस्त हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कहीं संशोधन होते हैं, तो उन संशोधनों के बाद उन संशोधनों के अनुरूप उनकी उपयोगित होनी चाहिए। सिर्फ आंकड़ों से अनुसूचित जातियों की दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बल्कि भौतिक जांच करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। अनुसूचित जाति के लोगों की व्यथा बता रहा हूं। उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उसे मैं बयान कर रहा हूं। ये संशोधन तो होते ही लेकिन यह बात सत्य है कि डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो अपना दर्शन दिया, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे इस सदन में नहीं आ पाते। किंतु मुझे फख्र है उन महान मनीषियों पर जिन्होंने संविधान में भी संशोधन किये हैं। मैं बिहार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिहार सरकार ने भी कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में रखने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए अनुशंसा की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, जिन तर्कों और तथ्यों के आधार पर उल्लेख किया है, वह सार्थक है। निश्चित तौर पर उन बिन्दुओं पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उसमें से पैरगा जाति है। पैरगा जाति की संख्या जम्मू में और पांजा में अधिकांश है। उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि जो अभी अनुसूचित जाति है, बिहार में जो अनुसूचित जाति दलित महादलित की संज्ञा दी गई, उससे भी उसकी स्थिति काफी खराब है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि पैरगा जाति, नोनिया जाति, निषाद, लुहार, तांती, तेली, केवट, हलालखोद, लालडेंगी, साईंशहाद और जो मुस्लिम धोबी हैं, कई ऐसे अल्पसंख्यकों में जो कपड़े धोने का काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों की स्थिति काफी खराब है, काफी बदतर है, निश्चित तौर पर भारत सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

" यूं ही शाख से पत्ते गिरा नहीं करते,
जो बिछुड़ जाते हैं, वे ज्यादा दिन जिया नहीं करते,
जो मौसम आया है, उसे शुमार करो,
गुजरे हुए दिनों को कोई गिना नहीं करते।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I fully support the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012 brought forward by Kumari Selja. It is for including certain castes in the list of Scheduled Castes in the States of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and Sikkim.

Sir, we all know that in Article 341 of the Constitution, there is a provision for the list of Scheduled Castes. This has been mentioned that in 1950, the first order was issued for the Scheduled Castes by the President of India and since then, six Presidential Orders have been issued and these Orders have been amended from time to time, that is, the list has been changed, but the Constitution enjoins that we must bring it to the Parliament. Only Parliament by law may change the list.

The process of including new castes is a time-tested process. It is not that the Minister alone does anything. The State Government sends the proposal. Then, the Ministry of Social Justice and Empowerment sends it to the National Commission for Scheduled Castes, of which Shri Punia is the Chairman. Then, it goes to the Registrar-General of India. After approval from both of them, it comes to the Parliament. This whole list has also gone through the whole process. So, nobody can have objection to it. Here in Parliament, there is no point in demanding for inclusion of any new caste in the list of Scheduled Castes because even if the Minister wants, she cannot include any new caste in it without going through the whole rigmarole. The important thing that has been debated / mentioned here is the question of reservation. Why is it included? Why is it important for the caste to be included in the list to get the benefit of reservation, which is given according to Article 16 (4) of the Constitution?

This whole process of reservation for the Scheduled Caste (SC) and including them in the list has a long history. Gandhiji devoted his whole life for the temple entry of untouchables. Our Constitution eliminated untouchability from the country. The main drafting was done by Dr. Ambedkar who was a champion of SCs, and then for the first time reservation was included.

At present, reservation is there in the case of election to Assemblies / Parliaments, and with Shri Rajiv Gandhi's initiative it was included for election to Municipalities and Panchayats. So, the whole gamut of reservation in the political circle came into being. In the field of Government service, both the State Governments and the Central Government have provided reservation according to the population proportion of the SC and ST in any place. There is no problem regarding that.

Now, a question recently has come up in which there was a lot of *hulla-gulla* in the Parliament with regard to reservation in promotion. In the case of N. Nagaraj *V/s*. Union of India, the Supreme Court held that the Constitution amendments made to enable the State to provide reservation in promotion are constitutionally valid. However, the States have to collect quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment keeping in mind maintenance of efficiency as indicated in Article 335. Now, this has posed the main problem because of this Supreme Court judgement. Again, the Supreme Court in the matter of Rajesh Kumar *V/s*. Uttar Pradesh Power Corporation struck down the provision of reservation in employment of service in the State of UP because the aforesaid requirements were not complied with. This matter was brought in Parliament around August 2012, and the Parliament was brought to a standstill for several days demanding that this provision be amended. An all-Party meeting was called and an amendment has been passed in the Rajya Sabha, but it is awaiting passing in the Lok Sabha. I hope that the Minister would take the initiative in passing the amendments so that there

is no confusion about reservation in promotion of SC people. We strongly demand it.

Another demand has been made here before the Minister and you about reservation in appointment in the private sector. When our present Speaker was the Minister for Empowerment, she had raised it several times with the FICCI and other Chambers of Commerce, but our business community, as a whole, are blocking this question of reservation in appointment in private sector jobs. I think that the Government should take a stronger line and enforce this reservation in appointment in private sector. It is because we are trying to undo the wrongs of thousands of years done to the people who have been oppressed and the people who have not got proper opportunity to be given this opportunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please be brief.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am concluding in three minutes with two more points to mention here.

Firstly, I bring to the notice of the hon. Minister, through you, that there are three benefits that have been enjoyed by the SC. One is reservation in employment; second is reservation in educational institutions. We should be more careful to see that all this reservation in educational institutions is properly implemented. The third is, in every State, now the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students are being given scholarships. Now, a lot of difficulty is being faced by the students in getting the scholarships. This matter should be sorted out. There is delay in disbursement of scholarships.

Then, every State has a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Development Corporation which gives loans. Again, in getting loans, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people are being impeded. A national conference can be called to expedite the work of giving loans to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe students.

The main issue is issuance of Scheduled Caste Certificates. In many States, the issuance of Scheduled Caste Certificate is a long drawn out process in which

bribes have to be paid. People take up to one year. In West Bengal, we have been able to streamline the process and we are giving the Scheduled Caste Certificates within three months. Last year, nine lakh Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates were issued in West Bengal. I would like other States to follow the lead given by West Bengal in issuing Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates quickly.

Lastly, I want to say that this reservation to Scheduled Castes is a fulfilment of the dream of Gandhiji who wanted 'Ram Rajya for all'. Those who question forget the fact that even in an advanced country like USA, they have what is known as 'affirmative action'. Now, reservation is a kind of affirmative action. I had read a speech by Condoleezza Rice who was the Secretary of State in USA. She said, "I could only progress in life because in college I was the recipient of affirmative action."

Reservation is an affirmative action taken by the State to remove the persistent or present and continuing effects of past discrimination on particular segments of the Society to:

(i) lift the 'limitation on access to equal opportunities';

(ii) grant opportunity for full participation in the governance of the society; and

(iii) overcome substantial chronic under-representation of a social group.

With these words, I conclude by saying that the Minister has taken a step for advancing the cause of the Scheduled Castes which I fully support.

SHRI SAKTI MOHAN MALIK (ARAMBAGH): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012 which seeks to include certain castes in respect of Odisha, Tripura, Madhya Pradesh and Kerala in the Constitutional (Scheduled Castes) Order, 1950 and also to omit 'Majhi' caste from the Scheduled to the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978. I welcome the Bill and support. However, I wish to say a few words on this Bill. There are many schemes for upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but what about the implementation? There is the Act for Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes but it is not implemented properly. Even though the Act is there, we are witnessing substantial increase in the number of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in recent years. Only about one-third cases of violence against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are registered.

The police resort to various malpractices to harass Scheduled Castes and Scheduled Tribes from registering the cases to dilute the seriousness of the violence and to shield the accused persons from arrest and prosecution. FIRs are often registered under Acts other than POAA to dilute punishment.

So, I would urge upon the Government to take remedial measures to implement the Act properly and punish the culprits. We see that lists of castes are variable in different States. So, migrant Scheduled Castes and Scheduled Tribes of one State cannot get the facilities in other States. The Government should be serious to take measures for provision of the facilities in every part of the country. After partition, lots of Bengalees belonged to different castes like 'Namasudra', 'Poundrakhsatriya', 'Majhi' etc, who are Scheduled Castes in West Bengal but they do not get the recognition in other States. I would urge upon the Government to take necessary steps to solve the problem as early as possible.

Justice Ranganath Misra Commission recommended dalits of every religion should be included in the Scheduled Castes list. For this, the Government should take immediate steps and quota of Scheduled Castes should be increased accordingly. There is reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, it is a well established fact that it is very poorly implemented. Moreover, the number of jobs are decreasing for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to privatisation of Public Enterprises. Therefore, we would urge upon the Government to bring a legislation to reserve jobs in Private Sector to ensure jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

With these words, I wish to conclude my speech and thank you again for allowing me to speak.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Thank you for giving me an opportunity to speak on this issue. Sir, I would like to ventilate my views on the Bill namely, Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012. On behalf of my party Biju Janata Dal, I whole-heartedly support the provisions provided in the Bill. In this Bill, section 2 clause 'c' is about the spelling of my State name Odisha and a few substitute for the Entry in serial numbers 2, 13, 41 and 69 in reference to Presidential order of Odisha. Sir, these are minor modifications so far as Odisha is concerned. The Central Government is completely silent on major issues which are affecting the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Odisha. Our State Government repeatedly recommended the exclusion of Dewar caste which is in the list in serial number 24 from the list of Scheduled Caste of Odisha but the Central Government is deliberately silent on this issue. Similarly, our Government recommended the inclusion of 'Tiar/Tior' Community in the list of Scheduled Castes in Odisha. The total population of 'Tiar/Tior' in Odisha is 1.5 lakh. Ninety-nine per cent of Tiar/Tior people are landless. They are educationally, socially extremely backward and suffer from untouchability and social discrimination. The traditional occupation of 'Tior/Tiar' people is fishing by khepa net and by Pulua. Since 1990, 'Tior/Tiar' communities have been demanding to include their caste name in the list of Scheduled Castes but of vain. So, the Government should take appropriate steps to include them immediately. In the present day, every Government is debating the fundamental modalities, principles for deciding claims for inclusion in and exclusion from and other modification in the List of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes due to political compulsion. This is a very unwanted trend which is diluting the basic principle of the Indian Constitution. As you know, the criteria for inclusion of caste etc., in the List of Scheduled Castes is extremely social, educational and economic backwardness arising out of traditional practice of untouchability and not poverty. This modality should not be debated at any moment. So, it is the duty

of the Union Government to implement the constitutional provision in order to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. With these words, I support the Bill wholeheartedly.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, अनुसूचित जाति वाला विधेयक सैलजा जी लेकर आयी हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिए, आप उधर मत देखिए, इधर देखिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह गरीब आदमी का विधेयक है। चार-पांच सैशन से बार-बार छपते-छपते, आज संयोग है कि यह पास होने जा रहा है, नहीं तो इस विधेयक का बड़ा दुर्भाग्य हम देख रहे हैं, क्योंकि यह कितनी ही बार कार्यसूची में छपा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज अच्छा हुआ कि यह हो गया।

महोदय, अपने देश में और प्रदेश में जो ये अनुसूचित जाति, बाबा साहब अंबेडकर जी ने टाइटल दिया, सब राज्य सरकारें दलित, महादलित क्या-क्या शब्द बोल रही हैं, लेकिन असल में उनकी भलाई नहीं हो रही है। दो-तीन राज्यों में कुछ जोड़-घटाव करने के लिए यह विधेयक है, लेकिन बाकी राज्यों का क्या होगा? जैसे और लोग हैं, जैसे पान जाति है, ततवां, तांती, पान, बुनकर इन सभी की एक जाति है, स्वॉसी, पानर ये सभी एक तरह के हैं। ओडिशा में पान शैड्यूल कास्ट में है, हमारे बिहार में भी पान शैड्यूल कास्ट में है। स्वॉसी और पानर भी अनुसूचित जाति की सूची में हैं, लेकिन यह ततवां, तांती क्यों छूट गया? सबका विवाह शादी एक साथ में होता है यानी एक जाति है, नाम विभिन्न है, विभिन्न जातियों का विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम है। जैसे कहीं यादव हैं तो कहीं अहीर हैं, इस तरह से लोगों की विभिन्न रूप में अपने देश में जाति की व्यवस्था पहले से है। यह ठीक नहीं है, लेकिन यह पहले से है और उसमें हम सुधार की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ततवां, तांती क्यों छूट गया? राज्य सरकार लिखती है, समाज अध्ययन संस्थान लिखता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लिखता है, इस सबके बाद में यह कैसे छूट जाता है। ततवां, तांती जाति वाले लोग हमारे यहां आकर जान धुने हुए हैं। उनके नेता हैं और जातियों का संघ है और वे कहते हैं कि पान, ततवां और तांती में कोई फर्क ही नहीं है। पान है, लेकिन ततवां, तांती अनुसूचित जाति में नहीं है।

महोदय, उसी तरह से अमात जाति है। अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में रखने का विधेयक है। आप तो सब जानते हैं, बिहार, ओडिशा, बंगाल, झारखंड सब एक प्रदेश था। अब अमात जाति को ओडिशा में अनुसूचित जाति में ला रहे हैं तो फिर बिहार में उसे क्यों छोड़ दिया? पहले एक ही प्रांत था, उसमें उस जाति का एक ही स्टेट्स था, अब ओडिशा में अमात जाति का अनुसूचित जाति में आ गया, लेकिन बिहार की अमात जाति छूट गयी। वह कहेगा कि हमारा क्या कसूर है, हम बिहार में आते हैं, इसलिए हमारा नहीं किया।

महोदय, एक कानू जाति है, उनके महासंघ के लोग मिले थे, बड़ी संख्या में उनके नेता आये हुए थे, जंतर-मंतर पर धरना हुआ था। किसी अखबार ने उसके बारे में छापा भी था, गरीब आदमी का तो अखबार भी नहीं छापते हैं, उनका तो अखबार में छपता भी नहीं है। उनको हर जगह से प्रताड़ना, हर जगह से उनकी उपेक्षा होती है। कानू जाति के लोगों ने वहां पर धरना दिया, चार-पांच दिन हो चुके हैं, किसी एक अखबार में देखा, शायद जनसत्ता में छपा है कि उन्होंने धरना दिया है। उनका कोई कागज़ आया माननीय मंत्री के यहाँ और प्रधान मंत्री के यहाँ। नाम हुआ कि कागज़ भेजा गया लेकिन पहुँचा या नहीं, मालूम नहीं। कुम्हार जाति जो है, उनका भी संगठन है। कुम्हार, प्रजापति, ये सब उनके विभिन्न नाम हैं, वे भी लड़ रहे हैं कितने दिनों से कि अनुसूचित जाति में हमें रखिये, हमारा सोशल स्टेटस देखिये, सामाजिक इंतज़ाम देखिए, इतिहास-पुराण देखिये, समाज विज्ञान देखिये। नाई जाति जो केश काटते हैं, वे कहते हैं कि हमारी हालत खराब है, हमें भी अनुसूचित जाति में रखिये। एक हैं ढाढ़ी जो मुंगेर और मोकामा के पास हैं। वे आठ-दस लोग हमारे पास आए। सब हट्टे-कट्टे थे। हमने पूछा कि कहाँ रुके तो उन्होंने कहा कि हम तो स्टेशन पर ही नहा-खाकर रह गए। वहाँ से तब किसी प्रकार साहस करके हमारे पास आ गए। वे कहते हैं कि दुसाध, धरही, ढाढ़ी, पासवान उन्हीं को उसमें रख दिया गया है। वे कहते हैं कि हम अलग हैं, हमें पासवान से कोई रिश्ता नहीं है और हमारा नाम कहीं लिखा नहीं है - ढाढ़ी, ढढ़ही। उधर मोकामा के इलाके में ज़्यादा संख्या उनकी शेखपुरा में है, हमें लगता है कि 25-30 हज़ार की उनकी संख्या होगी। लेकिन वे कहते हैं कि कम संख्या के कारण हमें कौन पूछता है? चौपाल जाति अनुसूचित जाति में है लेकिन खतवे नहीं है। खतवे वाले लोग कहते हैं कि दोनों का शादी-ब्याह एक साथ, सभी एक जाति है, चौपाल और खतबे। खतबे वाले का क्या कुसूर है, वह अनुसूचित जाति में नहीं है। तुरहा भी छोटी जाति है लेकिन कम संख्या में है। कैवर्त जाति उड़ीसा में, त्रिपुरा में, बंगाल में अनुसूचित जाति में है। कैवर्त, केवट और मल्लाह जातियाँ हैं। मल्लाह जाति बंगाल में अनुसूचित जाति में है और बिहार में अति पिछड़ी जाति में है और उनका संगठन लड़ रहा है। नोनिया, मल्लाह, माली, धानू, कहार, बिन्द, बेलदार, केवट और लोहार, ये सभी जातियाँ आप देखें। लोहार जाति बंगाल में अनुसूचित जाति में है और झारखंड में अनुसूचित जनजाति में है। हमारे यहाँ अति पिछड़ी जाति में हैं और वे लड़ रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल करें। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके यहाँ ओबीसी में है। इस तरह की विसंगतियाँ इन जातियों की है। माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाई हैं, उसमें केवट जाति भी अनुसूचित जाति में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, बहुत लंबा हो रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह जातियों की बात है, हम क्या करें। पहले से ही इसमें बहुत जातियाँ छूटी हुई हैं। यहाँ भी उनका ज़िक्र नहीं होगा तो उन जातियों का भला कैसे होगा? उसी तरह से गड़रिया है, जो भेड़ चराने वाली जाति है। इसके अलावा पाल जाति है। महोदय, तेली लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति से तो देह छूने से छुआछूत होती थी, वे कहते हैं कि हमको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है। कहते हैं कि तेली को सुबह देख लिया जाए तो भोजन ही नहीं मिलता है, ऐसी समाज में गलत मान्यता है। वे कहते हैं कि हमारी स्थिति अनुसूचित जाति से भी खराब है। अनुसूचित जाति के बारे में कहते हैं कि छूने से छुआछूत होती है लेकिन उनको तो देखने से ही छुआछूत हो जाती है। ऐसी खराब व्यवस्था है हिन्दुस्तान में। ...(व्यवधान) महोदय, हिन्दुस्तान पीछे क्यों रहा? इसीलिए पीछे रहा कि करोड़ों लोगों को पीछे बनाकर रखा, अछूत बनाकर रखा। दुनिया के मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान अगली पंक्ति में कैसे बैठेगा जब हम करोड़ों आदमियों को पीछे धकेलकर रखेंगे? यह हमारा मूल सिद्धांत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अन्याय हुआ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में नौ जातियों के नाम पर रेजिमैन्ट है। राजपूत रेजिमैन्ट है, जाट रेजिमैन्ट है, मराठा रेजिमैन्ट है, सिख रैजिमैन्ट है, एक चमार रैजिमैन्ट थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो कहा कि चमार रेजीमेंट होगा और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, वैसे ही चमार रेजीमेंट खत्म हो गया। क्यों नाम हटाया? हम अभी की हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा किए गए खराब कामों को आपने सुधार दिया, इस काम का सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हमने डिफेंस मिनिस्टरी से पूछा था कि चमार रेजीमेंट था या नहीं। हमें जवाब आया कि था। क्यों हटा दिया? इसलिए कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनायी थी, जिसके कारण वह विद्रोही साबित हो गए। उसी आर्मी के जोगी राम और धर्म सिंह, जिनको माननीय मंत्री जी जानती होंगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, असली मुद्दा तो अब आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : असली मुद्दा तो शुरू से चल रहा है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है? ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब तक शोषित, वंचित, उपेक्षित दलित लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में नहीं लाएंगे। आपने अन्य जातियों के रेजिमेंट को कायम रखा है। चमार रेजिमेंट को अंग्रेज ने हटा दिया तो कांग्रेस सरकार उसको क्यों नहीं रख रही है? इसका जवाब हमको चाहिए और हमें बताइए कि इन जातियों के साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ है तो क्या अब भी अन्याय होता रहेगा और कितने दिन तक अन्याय होता रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन सभी जातियों का सर्वे करके राज्य सरकारों, समाज अध्ययन संस्थानों और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से आंकड़े लेकर सुधार करने चाहिए, जिससे वह आरक्षण से वंचित न रहें, अपने हक से वंचित न रहें।...(व्यवधान)

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं मात्र दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देने के लिए खड़ी हों, तब यह जरूर बताएं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए राजस्थान में आज से पांच साल पहले गूजर जाति ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आजाद देश में, मैं समझता हूं कि जब हम गुलाम थे, तब भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें बीस से लेकर पच्चीस साल के अस्सी नौजवान मारे गए हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह आरक्षण कहां फंसा हुआ है, कोर्ट में उसका क्या स्टेटस है? यह हमारा सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, तो कोर्ट का भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अस्सी नौजवानों की शहादत उनके माँ-बाप को याद करके सदन चिंतित हुआ था। आज उनकी हालत बहुत खराब है तो उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह माननीय मंत्री महोदया जरूर बताएं।

दूसरा, अनुसूचित जाति का आरक्षण। हर सभ्य हिन्दुस्तानी चाहता है कि हमारी अनुसूचित जातियां, आदिवासी सम्पन्न हों और आगे बढ़ें। आजादी के बाद का 63 वर्ष का समय देश के इतिहास में कोई छोटा समय नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार शुरू में दस साल के लिए आरक्षण किया गया था और उसके बाद यह तय हुआ था कि इसकी समीक्षा होगी और तब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हर दस वर्ष बाद यह बढ़ता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आगे भी उसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे रेल के एक डिब्बे में भीड़ हो और कोई आदमी बहुत अनुनय-विनय करके दरवाजा खुलवा ले कि मेरी रेल निकल जाएगी, कृपया दरवाजा खोल दो और दया करके आप जैसा महानुभाव दरवाजा खोल दे तो अंदर बैठते ही अगले स्टेशन पर जब कोई उस जैसा ही आदमी आता है तो वही आदमी कहता है कि तू पिछले वाले डिब्बे में चला जा।

15.00hrs

जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का फायदा उठा चुके हैं तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत का क्या हो रहा है? जो वास्तविक गरीब हैं, उन तक तो यह जानकारी भी नहीं पहुंचती है कि पढ़ाई में उनके लिए रिज़र्वेशन कहां है? नौकरी जो निकलती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। उन तक कोई बात नहीं पहुंचती है।

मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि इसकी समीक्षा की जाए ताकि वास्तविक गरीब को इसका लाभ पहुंचे।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, at the very outset, I support the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.

This Bill seeks to include certain castes with respect to Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura in Scheduled Castes Order 1950. In accordance with the provisions of Article 341, Presidential orders were issued between 1950-78 for specifying Scheduled Castes in respect of various States and Union Territories. These orders have been amended from time to time by Acts passed by this House. I welcome this Bill, as it is going to recognize some castes though it is confined to four States only.

But, Sir, I do not know for how long these proposals have been pending in the Ministry. The Standing Committee has pointed out that a number of proposals from State Governments for amending the Scheduled Castes Orders are pending with the Ministry, Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes. Now, the question arises about the benefits, about the facilities to be provided properly to the Scheduled Castes. This is the secondary point. Primary point is the recognition. If the Ministry and all other mechanisms remain idle and huge proposals remain pending then how recognition of the huge number of Scheduled Caste people will take place? How will these huge number of Scheduled Caste people who are supposed to be recognized will get the benefits? I think the Minister will respond to this matter as to how many proposals are still pending in the Ministry; not only in the Ministry but also with the Registrar General of India and with the National Commission of India. In my State of West Bengal some communities have been left out and they are waiting for the recognition. It has been very correctly said by some Members in this House that some communities have been recognized as Scheduled Castes in some other States but not in our State. This is creating problem particularly in the case of cosmopolitan towns. In cosmopolitan towns people are coming from different States. In their original home State they have been recognized as Scheduled Castes but as they have not been recognized in our State they are not getting the

benefits. So, some sort of mechanism should be found out so that all types of notified Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated at par. There should be uniformity so that they are not deprived of the benefits.

Another point which is a matter of concern is, and it has been mentioned by the Standing committee, that the data of the estimated population of different communities was not available with the Ministry of Social Justice and Empowerment. I do not know whether the data is there or not with the Minister herself. But if there is no data, then how do you prepare the financial memorandum for the Bill? If you do not know the exact population of the Scheduled Castes, then how are going to prepare the financial memorandum for the Bill? How are you going to provide the budgetary allocation in this regard? I think this is some sort of lacunae and that should be removed and some justice should be done.

Then, there is a Registrar General of India. It never conducts any field based anthropological study. They do not go to the base. They should go to the base. They should properly conduct the anthropological studies and collect updated information on the socio economic condition.

So far as other States are concerned, please dispose of the pending proposals so that they could be recognised as vulnerable. I do agree with my previous speaker, hon. Member, Dr. Raghuvanshji. Why are we in the back? It is because we have moved them in the back. Let me allow to quote Rabindranath Tagore in this regard. He said:

"*Jare tumi rakho piche,*
Sey tomare taniche paschate."

Those whom you put in the back, they will pull you in the back. As we have pulled them in the back, so our country is also pulling back. So, justice is required to be done. In this regard, the priority is to expedite these cases. Do not sit idle. If any reforms or restructuring is required of the organizations, do it as soon as possible. A huge number of people are socially backward and they are deemed to be Scheduled Castes but they have not been recognized. You are depriving them of their fundamental right. You are sitting idle and are not functioning properly. So, while I support this Bill, this is my accusation.

I think the Government will think over it and in the course of her reply, the Minister will respond to these points. With these words, I conclude.

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां ये रिजर्वेशंस, पसमांदह लोगों और उनकी जातों का लिस्टों में दर्ज करना तथा उनको सहूलियात देना वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक अफसोसनाक सूरतेहाल , हमारे मुल्क में रही है। सैंकड़ो, हजारों साल से जात-पात के नाम पर हम बंटे हुए हैं, जब कि हम सारे लोग जिस जात के भी हों, जो भी पेशा अख्तियार करते हैं, सारे एक ही भगवान ने हमको बनाया है। सारे लोग एक ही इज्जत और एतराम के मुस्तहक हैं। चमार जूतियां बना कर इस देश की ख़िदमत करता है और मैं यहां आकर दो बातें करके इस देश की ख़िदमत करता हूं। अगर वह नहीं होगा, मेरा बाहर जीना हराम हो जाएगा। अगर यह स्वीपर नहीं होगा, मेरा जिन्दा रहना हराम हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा उनके साथ व्यवहार बराबर नहीं रहा है। सामाजिक तौर पर, तालीमी तौर पर, इक्तसादी तौर पर वे लोग बहुत पीछे हैं। उनके साथ हमेशा एक तो यह सलूक रहा और दूसरी तरफ नफरत का सलूक रहा।

सर, आपकी तवज्जो चाहता हूं, 1980 में मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमेटी का मेम्बर था। हम रामानाथापुरम में गए, वहां शिकायतें आई थीं। वहां एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं और जब किसी को मैं दवाई प्रैस्क्राइब करता हूं तो ऊंची जाति के डॉक्टर उस नुस्खे को काट देते हैं, उस दवाई को फेंक देते हैं। एक बार शदीद बरसात में मैं बाजार से चला, मैंने अपना छाता सिर के ऊपर रखा तो ऊंची जाति के आदमी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा, कहा कि यह हमारा बाजार है, यहां आप यह नहीं चला सकते। इस चीज़ को आप क्या करेंगे? जब तक इस मुल्क का माइंड सैट चेंज नहीं होगा, जो बड़ी जाति वाला कहता है, वह मुझे कहे, वह चमार के साथ एक ही जगह खाना खाये, तो मैं मानूंगा कि वह बड़ी जाति वाला है। बड़ी जाति वाला अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे मकान में रहने से नहीं होता। बड़ी जाति वाला बड़ी सोच से होता है, बड़े दिल से होता है, बड़े सब्र से होता है, बड़े सुकून और दिमाग से होता है और दूसरों के साथ बड़ी हमदर्दी करने से होता है। कुदूरतें और नफरतें दूर करने से बड़ी जाति होती है, बड़ी जाति सिर्फ इसलिए नहीं कि रेवेन्यू रिकार्ड में मेरी जाति ब्राह्मण लिखी या मेरी कुरैशी लिखी या मेरी सैयद लिखी, बड़ी जाति इन्सानी इख़लाख की बुलन्दी जब आती है, तब होती है। सबसे बड़ी जाति वह है, जो कि अपने आपको मिट्टी में मिला करके मिट्टी के कीड़ों तक की इज्ज़त करना चाहे, वह बड़ी जाति होती है। आज ही मेरे दोस्त ने यह भी कहा, मैं जनाब डॉ. अम्बेडकर साहब को और महात्मा गांधी को सलाम करता हूं, जिन्होंने यह तसव्वुर दिया कि यह समाज बंटना नहीं चाहिए, इस समाज में यकांगत और यकजहती होनी चाहिए, गरीब-अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, हिन्दू-मुसलमान का फर्क नहीं होना चाहिए, इलाकाई

और जुबानों का फर्क नहीं होना चाहिए, हर एक में यकजहती होनी चाहिए, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलता है, जो आगे बढ़ते हैं, जहाजों में चलते हैं, बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ियों में चलते हैं, कम्पनियों के मालिक हैं, सोशली इख्तसादी हालत उनकी बहुत अच्छी है, रिजर्वेशन उनको मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है और जो मिट्टी में मिले हुए गरीब लोग हैं, वे वहीं रहते हैं। गवर्नमेंट को इन बातों को देखना चाहिए और जिनको यह सवारी 60 साल से मिली है, उससे फायदा मिला है, उनको आप इस लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं और जो पीछे रहे हैं, उनको इस लिस्ट में आप आगे ला सकते हैं।

सरकार को संजीदगी से इस बात को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे यहां गये थे, जब वे प्रधानमंत्री थे तो पहाड़ी बोलने वाले हमारे लोग बहुत गरीब हैं, उनकी हालत भी वही है, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स की है। उनको वायदा दिया गया, करना के इलाके में, गुरेज़ के इलाके में, तुलेल के इलाके में, उड़ी के इलाके में, दूरदराज़ जगहों पर, राजौरी वगैरह के इलाकों में कि आपको शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जायेगा, लेकिन आज तक वह फाइल आपके दफ्तरों में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बार-बार रिकमेण्ड किया, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, जब डॉ. फारुख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी, सब ने किया, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल-दरामद नहीं हुआ। मैं मैडम मिनिस्टर साहिबा से गुज़ारिश करूंगा कि इसका ध्यान रख लें और देख लें। मैं इसी दर्द के साथ, जो उन जातियों के साथ सुलूक हो रहा था, उनके लिए तालीम में, उनके लिए इक्तसादी इमदाद में, उनके लिए वजाईफ में, हर तरह की इमदाद की जाये, ताकि वे आगे बढ़ सकें। हिन्दुस्तान तब तक सेहतमंद नहीं होगा, जब तक सारी जातियां एजुकेशनली, सोशली और इकोनोमिकली आगे नहीं बढ़ेंगी। ये हिन्दुस्तान के अंग हैं, एक अंग अगर कमजोर रहता है तो सारा जिस्म दुखता है। मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये।

इसी के साथ मैं आपके बिल की हिमायत करता हूं।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. Under article 341 of our Constitution, the hon. President has been empowered to provide status of Scheduled Castes to those people who are in the lower strata of our society and they are called *Dalits.* Using these powers, the hon. President by an Order of 1950 restricted the status only to those who profess Hinduism as their religion.

I would like to quote to the Minister para 3 of Order 1950. It says:

> "Thus *dalits* who were professing religion of Sikhism, Buddhism, Islam and Christianity were denied this right of Scheduled Castes which they were enjoying from 1936 to 1950."

They were enjoying it from 1936 to 1950. Later on Sikhs and Buddhists were granted the status of Scheduled Castes. So, two amendments were made. My question to the Government of the day is: When Muslims are entitled to OBC quota, when Muslims can avail reservation under Scheduled Tribe, why is it that *dalit* Muslims and *dalit* Christians cannot be given the status of *dalits*?

When the hon. Minister stands up to reply, will she agree with me in saying that article 341 of the 1950 Presidential Order is unconstitutional, discriminatory, depriving and it contravenes our fundamental right of articles 14, 15, 16, and 25, which is the right to freedom of religion? Will she agree with me that the 1950 Presidential Order and article 341 (1) are unconstitutional and plain discriminatory? What is the Government doing to ensure that this discrimination ends?

Let me read article 13, sub-section 2. It says:

> "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

Now, coming to this Government, headed by Dr. Manmohan Singh, I would like to say that this Government had constituted the Sachar Committee. The Sachar Committee had recommended reservation to be given to *dalit* Muslims and *dalit* Christians. About others, it has not mentioned a word. This Government has formed the Religious and Linguistic Minorities Commission, headed by a retired Chief Justice of the Supreme Court, Justice Ranganath Mishra. You have tabled a Report in this august House, without an Action Taken Report. You form a Commission under Inquiries Act of 1951, but you do not table an ATR. Then, what is the sanctity of this august House? What is the sanctity of your decisions? Are you really serious enough to uphold the right to equality before law, article 14 and freedom to religion?

The National Commission for Scheduled Castes in their Order of 18.12.2007 had given a green signal. What is the percentage of dalit Muslim population among the whole Indian population? It is only 0.80 per cent. They are backward educationally and socially. Justice has to be done to them.

In conclusion, I would like to quote what Mahatma Gandhi wrote in *Harijan*, Volume IV, No. 46, in December, 1936. He wrote:

> "Whether the harijan is nominally a Christian or a Hindu or a Sikh or a Muslim, he is still a harijan. He cannot change his spots inherited from Hinduism so-called. He may change his garb and call himself a Catholic harijan or a Muslim harijan or neo-Muslim or neo-Sikh, his untouchability will haunt him during his lifetime."

For God's sake, why do you not uphold the words of Mahatma Gandhi? Father of the Nation has written this, but you do not want to accept his words.

Coming back to 1997, the National Commission for Minorities, under section 9, sub-section 1 of the NCM Act, has recommended for the outright removal of the provision of the 1950 Order which confines the SC status to three specific religions. In the Annual Reports of 2006 and 2007, they have done this. For four years the matter is lying with the Supreme Court. I do not know what the Supreme Court is doing. This Government led by Dr. Manmohan Singh has let us

down completely. This Government has not even filed a reply in the Supreme Court as to what is your opinion. The Supreme Court has posed three questions to you. You cannot even answer those three questions. Are you running of the Government of the day? You cannot even reply to three questions of the Supreme Court!

What has happened to the Usha Mehra Commission's Report about re-classification of *dalits* in Andhra Pradesh? It is a Report of a Commission. The Government is sleeping over that.

The State of Andhra Pradesh is in turmoil, including coastal Andhra. The Ministers hailing from coastal Andhra are harping about Hyderabad. You forget about Hyderabad. You will never get Hyderabad. But you can protect yourself and you can retrieve the lost ground to the other parties. The population of *dalits* in coastal Andhra is nearly 20 per cent. They are practicing Christianity. But they are not saying openly. Why do you not give them the *dalit* status and make a political point over there?

The *dalits* of Telangana are angry against you. Why? It is because you are not implementing the Usha Mehra Commission's report. So, my request to this Government is, at least, to file a reply to the Supreme Court or tell the Supreme Court "we do not have a reply. You decide it." You do not even want to file a reply. You do not want to take a decision. Despite a Commission which you have yourself formed, you are now bringing forward an amendment. You have conveniently forgotten about the *Dalit* Muslims and *Dalit* Christians.… (*Interruptions*) It is against equality before law. It is against freedom of religion. It is against Articles 15 and 16. It is unconstitutional. It is discriminatory.

Over and above that, if a *dalit* converts to Christianity and then he decides that he would go back to Hinduism, he gets the Scheduled Caste status. Is it not injustice? This particular Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 para 3 (41) is based on religion only. Why are you discriminating against Islam and Christianity? Is Dr. Manmohan Singh against Islam and Christianity? Pluralism is the ethos of our country. Secularism is inscribed in the Preamble of the Constitution. For God's sake, rise up to the Preamble of the Constitution, rise up to your constitutional duty.

I would once again request my Ministers from Coastal Andhra Pradesh to focus on this; you will retrieve the lost ground. You are focusing on Hyderabad which is the lost cause for you.

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक समस्या के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि झारखंड में माल क्षत्रिय और दण्डछत्र माझी, वर्तमान स्थिति का अच्छा उदाहरण है कि नदी के उस तरफ बंगाल और उड़ीसा में, इन सभी लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन नदी के इस तरफ पूर्वी सिंहभूम और प. सिंहभूम में इस जाति को शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं माना जाता है। अगर यहां से कोई लड़की बंगाल में जा कर शादी कर लेती है, तो उनके बच्चे को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की बंगाल या उड़ीसा से आकर झारखंड में शादी कर लेती है तो उनके बच्चे को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलता है। आइडैन्टीफिकैशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का जो सिस्टम है उसका एक सही उदाहरण है। जो गरीब हैं, और जिनको जरूरत है, उनकी आवाज कभी नहीं सुनाई देती है। अगर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आने की प्रक्रिया आप देखेंगे, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं, जिसमें एक पूरा जैनरेशन खत्म हो जाता है और कोई जवाबदेही नहीं है कि राज्य सरकार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या केन्द्र सरकार इसको एक टाइम बाउंड तरीके से जवाब दें। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है और न ही कोई ट्रांसपैरेंसी है। गरीब आदमी झारखंड, दिल्ली और रांची दौड़ते रहे, यह संभव नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम में ट्रांसपैरेंसी ला कर ऑनलाइन कराइए। क्योंकि गरीब के पास साधन नहीं है कि वे बस पकड़ कर, गाड़ी पकड कर दिल्ली आएं, और हम लोगों से मिलें। हमारा यही अनुभव है। पिछले दो साल से हम कोशिश कर रहे हैं।

मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ये जो प्रोसेस है, सरकार यह कमीटमेंट दे कि इसको ट्रांसपैरेंट और टाइम बाउंड बना देगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का टाइम लिमिट का कोई कमीटमेंट नहीं है, ना हां या ना। आप से अनुरोध है कि सरकार यह कमीटमेंट दे कि राज्य सरकार इस प्रोसेस का टाइम फिक्स कर ले।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना है कि जहां पर भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वहां पर तीन-चार मूल सुविधाओं की कमी है - बिजली, लैट्रीन और घर, आप शेड्यूल कॉस्ट के लोगों के लिए बिजली और इंदिरा आवास बाई लॉ कम्पलसरी कर दें। आप इसको नम्बर के माध्यम से मत कीजिएगा कि इस बार हम सिर्फ बीस देंगे, इससे समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। इसी तरह से टॉयलेट की सुविधा आप बाई लॉ सुनिश्चित कर लीजिए, कि

आइडैन्टीफाय्ड शेड्यूल कास्ट के सभी घरों में सोलर पावर से बिजली उपलब्ध होगी, क्योंकि आप बिजली पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इन सबके लिए टॉयलेट और इंदिरा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की थी कि कुछ लोगों को सुविधा मिल जाती है और जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको सुविधा नहीं मिलती है और एक पोलिटिकल बात हो जाती है, तो आप से यही अनुरोध होगा, मान लीजिए हम लोग एक क्राइटैरिया लेते हैं टैक्स पेयर्स का, जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक फेयर ट्रांसपैरेंट सिस्टम बन जाएगा, तो इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां, 1978 में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोग आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। उन्हें बराबरी पर लाने के लिए इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ प्रदेशों की जातियों में संशोधन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां यह सशोधन स्वागत योग्य है, वहीं इसके साथ-साथ इसमें आज भी काफी विसंगतियां हैं। उन सारी विसंगतियों को संपूर्ण रूप से ठीक करने की आवश्यकता है।

मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में धोबी समाज केवल भोपाल, सीहोर और रायसेन, इन तीन जिलों में अनुसूचित जाति में आता है और बाकी जिलों में यह ओबीसी में आता है। धोबी समाज के लोग सबसे अस्पृश्य अंतिम पंक्ति के लोग माने जाते हैं। जब घरों मे बच्चे होते हैं तो प्रसूति के कपड़ों को घर के सदस्य नहीं धोते, बल्कि उन्हें धोने के लिए धोबी समाज के लोग ले जाते हैं। अस्पताल में ब्लड और पस के धब्बे वाले कपड़े भी धोबी के यहां धोने के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे अस्पृश्य धोबी समाज के लोगों को मध्य प्रदेश के केवल तीन जिलों में शामिल किया गया है। बाकी जिलों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा से 3 अप्रैल, 1998 और प्रदेश विधान सभा में अशासकीय संकल्प क्रमांक 22 पारित करके भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनः 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प क्रमांक 16,17 और 19 पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जब उनकी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे एक चेहरा याद आता है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र के आफिस में बैठता हूं तो हमारे क्षेत्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति परम रजक टीकमगढ़ के गोर गांव से आता है। वह आँखों में उम्मीदें लेकर आता है, बच्चों के भविष्य के सपने लेकर आता है और एक ही बात कहता है कि मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारा धोबी समाज मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों, देश के सारे राज्यों में इसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। हमारा जीवन निकल गया, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य संवर जायेगा।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा शासकीय संकल्प पारित करके भेजा गया है। उसे मध्य प्रदेश के बाकी सभी जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। इसी तरह प्रजापति समाज को मध्य प्रदेश में छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी शहडोल और दतिया

जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। जब दीपावली आती है तो प्रजापति समाज के लोग दीये बनाते हैं, दशहरा आता है, तब रावण के पुतले बनाते हैं, सक्रांति आती है तब खिलौने बनाते हैं। यह भी अनुसूचित जाति के समाज की अंतिम पंक्ति के वे लोग हैं, जिन्हें विकास की दौड़ में आगे लाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ-साथ शेष राज्यों में जहां ये वंचित रह गये हैं, इन सबको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

इसी तरह खटीक समाज को आज भी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल ओड़िशा और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। इन्हें यहां ओबीसी की केटेगिरी में रखा गया है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो यह पूरे देश में एक ही काम करते हैं और आज भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ेपन के शिकार हैं। मै आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि खटीक समाज के लोगों को भी सारे देश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी भी एक ही बात कहते थे। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में जो गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, उन्हें बनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है। महानगरों की दमदमाती सड़कों में दमक लाने का काम भी अनुसूचित जाति का मजदूर करता है। लेकिन समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक रहने के लिए मकान, अस्वस्थ रहने पर दवा, पहनने के लिए कपड़े और उसके बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से समान अवसर प्राप्त नहीं होते, तब तक मैं समझता हूं कि हम जो संशोधन करते है, समाज को आगे लाने की दिशा में जो प्रयास करते हैं, वे सारे प्रयास अधूरे हैं।

चिकगाड़ा, चिक, चीक, महरा, माहरा, औढेलिया, अढोलिया, अढोरिया, अढ़ौलिया एवं सूत सारथी का प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया। इसी प्रकार समय-समय पर कहार, केवट, केंवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, धीमर, लोहार, आदि को धोबी आंदोलन के माध्यम से अनुसूची 341 में शामिल करने का आग्रह किया गया है।

अंत में, मैं इन शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि खटीक समाज, धोबी समाज और प्रजापति समाज को देश के सारे राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसेन और सीहोर को छोड़कर प्रदेश सरकार द्वारा जो संकल्प पारित करके यहां भेजा गया है, उस धोबी समाज को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2012. I whole-heartedly support this Bill.

As per the provisions of Article 341 of the Constitution of India, the main criteria for considering a caste for inclusion into the SC List is untouchability. Those castes suffering from untouchability are included in the SC List. At present in India, there are 1,208 castes which are included in the SC List. From the State of Karnataka 60 castes are included in the SC List, from Andhra Pradesh 60 castes are included, from Kerala 55 castes are included, from Tamil Nadu 76 castes are included in this list.

I would like to submit that for inclusion in SC List, the main criteria is untouchability. Those castes suffering from untouchability have to be included in SC List. Nowa-a-days, from every State recommendations have come for inclusion of castes in this list. From Backward Classes, many castes want to be included in SC List. My humble request to the hon. Minister is that the Government should consider untouchability as the main criteria for inclusion into this list.

My next point is, the hon. Minister is including some castes into this list, but she is not enhancing the percentage reservation. Already, 1,208 castes are included in SC List. But the percentage reservation remains at only 15 per cent. I would request that the Government should enhance the percentage reservation to the Scheduled Castes.

Then, I would like to say a few words to further stress my stand. For example, if a touchable caste is included into the SC List, then a situation may arise that the person from this touchable caste will practice untouchability on the other members of the Scheduled Castes. Then, the concept of social justice gets defeated. In that case, the members of the untouchable caste, who experience

atrocity and harassment, cannot seek justice under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Such situations have arisen in the past and they may arise in the future also. So, we should not give way for such social dilemmas or social contradictions.

Finally, I would like to say that the yardstick for inclusion of a caste into the SC List should be strictly followed. At the same time, if some castes are to be excluded, that process should also be done after proper investigation.

With these words, I support the Bill brought by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (KUMARI SELJA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, through you, I would like to thank the hon. Members who have participated in this discussion. Shri Virendra Kashyap, Shri P.L. Punia, Dr. Baliram, Shri Bhudeo Choudhary, Prof. Saugata Roy, Shri Sakti Mohan Malik, Shri Mohan Jena, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Sanjay Singh Chauhan, Shri Prabodh Panda, Shri Asaduddin Owaisi, Shri Ajay Kumar, Shri Virendra Kumar, Shri Dhruvanarayana and other hon. Members have participated in this debate. All the hon. Members have supported this Bill. I am grateful to them.

Sir, many of them have explained the process through which different castes or their synonyms can be included or excluded from this list. I have also explained it in my speech. But, for the benefit of hon. Members, I would like to, once again, apprise the hon. Members about the procedure that we follow relating to this inclusion and exclusion.

Sir, as all the hon. Members are aware, the Scheduled Castes are notified under the provision of article 341 of the Constitution of India. First, the list of the Scheduled Castes in relation to State or Union Territory is by a notified order of the President after consultation with the State Government concerned. Any inclusion or exclusion, subsequently, can only be done by an Act of Parliament, hence this Bill .

The Government of India has laid down modalities in June 1999 as amended in June 2002 for considering proposals in regard to modification in the list of Scheduled Castes. As per the modalities, the proposals which are initiated by the concerned State Governments – they have to be initiated by the concerned State Governments or the Union Territory Administration along with the ethnographic support – have to be agreed to by both the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes. Then they are processed

further and introduced as a Bill in Parliament. After the Bill is passed by both the Houses, the assent of the President is obtained, the amendments are then notified.

The hon. Members, Shri Kahsyap, Shri Punia, Shri Shailendra Kumar and all the other hon. Members have raised a number of issues. As regards some different Castes which were named for inclusion by different hon. Members, my reply to them would be that this is the process which is followed and we have to follow this process. As one of the hon. Members pointed out that it is important that these issues should be raised here, but unless the process is followed, and it does take some time, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं इसको फौलो करने में और उस प्रोसेस को फौलो करने के बाद ही हम उसे बिल बना पाते हैं। आपने जिन जातियों के नाम लिये हैं, यदि राज्य सरकार ने दिया है, तो इन प्रोसेसेज़ के माध्यम से कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी जगह पर वे हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं। उस तरह का प्रोसीज़र फौलो हो रहा है। श्री विरेन्द्र कश्यप जी ने कोली और कोरी जातियों के बारे में खास तौर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में कोली ऑलरेडी लिस्ट में है, लेकिन कोरी जाति के बारे में राज्य सरकार की ओर से हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है। इसी प्रकार से और भी अलग-अलग कास्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपने उल्लेख किया। श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने कई कास्ट्स के बारे में बात कही।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): वे गंभीर नहीं हैं, कहकर चले जाने वाले हैं।

कुमारी सैलजा : मैं जवाब दे दूंगी। इसी साल फरवरी में हमारे पास यू.पी. से 17 नाम इंक्लूजन के लिए आये हैं। इन्हें हमने आर.जी.आई. को कमेन्ट्स के लिए भेजा हुआ है। जब वहां होकर आएगा, तो फिर हम आगे लेकर जाएंगे। माननीय सदस्य ने कुछ और भी बातें कही कि फण्ड्स डायवर्ट किये जाते हैं। खासकर दिल्ली के बारे में बात की, तो हमने भी इसे टेक-अप किया है कि इस तरह से डायवर्ज़न न हो।

माननीय पुनिया जी ने, जो खुद एन.सी.एस.सी. के चेयरमैन हैं, ने इसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इस बिल को सपोर्ट किया, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूं। डा. बलिराम जी ने प्राइवेट सेक्टर की बात की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज सभी सदस्य इसके बारे में उत्तेजित हैं और न केवल सदस्यगण, बल्कि इस सदन से बाहर भी एससी कम्यूनिटी के सभी लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं और उन्हें लगता है, हम सभी को लगता है कि यह क्या हो रहा है क्योंकि किसी न किसी कारण से सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारी सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया भी है। मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर

लाना चाहूंगी की माननीय अध्यक्ष महोदया भी पहले जब मंत्री थीं, इसे बहुत गंभीरता से लिया था, इंडस्ट्री के काफी लोगों से बातचीत की, इसे आगे बढ़ाया। अब हम भी एक कांस्टेंट डायलॉग में हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मेरी बात चल रही है। मैंने कई बार उनके फोरम में जाकर बात की, अपने दफ्तर में भी बुलाया, चिट्ठियां भी लिखी हैं और अभी भी हम इसको परश्यू कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वे खुद इस बात को रियलाइज करें, वे खुद सोचें कि यह कितना गंभीर मुद्दा है कि अगर वे इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तो उसका हमारे पूरे समाज पर बहुत सीरियस रिपरकशन्स हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं प्राइवेट सेक्टर से कि वे इसे गंभीरता से लें। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसमें साजिश भी हो रही है। कोई न कोई कड़ा कदम आपको उठाना पड़ेगा। आज रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए आपको कड़े कदम उठाने होंगे।...(व्यवधान)

कुमारी सैलजा: हम चाहते हैं कि कठोर कदम न उठाने पड़ें, बातचीत से, प्यार से मान जाएं, तो अच्छा होगा जिससे सौहार्द्रपूर्ण माहौल बना रहे और सभी लोग इसे मानें, समझें कि इतनी सदियों से जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, तो आधुनिक युग में इसको मानना चाहिए और जब तक सभी लोग एक्स्ट्रा स्टेप फारवर्ड नहीं लेंगे, यह नहीं हो पाएगा। इसमें कोई मेरिट और डिमेरिट की बात नहीं होती, सबको आगे आना चाहिए। हमारा कांस्टेंट डायलाग चल रहा है, हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर इस नजरिए से इसे देखेगा और आने वाले वक्त में जरूर वे पॉजिटिव कदम उठाएंगे, ताकि सरकार को कठोर कदम न उठाने पड़ें।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में पूछ लीजिए। अभी जवाब दे रही हैं, बाद में प्रश्न पूछिए।

कुमारी सैलजा: महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लान की बात यहां पर आई है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए। मुझे खुशी है कि एक राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने इसको लेजिस्लेट किया, कानून बनाया और मैंने सभी राज्यों को लिखा है कि जैसा आंध्र प्रदेश ने किया है, इसको देखें, इसका अध्ययन करें। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने लिखा है कि वे भी कोशिश करें कि अपने राज्य में इसी प्रकार का बिल लेकर आएं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य इसे देखेंगे, सभी मुख्यमंत्रीगण इसे गंभीरता से लेंगे, हम भी केंद्र सरकार में इस पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिए किसी प्रकार से हम एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ला सकें क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है। जहां लाखों-करोड़ों रुपये का बजट होता है, वहां एससी प्लान का पैसा अगर एससी लोगों पर सही ढंग से लग जाए, सही मायने में,

सही लेटर एंड स्प्रिट में लग जाए, तो हम कह सकते हैं, सभी माननीय सदस्यगण मानेंगे कि अगर सभी मंत्रालय, सभी लोग, हर लेवल पर अगर इसको सिंसियरली लागू कर दें, तो आज के दिन एससी कम्यूनिटी का जो दर्जा है, उसमें जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे। लेकिन इसमें कमिटमेंट और सिंसियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है।

मोहन जेना जी ने ओड़िशा की देयोर कम्युनिटी के बारे में यहां कहा। मैं उन्हें लेटेस्ट बताना चाहूंगी। The Government of Odisha, vide their letter dated 18.09.2012, has informed that the views of the RGI are being examined because the comments of RGI had been conveyed to the Government of Odisha. Expert views on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from research institutes have been sought with the request to conduct a broad based ethnic study on Keuta, Kaibarta & Dhibar communities and after receipt of their report, further action would be taken. As far as the Dewar community is concerned, the Government of Odisha had requested the exclusion of Dewar community because we are getting all kinds of letters for and against. The Government had requested the exclusion of Dewar community from the list of Scheduled Castes in 1981 on the ground that Members of this community are not found in the State. However, pursuant to order dated 5.11.1979 of the Odisha High Court, Dhibar, Keuta & Kaibarta communities were treated as synonyms of Dewar community. Subsequently, these communities were added to the list of Scheduled Castes of Odisha as synonyms of Dewar community, vide the Constitution Orders (Amendments) Act, 2002. This is the information I would share with the hon. House.

Shri Prabodh Panda had specific questions. I would like to reply to him. Apart from the 11 proposals, which have been included in the Bill under consideration at the moment, nine more proposals, as per approved modalities, have attained maturity and after obtaining the approval of the Cabinet we shall introduce a Bill on those. So, seven proposals have been referred to the Registrar General of India; five proposals have been referred to the National Commission

for Scheduled Castes; 25proposals have not been agreed to by the RGI even on a second reference and hence are not eligible for further consideration. Sir, recommendation of this concerned State Government in respect of four proposals pertain to the period before the approval of the modalities as such these have been referred back for reconfirmation of their recommendations.

Sir, Shri Sanjay Chauhanji had raised the issue of including Gujjar caste in the list of SCs. This is for inclusion in STs not SCs.

Sir, Dr. Ajay Kumar had raised issue of two communities in Jharkhand. So, as regards the Mal community the State Government recommended its inclusion in 2012 but the RGI did not support it and the observations have been conveyed to the State Government.

Sir, another community is Dandachatra majhi. Sir, again the RGI has not supported the inclusion even on a second reference.

So, Sir, I would again say that many Members have raised very important issues. Even suggestions have come up. But this is a very limited Bill for inclusion of certain communities. So, I would, while thanking the hon. Members who have participated in this Bill, request them to support this Bill and also get it passed. … (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : सर, मुझे एक-दो बातें बोलनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सब कुछ तो बोल दिया गया है।

KUMARI SELJA: Sir, the hon. Members of Parliament can write to me and I can reply to them separately.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बोल दिया है, आपकी बात का जवाब हो गया है। आप लिखकर दे दीजिए, वे जवाब लिखकर भेज देंगे।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : माननीय मंत्री महोदया, इसमें दो-तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो 66 वर्ष के बाद भी हम इस मुद्दे को फाइनल नहीं कर सकें हैं। क्या सरकार आने वाले दिनों में इस पर कोई टाइम ड्यूरेशन रखेगी यानी दो-तीन-पांच साल बाद पूरा हो जाएगा। यह मामला कब तक चलता रहेगा कि एससी को लिस्ट में लाना है या नहीं लाना है। दूसरी बात यह है कि 15 परसेंट एससी की टोटल आबादी है तो क्या

जब ये आबादी इंक्रीज होगी तो हम उन्हें इंक्लूड करेंगे, तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? यह भी एक बात है। तीसरी बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी की संसद में वार्षिक रिपोर्ट जो आती है वह पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी या नहीं।

कुमारी सैलजा : सर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि जो कास्ट का इश्यू है वह बहुत उलझा हुआ इश्यू है, आसान नहीं है। आज के दिन भी राज्यों से, कम्युनिटीज से अलग-अलग जगहों से कोई यह नहीं कह सकता है कि कौन किस कम्युनिटी को कैसे जानता है। बहुत ही कम्पलैक्स इश्यू है। अभी भी हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रिक्वैस्ट आती हैं तो ये जातियां कब तक इंक्लूड हो जाएंगी, किसी के लिए यह कहना नामुमकिन है। मैं यह भी सब्मिट करना चाहूंगी कि अभी हमारा कास्ट सेंसस हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या-कुछ आता है because that is voluntary. किसी को हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि आप इस कास्ट के हैं या नहीं हैं। जब वह आयेगा तो संसद हैं देखेंगे सेंसस के बाद कि क्या व्यू है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amenement of the Constitution (Scheduled Castes) Order,1950

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an amendment No. 3 – Shri Nishikant Dubey. संक्षेप में बोलिये।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, why are you insisting on *sankskhep*? … (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I beg to move:

Page 2, *after* line 12, *insert*—

'*(vi)* after entry 95, *add*—

"96. Kader

97. Koranga

98. Namahshudra

99. Chandravanshi (Kahar)

100. Maal (Mall Kshatriya)".'. (3)

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जिस प्रोसेस की बात कही वह एक लम्बा प्रोसेस है। पता है कि कास्ट एक कम्पलैक्स सब्जैक्ट है। इसमें टाइम-बाउंड नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद कोई एससी नहीं होगा, कोई एसटी नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास स्टेट से प्रपोजल लाते हैं, उसे पहले स्टेट भेजती है फिर आरजीआई को देना है, फिर एससी कमीशन को देना है, उसके बाद संसद में आता है, फिर स्टेंडिंग कमेटी में जाता है, फिर स्टेंडिंग कमेटी से आकर बिल बनता है। इसका प्रोसेस 10-15-20 साल नहीं हो सकता है। इसमें आप टाइम-बाउंड तो कह सकती हैं कि स्टेट से प्रपोजल आया, आरजीआई इतने दिन में दे देगी, आरजीआई दे देगी तो एससी कमीशन इतने दिन में दे देगा। एससी कमीशन दे देगा तो वह

पार्लियामेंट में आ जाएगा। फिर पार्लियामेंट जब चाहे साल में, दो साल में उसे कर सकती है। इसका एक आपको जवाब देना चाहिए।

दूसरा, कई जातियां किसी राज्य में एससी हैं, दूसरे राज्य में ओबीसी हैं, कहीं एसटी हैं तो उसमें एक समानता होनी चाहिए। एससी का मतलब है कि जिसके साथ छूआछूत है, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज में दबे हुए लोग हैं। जैसे चन्द्रवंशी कहार है। जो कहार है वह छूआछूत में है, उसका काम डोली उठाना था, आप उसे क्या एससी में नहीं रखेंगे, उसके लिए मैंने कहा है। झारखंड सरकार ने आपके पास कादर, कोरंगा की लिस्ट भेजी है। वैस्ट बंगाल में नमाहशूद्र एससी में है। लेकिन हमारे यहां झारखंड में नहीं है। बिहार में वह जाति अनुसूचित जाति में है। इस तरह की जो काफी काम्प्लेक्स स्थिति है, उसके लिए मेरा अमेंडमेंट है कि ये जो सारी जातियां हैं खास कर कहार जाति, रमानी जाति, कादर, कौरंगा और नमाशुद्र है, क्योंकि मल के बारे में आपने कह दिया कि मल के लिए आपने झारखंड सरकार से सैकेंड ओपिनियन लिया है। मेरा अमेंडमेंट है कि आप इसमें इनक्लूड कीजिए और वह उड़ीसा में भी जाति है, वे मध्य प्रदेश में भी जाति है, वे त्रिपुरा में भी जाति है और सिक्किम में भी जाति है। मेरा यही अमेंडमेंट है कि आप इसे एक्सेप्ट कीजिए।

कुमारी सैलजा : जैसा मैंने कहा कि एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। हालांकि कहने और सुनने में हम सभी को यहां बैठ कर लगता है कि जो जाति एक जगह अनुसूचित जाति में है, वह दूसरी जगह भी होनी चाहिए। लेकिन जब तक राज्य इस बात को नहीं मानेंगे, बल्कि माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि राज्यों में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ग्राउंड पर अलग स्थिति होती है। राज्य कई बार एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ मानते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मानते हैं इसलिए जो हमारा सोशल कम्पोजिशन है, वह इसी तरह से है। राज्य से शुरूआत होती है। राज्य हमें रेफर करते हैं, हमें लिखते हैं कि आप इसे आप इस तरह से इनक्लूड कीजिए। हम राज्य को ओवर राइट नहीं कर सकते हैं। राज्य हमें लिखें। There is a due process, which I have already explained. Even some hon. MPs have also explained.

श्री रमेश बैस (रायपुर): नमोशुद्रो जाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव किया था।...(व्यवधान)

कुमारी सैलजा : जैसा मैंने अभी कहा कि काफी रेफरेंसिस हैं जो कहीं न कहीं अंडर प्रोसेस हैं। या तो वे आरजीआई के पास हैं या कमीशन के पास हैं या मिनिस्टरी के पास हैं या फिर केबिनेट की अप्रूवल के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर काफी कम्यूनिटीज हैं। मैं ऑन दि फ्लोर आफ

दि हाउस मानती हूं कि यह बहुत लम्बा और टीडीयस प्रोसेस है, जिसके तहत सभी चीजों को हायर लेवल पर क्लीयर करके फाइनली यहां लाते हैं।

In view of this process -- I will examine this also – I would request the hon. Member not to press for his amendment. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अब क्या चर्चा दोबारा शुरू की जाएगी।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nishikant Dubey, are you pressing your amendment?

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Kindly withdraw it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the view of the hon. Member?

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट विदड्रा करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment No. 3 moved by Shri Nishikant Dubey be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

* Not recorded.

Clause 1 Short Title

Amendment made:

Page 1, line 4, --

for "2012",

substitute "2013" (2)

(Kumari Selja)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line1, --

for "Sixty-third",

s*ubstitute* "Sixty-fourth". (1)

(Kumari Selja)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

16.00hrs

The Long Title was added to the Bill.

KUMARI SELJA: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.01hrs

(iii)CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL, 2012

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No.10—Hon. Minister.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Mr. Deputy-Speaker Sir, with your permission I beg to move[*]:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration. "

Clause (25) of article 366 of the Constitution defines, "Scheduled Tribes" as such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution.

16.02 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

In view of the above constitutional provisions, the first list of Scheduled Tribes in Kerala was notified *vide* the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

---

[*] Moved with the recommendation of the President.

(Modification) Order, 1956. It was further amended through the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976. The 'Marati' community was excluded from the list of Scheduled Tribes of Kerala *vide* the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

The Communities of "Abujh Maria" and "Hill Korwa" identified as Particularly Vulnerable Tribal Groups have not been enlisted in the list of Scheduled Tribes of the State of Chhattisgarh.

To fulfill the longstanding demand for the re-inclusion of 'Marati' community in the list of Scheduled Tribes in the State of Kerala, it is proposed on the recommendation of the State of Kerala to amend Part VII of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 relating to Kerala and insert a new entry at Sl. No.28 as—'Marati'.

To fulfill the longstanding demand for granting Scheduled Tribes status to the Particularly Vulnerable Tribal Groups namely the "Abujh Maria" and Hill Korwa" in the list of Scheduled Tribes in the State of Chhattisgarh, it is proposed on the recommendation of the State of Chhattisgarh to amend the entry at Sl. No.16 and 27 occurring under Part XX of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, relating to Chhattisgarh and insert a new entry "Abujh Maria" after Asur at Sl. No.16 and a new entry at Sl. No.27 of "Hill Korwa" after Korwa.

The Bill seeks to achieve a long time demand for these respective communities from Kerala and Chhattisgarh. We would be actually, by including these communities, addressing a genuine demand which has been pending for quite a long time now. I think this will help these communities in the amelioration of their living conditions. The "Maratis", "Abujh Maria" and "Hill Korwa" communities of these respective States certainly deserve this classification.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Therefore, I commend that this Bill be taken up by this august House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration."

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 (संशोधन) विधेयक 2012 केरल और छत्तीसगढ़ का दूसरा संशोधन पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस सदन में अनुसूचित जाति विधेयक भी अभी पारित हुआ है। तब से लेकर अभी तक मैं यहां बैठा सुन रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलग-अलग राज्यों में बहुत भिन्नताएं हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बोली, भाषा, रहन-सहन, खानपान होते हुए भी यह कहा जाता है कि हम हिन्दुस्तानी एक हैं। लेकिन जहां जनजाति की बात आती है, आरक्षण की बात आती है तो किसी राज्य में कुछ होता है तो कहीं कुछ और होता है। कहीं पर कुछ जातियां अनुसूचित जाति में है, कहीं जनरल कैटेगिरी है तो कहीं गश्ती SC (अनुसूचित जाति) में हैं, कुछ राज्यों में इन्हें आरक्षण प्राप्त है तो कुछ में नहीं है। इस प्रकार की भिन्नता क्यों है? जब हम एक देश की बात कहते हैं तो विभिन्न राज्य, भाषा, वेशभूषा के बावजूद एक है। जब हम जनजाति एक देश में हैं तो इसमें अलग-अलग परिभाषित क्यों हैं? यदि किसी एक राज्य विशेष में किसी जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो पूरे देश में इस जाति वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। पूरे देश में कुछ राज्यों को छोड़कर जनजातियां प्रत्येक राज्य में हैं, कहीं ज्यादा हैं तो कहीं कम हैं। इनका खानपान, रहनसहन, भाषा अलग हो सकती है लेकिन सभी प्रांतों में संस्कृति, विचारधारा और भोलापन समान है। यही कारण है कि जनजाति वर्ग में आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुधार के लिए समय-समय पर संविधान में संशोधन लाकर पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुसूची 340, 341 और 342 में क्रमशः पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई जिसके अंतर्गत इन वर्गों के न्याय के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर इसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास आयोग के माध्यम से प्रस्ताव आता है और राज्यपाल के परामर्श से लोकसभा के माध्यम से उचित दर्जा प्रदान किया जाता है।

महोदय, देश में 2001 की जनगणना के अनुसार 84.3 मिलियन के लगभग इस देश की जनसंख्या का 8.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग है। जनजातियां पहाड़, उबड़-खाबड़, नदी-नाले और जंगलों की वाशिंदा हैं, जहां ये अपने आपको असुरक्षित सा महसूस कर रही हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो वहां माइंस, मिनरल्स और फॉरेस्ट इत्यादि के कारण आज ये लोग बेदखल हो रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय पर निर्भर करता है और आज ये लोग मिनरल्स और माइंस के नाम पर बेदखल हो रहे हैं, उनकी जमीन अधिग्रहीत हो रही है। बल्कि यह कहा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 विस्थापित परिवारों की

पुनर्स्थापना और पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, 2003 कोयला अधिनियम, 1957 तथा राष्ट्रीय खनिज नीति और पेशा अधिनियम, 1996 स्पष्ट रूप से इनके लिए व्यवस्था है। इनकी जो सम्पत्ति या भूमि है, इनके माध्यम से सुरक्षित रखने का उपाय है। उसके बावजूद एक बार नहीं बार-बार इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें बेदखल किया जा रहा है और मुआवजा देने के नाम पर उन्हें नाममात्र की मुआवजा राशि दे दी जाती है और मुआवजा राशि लेने के बाद उनके पुनर्व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था करने के बारे में कोई सरकार नहीं सोच पाई, जिसके कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग का जीवन बदतर होता जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां मिनरल और माइंस क्षेत्र हो, यदि वहां ट्राइबल् की जमीन है तो उन्हें पट्टे पर लीज देने का प्रावधान हो। पट्टे पर लीज देने से फायदा यह होगा कि जब तक वहां मिनरल चलेगा, जितने दिन का पट्टा रहेगा, उतने दिन वह कार्य करेगा या फिर जिस अवधि तक का पट्टा बना रहेगा, उस अवधि तक या पहले भी यदि वहां कार्य समाप्त हो जायेगा तो उसे उस भूस्वामी को वह तुरंत फिर से वापस हो। इसी तरह से हम लोग मुआवजे के तौर पर कई बार उन्हें नौकरी दे देते हैं, लेकिन एक बार नौकरी दे दी, फिर दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमारा कहना है कि उन्हें मुआवजा तो मिले, लेकिन उसके साथ-साथ उन्हें शेयरहोल्डर बना देना चाहिए, ताकि आजीवन उनके परिवार को किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे।

सभापति महोदय, अभी संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पर भी यही चर्चा हो रही थी कि सब-प्लान या फिर 275(1) के अंतर्गत ट्राइबल की धनराशि जो राज्यों को मिलती है। लेकिन वह वहां के आदिवासियों या जनजाति क्षेत्र के विकास में, वहां के डैवलपमैन्ट में जो खर्च होनी चाहिए, लेकिन वह पैसा उसमें खर्च नहीं होता। बल्कि उसे डाइवर्ट करके अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। आज यहीं कारण है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, आवागमन के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये लोग पीछे हैं और यही कारण है कि आज हम पिछड़े हुए लोगों की बात करते हैं। आज चाहे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हो या अन्य पिछड़े वर्गों की बात हो, आज कई अन्य जातियां इसमें शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलती है। आज हर कोई कहता है कि हम भी उस वर्ग के हैं, 1948 के पहले हम उस वर्ग के माने जाते थे, लेकिन आज वंचित हैं। एक तरफ हम आरक्षण के लिए और नई जातियों को जोड़ रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति में हो या अनुसूचित जनजातीय वर्ग में हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हम जातियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। चाहे पिछड़ा वर्ग में बढ़े, चाहे अनुसूचित जाति में बढ़े या अनुसूचित जनजाति में बढ़े। कई समाज को जोड़ कर संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर 50 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं ले सकते

हैं तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी, कैसे सुधरेगी? यदि हम कहें कि दो रोटी हैं। एक रोटी के दो टुकड़े कर दें। एक टुकड़े को एक वर्ग खाए और बाकी एक टुकड़े को चार भागों में बांट दें। चाहे आज अल्पसंख्यक भी कहते हैं कि हमको भी आरक्षण दें तो अल्पसंख्यकों को ले लें, अनुसूचित जाति-जनजाति को ले लें और पिछड़े वर्ग को ले लें तो एक टुकड़े को चार वर्ग खाएंगे और एक टुकड़े को एक वर्ग खाएगा तो मोटा तो एक टुकड़ा खाने वाला ही होगा। हम जो एक टुकड़े के चार हिस्से कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, उसमें भी सुधार होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम समाज को आरक्षण की श्रेणी में जोड़ रहे हैं, वे जिस तरह से कहते हैं कि संविधान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो, उसी जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मज़बूत हो सके, हम मज़बूत हो सकें। अन्य समाज के समक्ष हम भी अपने स्तर को खड़ा कर सकें। आज हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि समाज एक प्रकार से दो वर्ग में बंट चुका है। एक वर्ग वह है जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जिनके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं, मूलभूत सुविधा पहुंच रही हैं। वे उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वर्ग जिन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। न वहां आवागमन है, न वहां शिक्षा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहे, व्यवधान न करें।

...(व्यवधान)

श्री सोहन पोटाई : एक तो ले-दे कर यह ट्राइबल का बिल आया है। आप लोग ट्राइबल का विरोध कर रहे हैं। ट्राइबल के नाम से राजनीति की है। ...(व्यवधान) आज ट्राइबल का आदमी खड़ा हो कर बोल रहा है तो टोका-टोकी कर रहे हैं। इसका मतलब हमको बोलने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहें।

श्री सोहन पोटाई: पूरा देश इस बात को देख रहा है और कांग्रेस के पक्ष से टोका-टाकी हो रही है। एक ट्राइबल बोल रहा है। पूरा देश देख रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए। डिस्टर्ब न कीजिए।

श्री सोहन पोटाई : मैं कह रहा था कि ये सभी स्थितियां हैं। आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, चाहे हम झारखण्ड को लें, बिहार का कुछ हिस्सा लें, चाहे ओडिशा है, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर विकास ठीक से नहीं हो पाया है, जहां शिक्षा ठीक से नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि वहां आज नक्सलवाद पनप रहा है। वह भी हमारे विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह पूरे देश की चुनौती के साथ-साथ ट्राइबल के लिए भी एक चुनौती बन गया है। इसका भी समाधान कैसे हो सके, इसका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वह पूरा संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलाइट क्षेत्र है। वहां यदि कोई पुलिस वाला मारता है, वह भी आदिवासी होता है, जो मरता है, वह भी आदिवासी होता है। अगर पुलिस वाले को कोई नक्सलाइट मारता है, वह भी आदिवासी होता है। यदि संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वह भी आदिवासी होता है। इस प्रकार यह कहना चाहिए कि हम दो पाटन के बीच में है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस दो पाटन के बीच में जो आदिवासी पिस रहे हैं, उनको आप बचाइए ताकि वहां का विकास हो सके। वे लोग सुरक्षित हो सकें। मुझे दुख लगता है, जब कोई नक्सलाईट पुलिस के हाथों मारा जाता है। तब वहां पर ह्युमन राइट्स वाले पहुंच जाते हैं कि यहां पर निर्दोष को मारा गया। कहा जाता है कि वहाँ रोज़ एक आदिवासी मारा जाता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का मारा जाता है, तब वहां पर कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं जाते हैं। न ही वह कभी दुःख प्रकट करता है कि यहां पर आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से यहां पर इस बात को कहना चाहता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ जातियों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, जिसमें कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं, वर्ष 1948 और इसके पहले, मैं दस्तावेज देख रहा था, मुझे वहां के बहुत सारे लोगों ने लाकर दिखाया, जब-जब इसका बंदोबस्त हुआ, उस समय सभी में अलग-अलग है, कहीं पर सौंरा लिखा है, कहीं पर सांवरा लिखा है और कहीं पर कुछ लिखा है। कई जगह अनुवाद में त्रुटि है, जैसे पठारी, पथारी है तो टीएच ठ भी होता है और थ भी होता है तो कहीं पठारी लिख दिया है और कहीं पठारी लिख दिया है। इस तरह से कुछ जातियां हैं, राज्य सरकार ने जो भेजा है, उसमें पारधी, सौंरा, संवरा, सउरा, सहरा, भूईयाँ, भूयां, भूय्या तथा भिंया, बिंझिया, रौतिया, अबूझमाड़िया, पहड़ी कोरवा, सवरिया, किसान प्रधान, परगनिहा एवं पठारी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि इन्हें भी शीघ्रता से शामिल करके इन्हें लाभ प्रदान किया जाये क्योंकि अभी जिस तरह पूर्व में बहुत लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के आये थे, लेकिन जो मिशल रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, उसमें इस प्रकार से मात्रात्मक त्रुटि के कारण इन लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हुए नौकरी कर रहे थे लेकिन उनके बच्चों को आज शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है। इन्हें शीघ्रता से शामिल करने की आवश्यकता है ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर): महोदय, आज सदन में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012 विषय चल रहा है। मूल रूप से इसका जो टारगेट है, वह यह है कि केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान से आता हूं और यह विषय ट्राइबल्स का है। एक वक्ता अभी फरमा रहे थे कि ट्राइबल देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी खण्ड का हो, परन्तु मूल रूप से उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रहन-सहन और व्यवहार लगभग मिलता-जुलता है, उनकी समस्याएं लगभग मिलती-जुलती होती हैं। इस कारण मूल विषय के साथ कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। यदि हम ईमानदारी से उन पर अमल करें तो ये उनकी प्रगति के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। यह बात सत्य है कि कोई भी पार्टी या कोई भी शासन कोई भी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नाम निश्चित तौर पर लेता भी है और उन कार्यक्रमों का लाभ उनको पहुंचाने की बात कहता है। यह बात भी सत्य है कि आजादी के समय आदिवासियों और कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, जितनी कि आज है, परन्तु फिर भी आज कुछ अधिक काम करने की आवश्यकता है। निष्ठापूर्वक उन तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार की जो नीतियां बनें, उनमें बहुत ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें इम्प्लीमेंट करने का जो भी हमारा तंत्र है, उस तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसको ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है।

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इनको रखकर जितने हमारे प्रयोजन हैं, उनका लाभ देने की बात है और सारा सिस्टम उनके लिए व्यवस्थित किया है। अनुच्छेद 342 में जो जातियाँ इनक्लूड होती हैं या लिस्टेड होती हैं, उसकी जो मुख्य रूप से परंपरा है या व्यवस्था है, वह यह है कि महामहिम राष्ट्रपति संबंधित राज्य के या संघ राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, वहाँ की जातियों को सम्मिलित कर सकते हैं और उनको निकालने या जोड़ने का काम कर सकते हैं। संसद को अधिकार है कि किन जातियों को खंड 1 में रखना है, उसमें इनक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, यह अधिकार संसद को है। संसद यह तय करती है और उसके अनुरूप सारा कार्य होता भी है। पर हम व्यावहारिक तौर पर यह देखते हैं कि हमारा देश एक है, कानून एक है, परंतु अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। कहीं तो अलग-अलग राज्यों में संघर्ष जारी है जैसे सुबह भी एक वक्ता कह रहे थे कि एक जाति कहीं ओबीसी में है, कहीं

एस.सी. में है और कहीं एस.टी. में है। एक ही जाति है, काम एक है परंतु उनको अलग-अलग दर्जा दे रखा है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् से जुड़ा हुआ हूँ, स्टेट का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ। मुझे विभिन्न प्रदेशों में जाने का अवसर भी मिलता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाने का मौका किसी न किसी बहाने हमें मिलता है। वहाँ हर जगह यह बात आती है कि हमारी यह जाति इनक्लूड होनी चाहिए, इसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारा यह गोत्र आना चाहिए और यह बाहर निकलनी चाहिए। इस तरह से सभी मामले आते हैं तो हमें निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है।

हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में है। साथ में लगता हुआ मध्य प्रदेश है जहाँ यह जाति ओबीसी में है और कहीं और कुछ है। ये जो सारी असमानताएँ हैं, यह एक मानसिक विद्रोह तैयार करती हैं। जब मानसिक विद्रोह तैयार होता है, तब यह नक्सलवाद आदि जितनी समस्याएँ आज हम भोग रहे हैं, ये सब हमारे सामने आकर पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं और उसका मुकाबला हम समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं। इन दस करोड़ आदिवासियों के अधिकार को हम व्यवस्थित रूप से दिला पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी सरकार और मंत्रालय विचार करे। हमारे जितने ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ हैं, उनमें हमारा पैसा व्यवस्थित रूप से जा रहा है या नहीं, मॉनीटरिंग हो रही है या नहीं, खर्च हो रहा है या नहीं और वहाँ की यूसेज आ रही हैं या नहीं, आर्टिकल 275 का पैसा समान रूप से जा रहा है या नहीं, यह सब अगर आप व्यवस्थित रूप से हर स्टेट से पूछेंगे और मॉनीटरिंग भी करेंगे तो आदिवासियों का भला होगा। मैं खुद ट्राइबल सब प्लान एरिया का रहने वाला हूँ। ट्राइबल सब प्लान एरिया का पैसा किस तरह से आता है, कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, मुझे सब अनुभव है। परंतु सदन में मैं कुछ कहूं यह मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। मैं विभाग को सदन के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि आपके विभाग को बहुत तगड़ी मॉनीटरिंग की आवश्यकता है। उस मॉनीटरिंग के हिसाब से देश में जितने भी ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ हैं, उनकी निगरानी होनी चाहिए। पैसों का खर्च व्यवस्थित रूप से हो रहा है या नहीं? कहां हो रहा है? इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। जो ट्राइबल सब प्लान एरिया नहीं हैं, जहां बहुत बिखरी आबादी है, उनको न तो ट्राइबल सब प्लान एरिया का फायदा मिल रहा है, न ओपन कम्पीटिशन का लाभ वह ले पा रहे हैं और न वह म्हाडा या कलस्टर या बिखरी आबादी का लाभ ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी विभाग को निश्चित तौर पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। उनके लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है। उनके लिए योजना

बनाने की आवश्यकता है और उसकी मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है। हम यह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन पर निश्चित तौर पर काम करेंगे।

महोदय, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभी आरक्षण की व्यवस्था है। वर्ष 2011 की सैंसस हो गई और लागू हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आपको आरक्षण भी उसके अनुसार ही लागू करना चाहिए। लोगों के मन में शंकाएं हैं कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, वह मिलना चाहिए। जिन कम्यूनिटीज़ का हम लोग नाम लेते हैं, वह सम्मान के योग्य हैं और देश की बहुत पुरानी जातियां हैं। देश को स्थापित करने में और मजबूत करने में कहीं ने कहीं इनका योगदान रहा है। आज यह पिछड़े हैं तो इनका हाथ पकड़ कर इन्हें बराबर बैठाने की आवश्यकता है। इसलिए जरूरी है कि समान रूप से इनको अधिकार मिले, समान रूप से इनको आर्थिक सम्बल मिले और सांस्कृतिक या राजनैतिक रूप से, जिस तरह से भी अधिकार दे सकें, देना चाहिए। यह मैं महसूस करता हूं।

रघुवंश प्रसाद सिंह जी फरमा रहे थे कि अलग-अलग रेजीमेंट बननी चाहिए। इसी तरह से इनकी भी रेजीमेंट बननी चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एमबीसी बनी। मेवाड़ भिल कोर्प्स का वर्ष 1838 में अंग्रेजों ने निर्माण किया। उस समय सौ प्रतिशत ट्राइबल उसमें भर्ती होते थे और उनका उपयोग ट्राइबल्स को कंट्रोल करने में होता था। गोली चलानी होती थी तो वही चलाते थे, लट्ठ चलाते थे तो वही चलाते थे।...(व्यवधान) ट्राइबलों पर भी चलाते थे।...(व्यवधान) ट्राइबलों के लिए कहा जाता है कि ट्राइबल स्वामीभक्त होता है।

सभापति महोदय : आप मेरी तरफ देख कर के बोलिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : स्वामी जो आदेश देता है, उसका वह पालन करता है। उसके सामने यदि उसका भाई भी खड़ा है और स्वामी उसको आदेश देता है कि फायर तो वह उसको गोली मारेगा। यही उदाहरण हमारे रामगढ़...(व्यवधान) सर मेरे ख्याल से मैं इस पांच साल में दूसरी बार बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप बोलिए, लेकिन संक्षिप्त कर दें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ट्राइबल इश्यूज़ पर अगर बोलने वाले वक्ता हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करेंगे तो अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Please sit down.

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इन जातियों की रेजीमेंट निश्चित तौर पर बननी भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एमबीसी प्योर ट्राइबल्स की बनी थी। धीरे-धीरे उसमें अन्य की भर्ती होने लगी। आज स्थिति यह

हो गई है कि मेवाड़ भिल कोर्प्स में मेरी जानकारी के अनुसार दो-दो बार ऐसी भर्तियां हुईं, जिसमें ट्राइबल्स के लिए एक सीट भी नहीं थी। सौ प्रतिशत जनरल क्लास की भर्ती । ये जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में भर्ती हो रही है, इसमें दूसरे लड़के उनकी छाती पर दौड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये सारी असमानताएं विद्रोह का कारण बनती हैं। हमें इसे देखना चाहिए। इसकी मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है।

आरक्षण की व्यवस्था लागू है, पर आरक्षण का लाभ प्रॉपर नहीं मिल रहा है। मैंने आप से निवेदन किया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इनके आरक्षण का पुनर्निधारण होना चाहिए। जितना परसेंट बढ़ा है, उतना उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।

हमारे ट्राइबल सब प्लान एरिया में जो विज्ञप्तियां निकलती हैं, उसमें मेन्शन ही नहीं होता कि ट्राइबल सब प्लान एरिया के कितने अलग-से पद हैं। अलग से पदों को सृजित कर के विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए।

मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां यूनिवर्सिटी है। वह आज़ादी के साथ ही बनी थी। पर, 65 सालों के इतिहास में वहां आज तक एक भी शिक्षक नहीं बना है। इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। कहां से क्या होता है? बैक डोर इन्ट्री होती है। शिक्षक एड-हॉक पर लग जाते हैं। हिन्दी वाला शिक्षक इतिहास पढ़ा रहा है। विज्ञान वाला शिक्षक भूगोल पढ़ा रहा है। ऐसा ही चल रहा है। थोड़े दिनों बाद विज्ञप्ति जारी होती है और अंदर-अंदर हो जाता है। बेचार ट्राइबल दीवार के चारों तरफ खड़ा-खड़ा इन्तज़ार करता है कि मेरा नम्बर आएगा और मैं भर्ती होऊंगा, पर नहीं होता है।

आरक्षण में अधिकार दिलाने के लिए कानून बनना चाहिए और लाइबैलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर उस को प्रोमोशन में या रिक्रूटमेंट में उसे अधिकार नहीं मिला तो जो भी विभागाध्यक्ष हैं, उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान करना चाहिए।

रोस्टर रजिस्टर कहीं भी मेनटेन नहीं होता है। रोस्टर रजिस्टर का निर्धारण निश्चित तौर पर अनिवार्य करना चाहिए। इसके लिए लाइबैलिटी फिक्स करनी चाहिए।

जोन ऑफ कंसीड्रेशन किस बात का होता है? एक नम्बर पर एस.टी. आएगा, चार नम्बर पर कोई आएगा, सात नम्बर पर कोई आएगा। अगर योग्य व्यक्ति चौदहवें नम्बर पर है और उसके पहले कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको अवसर क्यों नहीं दे सकते हैं? जब उसके लिए पद है तो उसे अवसर देना चाहिए। पद को पाने के लिए व्यक्ति अगर पीछे है तो उसे आगे क्यों नहीं लाया जाता है? यह उसी का हक़ है। उसे यह हक़ देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर यह बैरियर है और योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो उस पद को सात सालों तक खाली रखना चाहिए।

सभापति महोदय : अब संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : बैक लॉग समाप्त होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था। इतना लम्बा मैं बोल नहीं पाऊंगा। कहीं पर 2% पद फुलफिल हो रहे हैं, कहीं 4% भी नहीं हो रहे हैं। हर विभाग में जितने हमारे पद हैं, उसमें बैक लॉग को स्पेशल भर्ती के माध्यम से खत्म करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : वैसे तो आपने दो बार घंटी बजा दी और मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मैं स्वामीभक्त हूं। आप हमारे स्वामी हैं। आप ने आदेश दिया है। मैं उस आदेश का पालन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आप ने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आप ने मुझे श्री वी0 किशोर चन्द्र देव जी, जो हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012, जिसमें केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

यहां पर हम लोग अभी-अभी अनुसूचित जाति के बारे में बहस कर रहे थे। मैं उस बात को पुन: दोहराना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में करीब दो हजार की जनगणना में केवल पांच जातियां शेड्यूल ट्राइब्स की दर्शायी गईं। उनकी संख्या अगर देखी जाए तो छ: लाख के करीब है। पहले ये दस जातियां थीं, कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। आज भी हमारे इलाहाबाद में यमुना के उस पार कोल जाति है, जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा से भी प्रस्ताव होकर केन्द्र सरकार को लम्बित है। ये बिरादरी, इस वर्ग के लोग शेड्यूल कास्ट्स से शेड्यूल ट्राइब्स में आना चाहते हैं।

हम पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इन जातियों के पुश्तैनी धंधे हैं, चूंकि वह पहाड़ी एरिया है, उनके बच्चे गिट्टी तोड़ते हैं और उसी से उनका जीवनयापन होता है। मेरे ख्याल से वहां पर उस जाति से, कोल बिरादरी से दो-चार हमारे विधायक हुए, लेकिन वे उतना पढ़ नहीं पाए। उनकी स्थिति आज भी बहुत बदतर है। आजादी के 67 वर्ष बीतने के बावजूद भी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर उनको समाज के अंदर जो एक जगह मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाई। हम चाहेंगे कि ऐसी उपेक्षित जातियां, जो अपने को समाज से बिलकुल अलग-थलग महसूस कर रही हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। अभी बीजेपी की तरफ से हमारे एक भाई बोल रहे थे, यही कारण है कि ये जो जातियां, चाहे वह शेड्यूल कास्ट्स एवं शेड्यूल ट्राइब्स की हों, चूंकि इस बिल में हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जब समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग-थलग पाते हैं तो ये नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, उनकी संख्या आज देखी जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा संख्या इनकी मिलती है। मुख्य कारण यह है कि इनके यहां न तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क की सुविधा है। ये मतदान भी नहीं कर सकते। ये चुनाव लड़ने से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए मजबूर होकर ये जातियां नक्सलवाद की तरफ बढ़ती हैं। सरकार इसको गंभीरता से ले और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर, जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका पूरे तरीके से

इनको लाभ मिल सके। मैं पिछले वर्ष ओडिशा गया था। कालाहांडी एक जगह है, यहां पर हमारे ओडिशा के साथी होंगे, भर्तृहरि महताब साहब चले गए, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। खासकर जो जनजाति के लोग हैं, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, इतनी बुरी स्थिति है। वनवासी लोगों में ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं, जो पहाड़ पर या वनों में रहते हैं। इनका पूरा पेशा, जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा कि खनिज से लेकर प्राकृतिक सम्पदा पर इनका पूरा हक एवं अधिकार था, पूरी सुरक्षा एवं संरक्षण ये करते थे, लेकिन धीरे-धीरे चाहे वह विकास के नाम पर हो, अगर कहीं पर उद्योग लगाने की बात हो, इस प्रकार की जमीन अगर उनको दी गई तो उनको अलग-थलग कर दिया जाता है, वहां से हटाया जाता है, उनको पुनर्वासित नहीं किया जाता। उनका विस्थापन हो जाता है, लेकिन पुनर्वास नहीं हो पाता। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उनके पुनर्वास की पूरी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी अदालतें हैं, चाहे निचली अदालत से लेकर ऊंची अदालत हो, वह भी अक्सर इनके हक एवं अधिकार पर बराबर टिप्पणी करते रहते हैं। यही कारण है कि पिछले बिल में जब हम लोगों ने डिसकशन किया कि ऐसा बिल एससी, एसटी का आना चाहिए, जिस पर अदालतों का कोई दखल न हो। दूसरी एक जाति की मैं व्याख्या करना चाहूंगा - घूमकड़ जाति। जिसका कोई घर-द्वार, डेरा ही नहीं होता। आज यहां बसे हैं, कल वहां बसे हैं। वे भी एक तरीके से ट्राइबल ही माने जाते हैं। उनके भी बच्चों की स्थिति देख लीजिए। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति देख लीजिए। कहीं पर कुछ नहीं है, इसलिए जरूरत इस बात की है, जिनकी संख्या आज लाखों में है। हमारी आदरणीया मंत्री कृष्णा तीरथ जी यहां बैठी हैं, ये बेहतर तरीके से जानती हैं कि हम लोगों ने इसी सदन में इन जातियों के बारे में चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि इन जातियों को कम से कम अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें।

इनके लिए एस.सी. एस.टी. आयोग बना हुआ है, उसको आपने क्या पावर्स दी हुई हैं। पूनिया जी यहां पर नहीं बैठे हैं, आप देखिये कि आज भी अगर कोई बात होती है तो वहां कम्पलेण्ट भेजी जाती है तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यहां पर जो सरकार है और पक्ष या प्रतिपक्ष में जो भी हमारे साथी बैठे हैं या जो भी लोग चुनकर आते हैं, वे एस.सी. एस.टी. की बात अक्सर करते हैं तो कम से कम इनके आयोग को इतनी पावर दीजिए, शक्ति दीजिए कि इनके ऊपर जो भी जुल्म, अत्याचार या शोषण हो, उसमें उनको न्याय मिल सके।

दूसरी बात, इनके लिए बेहतर होगा कि कृषि योग्य और आवासीय भू-आबंटन में प्राथमिकता दी जाये, तभी जाकर हम समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसे इसमें केरल में एक जाति मराठ है और छत्तीसगढ़ में अबूझमड़िया जाति है, जो क्रम संख्या 27 में छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरबा जाति है, यह जो एमेंडमेंट हो रहा है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, किशोर चन्द्र देव जी ने जो छत्तीसगढ़ और केरल की जनजाति सूची के प्रावधान करने के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक पर आपने जो हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अभी इसके पहले अनुसूचित जाति के संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, अब जनजाति पर चर्चा हो रही है। इस देश में इतनी बड़ी जिन जातियों की संख्या है, एस.सी. एस.टी. की आबादी लगभग एक चौथाई है, आज पूरे तरीके से जो अपने हर संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं, सामाजिक व्यवस्था में जिनका अधिकार छीना गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में उन्हें अधिकार दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि नीति बनने के बाद भी हमारी नीयत में कहीं न कहीं खोट रही, जिसके नाते आज इस तरीके के तमाम मामले लम्बित हैं। आज इनको इन्साफ नहीं मिल पा रहा है और पूरे देश में जो जल, जंगल, जमीन, जिस पर ट्राइबल का कब्जा कहा जाता था, जहां पर ये बसते थे, रहते थे, आज उन्हें वहां से उजाड़ करके उन्हें दूर भगाया जा रहा है। सभापति महोदय, आप तो खास करके ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं, जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल लोग रहते हैं और इसके लिए भारत सरकार ने कई बार कानून बनाये, खास करके जमीन पर उनको हक दिलाने के लिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री की घोषणा करने के बाद भी जो जमीन पर उनको वाजिब हक मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिल पाया है। उसके पीछे कहीं न कहीं जो सरकारी मशीनरी है, इनकी मिलीभगत है। जिस प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या केरल हो, झारखण्ड हो या मध्य प्रदेश हो, जब उनको अधिकार-पत्र देने की बात आयी तो कहीं न कहीं जो वहां अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो, चूंकि वहां उन बेचारे लोगों में कम पढ़े-लिखे होने के नाते समझदारी की कमी है, जो अपने मौलिक अधिकार को नहीं समझ पाते, उन्हें उलझाये रखने के लिए जो उनका अधिकार है, उससे वंचित कर दिया जाता है। उस अधिकार-पत्र को पाने का जो अधिकार है, उसे निरस्त कर दिया जाता है।

महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आदिवासियों की संख्या थी, वहां पूरी तरीके से हमारी सरकार ने उस समय जो आदिवासी हैं, उनको अधिकार-पत्र देने का काम किया था। देश के जो तमाम प्रदेश हैं, वहां इसके लिए माननीय मंत्री जी जो आपका मंत्रालय है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। उस प्रदेश सरकार से उनको अधिकार-पत्र न मिल पाने का कारण पूछा जाना चाहिए और ट्राइबल के नाम पर जो सुविधा आप उनके विकास और बेहतरी के लिए देते हैं तो कहीं न कहीं आपको उस पर कड़ा कदम उठाना होगा। आप भारत सरकार की योजनायें चलाते हैं,

प्रदेश सरकारों को उनके विकास के लिए देते हैं, लेकिन जो जमीन है, आज उनको जमीन से पूरी तरीके से वंचित किए जाने की साजिश हो रही है। आज जो ट्राइबल है, जो उनमें सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी है, जो इसका मुख्य कारण है, जो उनके मन में गुस्सा है, जो विद्रोह है, इसका एक ही कारण है कि जो उनको उनका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में हक हासिल होना चाहिए, आज वे उससे वंचित हैं। ...(व्यवधान)

सभापति जी, आज जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें जो उनका कोटा है, वह भी पूरा नहीं हो पाया है। जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आयी, अगर हम चाहते हैं, सदन पूरे तरीके से गंभीर है, तो ऐसे समाज के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, कम से कम राज्य सभा से जो एस.सी., एस.टी. के लिए प्रमोशन में आरक्षण का जो संविधान संशोधन यहां लंबित है, उसको अगर यहां हम पारित कर दें, तो मैं समझता हूं कि एस.सी. और एस.टी. के लिए, खासकर जिसकी चर्चा हो रही है, उनके हित में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहता हूं और जो जातियां शामिल करने की बात है, मैं पूरी तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012 brought forward by the dynamic Minister, Shri V. Kishore Chandra Deo.

Sir, we may not realise that this Bill has a very important constituent. What does the Bill say? It seeks to include in Kerala a new entry, that is Marati of the Hosdurg and Kasargod Talukas of Kasargod District and in Chhattisgarh a new entry Abujh Maria and a new entry Hill Korwa. I would request you to notice the historic significance of including Abujh Maria in this.

Abhuj Mari is a 60,000 kilometre area in the Bastar area of Chhattisgarh. Now you would be surprised that survey in India started in the 19th century. But till today, no complete survey has been carried out in this Abhuj Mari area and Abhuj Mari is the headquarters of the Maoists.

Now this has to be understood that the NDA Government created three new States, namely, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand. Two of these new small States have become headquarters of the Maoists. One has to understand the significance of this that nobody has looked after the interest of real tribals. The tribals who inhabit Abhuj Mari, they are not even included in the Scheduled Tribe areas. Both Jharkhand and Chhattisgarh are rich in minerals.

Now this is the point which I just want to say briefly because the Bill should be supported wholly. Please realise this. These Maoists are led by Telugu people, disciples of Kondaiah Seetharamaiah who have all come from Telangana area. They set up their base in Dandakaranya and they slowly spread to create a red corridor from Chhattisgarh in Madhya Pradesh into Jharkhand and into West Bengal. They want to take the red corridor to Nepal and beyond Nepal. Now my view about Maoists is quite clear. I am a democrat and Maoists believe in overthrowing the State by force of arms. The State must take every step to finish the Maoists. I have no doubt because anybody who takes up arms to take away

my democratic right should be met by the State. Having said that, let me also say that Maoists are active in several States.. Senior former Member of this House, late Vidhya Charan Shukla, whom I knew very well, was killed by the Maoists along with other leaders of Chhattisgarh Congress.

Now why have Maoists succeeded in Chhattisgarh and not succeeded in West Bengal. Two years back, West Bengal has three districts called Jangalmahal… (*Interruptions*). Madhu Goud Yaskhibhai, they are from regional engineering college, Warrangal and from that Hyderabad-Telangana region.

In West Bengal, the Maoists were very active up to 2011. The then State Government and the CPI(M) took help of joint forces and they also set up their own *harmads*, *i.e.*, armed people to counter them but they could not. Every day, there were murders and attacks on police camps. After our Government came to power, in two years, we are able to give rice at Rs.2 per kilogram to the tribals. All the tribal families are considered BPL. Around 10,000 tribal boys and girls have been included in police and development has started. What is the result? We are able to isolate the Maoists from the tribals. When Kisenji, second-in-command after Ganapathi in the Maoists hierarchy was killed by the police, not even a dog cried in West Bengal. In the Panchayat elections, Trinamool Congress swept the elections in these areas..

Now understand what is happening in Chhattisgarh. All these areas inhabited by tribals in Dandakaranya are rich in minerals. In the surrounding Odisha – Malkangiri and Koraput -- who wants to do mining there? In Nyamgiri Vedanta owned by Anil Agarwal wants to own bauxite mines there.

<u>17.00hrs</u>

Essar owned by the Ruias want land in Chhattisgarh for setting up of a steel plant. What does it cause? This causes displacement of the tribals and this is where the Maoists are helping the tribals assuring them that if they came with them, then they will not be displaced; otherwise these big industrialists will take over their lands. There is the Fifth Schedule in the Constitution which says that nobody can

own land in Tribal areas. Now, how can Vedanta or Essar or any industrial group go and buy land there? We should not allow that in the name of industrialisation, mining with a view to increasing our GDP. Tribal land should stay with the tribals. Now, the Supreme Court has given an order saying that the resources lying underground in tribal land also belongs to the tribals. So, the only way is to find a way in which the tribals can have a share in the mining that takes place on their lands, otherwise the Government should not allow any factory, any mining in the tribal areas. We must isolate these tribals, from the Maoists, who have been deprived for a long time and create peace which the Operation Green Hunt could not bring about. If we displace the tribals at the instigation of these big capitalists, then the Maoists will get stronger and one day they will surround Delhi. Let us not go to that extent. The hon. Minister has taken the right line by slowly trying to bring in the tribals into the mainstream and I have all support for his endeavour.

Sir, with these words I support the Bill.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I am happy to participate in the Bill No. 139 of the 2013 – the Constitution Special Order Second Amendment Bill, 2002.

Sir, I would also like to congratulate the hon. Minister Shri Kishore Chandra Deo Ji for bringing this Bill which the Government had failed earlier. Many times it was listed but could not be finally passed. I have been trying to raise this issue since 2009 onwards. There have been four Ministers who had been in charge of this Ministry and finally the present Minister has taken the pains and also the initiative to bring this Bill.

Sir, there are two issues with regard to this Bill – one is with regard to the State of Kerala and the other is with regard to Chhattisgarh . The Marati community of the Hosdurg and Kasargod taluks of Kasargod district had been enjoying the status of the Scheduled Tribes for a very long time. From the year 1952 they have been enjoying this status. Without any proper analysis and assessment they were deprived and denied of this status by an amendment by the Government in the year 2002.

Sir, I have gone through the proceedings of the House of the day on which this amendment was brought in. I found that Shri T.Govindan who had then represented the Kasargod Parliamentary Constituency had opposed that move of the Government. Since 1952 Hosdurg and Kasargod had been a part of the Karnataka State. The people of this community in the State of Karnataka are still enjoying this benefit and status. So, this was a wrong decision taken by the Government at that time. The issue was raised many times but since it was excluded once, it was not possible to include it once again, but at the same time these poor people had been suffering since 2002 till this date. So, for about 13 years, the students belonging to this community had been rejected scholarships, house loans and also other benefits. Who is responsible for this? So, here when we speak about the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, we

should keep in mind that for historical reasons they need protection and so the Constitution has made provisions to accord them certain privileges and also facilities. But the main issue is whether even after 67 years of our Independence we have been able to implement the provisions of the Constitution that guarantees them this protection and privilege in true spirit.

In the discussion on the other Bill relating to the Scheduled Castes, the hon. Minister had admitted that the Government was still unaware of the names of many of the communities who need to be included in the list of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. This is not the case after one year of our Independence but this is the scenario after 67 years of our Independence. Even after many years of our Independence we have failed to identify the communities who have to be categorized and included in the list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Justice delayed is justice denied. Here, it is the case of justice delayed because it was rejected in 2002. What was the reason for the rejection? Can any authority or any Minister or any Government compensate the loss suffered by the students, farmers and others?

I would like to speak on the Bill itself. As far as the tribes are concerned, there are some norms, what are the characteristics of the tribe, the geographical isolation, educational backwardness, social backwardness, financial backwardness, and also primitive nature of the tribe that is there, which should be taken into consideration. It is not true to say that we are unable to characterise any community as Scheduled Caste or Scheduled Tribe. It is not the name alone but also their living conditions, their backwardness, their educational status which are important. In many cases, the names may vary. But in some States they are in Scheduled Caste list, in some other State they are in Scheduled Tribes list. But at the same time it is not possible to characterise whether they are in Scheduled Caste or Scheduled Tribe . That is true in the case of Odisha; West Bengal; that is true in the case of Kerala and in many other States.

So, I demand that the process should be streamlined with regard to the assessment of Scheduled Caste or Scheduled Tribe, or other communities. It is possible for the Government to do that. It is true that the State Government has to take the decision. With regard to the process, I know it is a Herculean task. I know it well because I have taken up this task from 2004 onwards. The State Government has to take the decision. Then, the SC/ST Commission, the Registrar General of India, and the Standing Committee come into the picture. Even if one of them raises a query, then it has to go to the State again. I had gone to Karnataka to get the historical background of the Marati. Earlier, the Government said that it was not possible to give the details. We wanted to give more details as to why they were excluded. It was not possible for the State Government to give the details. As I was in Kasargod, which is near Karnataka, I went to Karnataka and Mangalore and met many professors, who have done Ph.D in this subject. We have given those Reports to the Central Government.

I really congratulate the Minister because he has gone through all these files. I would like to inform the Government that there are still a large number of communities whose cases have to be decided. I do not know whether they are rejected or not rejected. But the Government has to take some steps. How can we say that we are unable to find out the reasons? No Minister can say so.

Even though it is too late – nine years have passed – you have taken steps to include them. So, I would like to congratulate the Minister with regard to this amendment that you have brought forward.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to ventilate my views on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012. The objective of this present Bill is to include a few synonyms of Kerala and Chhattisgarh in the list of Presidential Order. I, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, whole-heartedly support the Bill.

On this occasion I would like to draw the attention of the House to a pertinent issue which is affecting tribals' solidarity. It is a matter of great regret that even after 66 years of Independence we have not finished the identification of different 'sub-caste' groups or synonyms of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. So, even today they are not getting the reservation facility which is available in the Constitution. These tribes, particularly the primitive tribes, are deprived of their constitutional rights. On the other hand, due to external persuasion and influence of the fundamentalist forces, the religious and cultural practices are being polluted very systematically. The tribals of India have a distinct identification. The tribals are not Hindus. They are not Christians or Muslims. They are Animists. But, at the time of the census operation, in the entry column of "religion", the word "Animist" is not reflected. The tribals are innocent. So, taking advantage of this, some groups are influencing them, persuading them for conversion to other religions. Actually, this is not simply conversion. Rather this is socio-religious and cultural genocide. So, the Union Government should devise ways and methods to safeguard our tribal brothers and sisters from this cultural genocide.

In Odisha, there is a sizeable section of population within the tribals – Saar, Sar. They are landless people. They are poor people. Educationally, they are extremely backward. Socially and culturally, they are identified as tribes but they are not in the list. The Odisha Government recommended the names of Saar, Sar to be included in the list of tribes even half a decade ago but the Central Government, the Social Justice Ministry, the Registrar General of India, all are

silent on this issue. The Saar, Sar people are running from pillar to post since the last ten years. They are organising huge rallies in front of the State Assembly during every Session every year. The State Government of Odisha already resolved many times to accord them tribal status. So, it is for the Union Government to take appropriate action. Therefore, on behalf of my Party, the BJD and the tribal people of Odisha, I demand the inclusion of Saar, Sar community in the list of Scheduled Caste of Odisha.

There is another community called Mankidia which is also known as Mankirdia in the list. They are deprived of their constitutional rights. They are nomadic, moving from one place to another. They have no shelter to live in, Even today, they do not know how to cook. They do not know the utility of education. They do not avail of the health facilities from Government hospitals. So, mere inclusion in the list does not bear fruit. Hence, the Government should devise ways and means for the socio-economic development of a particular case.

Sir, with these words, I conclude. I support the Bill.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, I rise to support this Bill. I would like to thank you very much for giving me an opportunity to speak on this important Amendment Bill.

Sir, the tribal people should know what is the Forest Dwelling Rights Act. Our hon. Chairman of the UPA has caused to bring forward this Act in the last Session of Parliament in which their rights have been guaranteed; they can live in the forest area. By giving the IAY houses, the forest officers are bringing the tribal people to the plains from the hills. They are living in the centre of the hills. These tribals have been living there for a long time. But the officers are now bringing them to the plains uttering sweet words. It should be curtailed. They should be given ration cards. To get a ration card, they have to run from pillar to post. No Village Administrative Officer, no Revenue Inspector and no Tahsildar give them respect. To get the Scheduled Tribe Certificate, they have to go to the Collector. When they cannot reach the Tahsildar, how come they go and reach the Collector? It is very difficult. This practice should go. The district team should go to the forest area, call the tribals to the Village Panchayat meeting and give them the certificate.

In Tamil Nadu, the Narikoravas, Irulas, Malayans and the Malayala Gounders are hill tribes. These tribals are not included in the tribal list. So, I would request the hon. Minister who is doing a yeoman job to include the Malayan, Malayala Gounder of the Yelagiri and Javadhu hills, the Narikoravas in the list. The Narikoravas are wandering tribes. They do not stay in one place. Whenever they approach the Tahsildar, they are demanding the ration card, electricity bill for proof. पहाड़ों के नीचे वे लोग रहते हैं। पेड़ों के नीचे उनका लाईफ गुजरता है। These people are demanding the ration cards and electricity bill. वे कहां से इलेक्ट्रीसिटी बिल दिखाएंगे। The Narikoravas, Irulas, Malayan or Malayala Gounder, by whatever name they are called, they are all hill tribes. If they ask, they should immediately be provided with ration card, electricity, IAY houses, etc. Forest officers are behaving like *Rajas* and *Maharajas.*

These people are allowed to grow farm products; when they grow, officers go and chase them away; and officers take away what they had grown. These forest dwellers may be having one acre or two acres; and they toil to grow in a span of five or six months, if everything is grown, these forest officers take away. That should be curtailed.

For procuring rations, they are presently coming from top hills to the lower hills. Every week, the Government of India should send a medical team and ensure that they are there for a day to provide medical treatment. In the same way, providing ration too should be considered. Temporary ration shops should go there, stay there for a day in a week, and provide them with ration. On the one hand, they are dying in hunger; on the other hand, forest officers are taking advantage of forest dwellers. They don't even care as to what Forest Dwelling Rights Act; they have every right to stay there. But their rights have been taken by the forest officials.

Article 25 gives every right to the State Government to bring legislations. Certain legislations are there but they are not useful. Hence, a new legislation should be brought to ensure that forest dwellers live happily; they should not live in fear. Their children are not going to school; they are illiterate. If the forest officials file a case against them; they don't have money to go to court; what would they do? They are living in a very pathetic condition.

My request to the hon. Minister for Tribal Affairs is this. I hope he would definitely look into it so that there is no fear in the psyche of the forest dwellers.

With these words, I support the Bill, and conclude.

*__SHRI M. ANANDAN (VILLUPURAM):__ Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill. This is a Bill to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh. I welcome the amendments and I support the Bill. In Tamil Nadu, there is a long pending demand from Badagas of Nilgiri District for inclusion in the list of Scheduled Tribes. In this regard, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma has written to the Union Government on several occasions. I urge that necessary action may be taken on this issue and the demand of Badagas of Nilgiri District of Tamil Nadu should be fulfilled. As per the advice of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma, a delegation of MPs of AIADMK had met the Union Minister concerned and urged him to fulfil the demand. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma had written a letter to the Hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh on 28.7.2011. In that letter Hon. Chief Minister of Tamil Nadu had demanded for inclusion of Badagas of Nilgiris District in the list of Scheduled Tribes. Also on 5 September 2003, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma wrote a letter to the then Union Minister of Tribal Affairs in this regard.

I quote: "Hon. Chief Minister of Tamil Nadu wrote a letter to the Union Minister of Tribal Affairs on 5.9.2003 with a detailed analysis of various attributes of Badaga community such as primitive tribes, a distinctive culture, shyness of contact with the public at large, geographical isolation and social and economic backwardness to declare them as Scheduled Tribes. In the census of 1931, the Badagas were classified as Tribes".

In the Censuses of 1817 and 1931 Badagas appeared in the list of Scheduled Tribes. But, thereafter they have been removed from the list due to some reasons.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

I request that immediate action may be taken to consider the request of Badaga community for inclusion in the list of Scheduled Tribes.

The people of Tamil Nadu belonging to the Scheduled Castes and Tribes, when they come to Delhi, they do not get any concessions meant for them. I request that they should be treated equally. India is one. People belong to different States of the country. People belonging to the Scheduled Castes and Tribes wherever they go, they should be accorded the concessions meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I urge that the Union Government should issue an Order in this regard. As far as Tamil Nadu is concerned, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma is a saviour who always protect the interests of the people belonging to Scheduled Castes and Tribes. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu puts forth demands in the interests of the people. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu also wrote a letter to Hon. Prime Minister for inclusion of Dalit Christians in the list of Scheduled Castes. This request should also be considered. I request that both the demands should be fulfilled by the Union government. I thank you for giving me this opportunity.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी एनसीपी की तरफ से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जब पहली बार इस लोक सभा में आया तो चेयर पर प्रोटेम स्पीकर के नाते गावित साहब विराजमान थे और उन्होंने सब सदस्यों को शपथ दिलाई थी। वह बहुत सीनियर मेम्बर हैं। वह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। हम 65 साल की आजादी के बाद भी देख रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदिवासी और दलित आज भी पीड़ित हैं।

महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, जिसमें मुम्बई शहर आता है। उसके बगल में ही ठाणे जिला है, जहां काफी संख्या में आदिवासी रहते हैं। वे लोग भी पीड़ित हैं। हम इस वर्ग के लिए कानून बनाते हैं, उन्हें अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम जिस वर्ग को भी ताकत देते हैं, चाहे आदिवासी हों या दलित हों, उसकी कोई मानिटरिंग नहीं होती है, जिससे यह पता चल सके कि उन्हें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।

आज के समय में मीडिया बहुत स्ट्राँग है। हम टीवी में देखते हैं कि आदिवासी इलाकों में वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा कहना यह है कि सिर्फ बिल पास करके कानून बना देने से ही सब कुछ नहीं होगा, उस पर मानिटरिंग भी जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद कानून का पालन हो और इन लोगों को राहत मिल सके। ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012. At the very outset, I congratulate and thank the hon. Minister for bringing this Bill. He is very sensitive to the problems faced by the tribal community as he knows the real problems of the tribal people. So, it is a pleasure to speak a few words on this Bill.

Sir, several hon. Members have already mentioned about the problems being faced by the tribal people. I am not going to touch upon the problems of the tribal people of Kerala though this is confined to the issues faced by the tribal people in Kerala and Chhattisgarh. But I would like to touch upon some points regarding Chhattisgarh as I have some attachment towards Chhattisgarh.

Sir, Chhattisgarh occupies eighth place among the States having maximum tribal population in the country. The population of Chhattisgarh is notable for the high proportion of Scheduled Tribes; of the total population of Chhattisgarh tribals constitute about 31.76 per cent. In India, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' combined population is 23.6 per cent, but in Chhattisgarh, combined together, it is 44.7 per cent.

Tribals are of the prominent categories of the backward classes and historically disadvantaged groups in India's society. They have since centuries remained outside the mainstream of national life due to low rate of literacy, acute state of poverty and whatever benefits are being provided by the States a very little goes to them. So, it is very scanty.

Sir, the Government of India in 1969 has identified 76 tribal groups as aboriginal tribals. So, in this regard, I am mentioning six points. First, as per 2001 Census – if it is more than 2,83,00,000 and like that – the total population of Scheduled Tribes is 66,00,000 which comes to 31.76 per cent of the population. This is Chhattisgarh. Second, according to the list of Scheduled Castes and

Scheduled Tribes released by the Government of India in 1950, revised in 1976, the total number of Scheduled tribes in the undivided Madhya Pradesh was 42 and among them maximum tribes, 31, live in Chhattisgarh. The number of primitive tribes in the divided Madhya Pradesh was six, even though six are also living in Chhattisgarh. Among them two tribes have been left out and now we have included them, that is, Hill Korwa and Abhujmaria. It is very good. As per the Indian Gazette Part II, dated 20th February 2003, this was the figure.

Sir, nine districts of the State, that is, Surguja, Koriya, Bastar, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Korba and Jashpur have been declared as the completely tribal areas and nine districts of the States as partially tribal areas.

Sir, although the distribution of the tribes in the State is uneven, more than 70 per cent are there in Dantewada district and 11.6 per cent are in Janjgir-Champa district. So, when we are talking about the Left Wing Extremists, they have basically made their den in these areas, particularly, in Bastar and Dantewada areas. These are tribal based areas and when we are talking about providing the benefits to the tribals, providing the food is not the only problem. They are getting food. Not only that the tribals of West Bengal in jungle areas are getting food at Rs.2 per kg. Even in Chhattisgarh, in the tribal areas they are also getting the food. I must thank this Government concerned. Their public distribution is better.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI PRABODH PANDA : But even then, serious poverty is there. What about roads? What about other inputs? What about drinking water? What about schools? Our hon. Minister might be aware about the Sirkegudem Massacre in the Bijapur District that happened. Even the people have no right to decide about some religious festivals … (*Interruptions*) Now the judicial probe has started.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA : So my point is that that point should be dealt with so that they can easily feel that this State is ours; this country is ours.

This is my last point but it is a very important one. In our Constitution, the 5th Schedule to the Constitution lays down certain provisions about the scheduled areas as well as the scheduled tribes in States other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and ensuring admission of annual reports by the Governors to the President of India regarding the administration of the scheduled areas or setting up of Tribal Advisory Councils.

What is the report of the Tribal Advisory Council with regard to Chhattisgarh, with regard to the Dantewada district, with regard to the Bastar area, with regard to the nine districts of Chhattisgarh? It is quite unknown. So, this is the problem. So, what is said about the 5th Schedule in the Constitution, it has not been properly applied and executed particularly in this area. So there is a genuine demand. If there is Sixth Schedule in other areas, other tribal areas in Assam or Tripura or in other areas, why that point cannot be considered in case of Chhattisgarh particularly the Bastar area and Dantewada area? We should deal with them politically. Only providing 2 kilograms of food to them will solve their problem. Yes, they are fighting for the State with arms and ammunition. But some political rights should be given to them. Empowerment of the tribals is a must. If we think over in this matter, the 6th Schedule for that area, then to some extent they will get the political power. So, we should ponder over that matter.

Another point is this. Please instruct the administration; don't think the tribal means the terrorist. Don't think the tribals means they are Maoists. Don't think tribals means they are Left Wing terrorists. Don't think them identical.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

SHRI PRABODH PANDA : My last but not least point is this. Most of the tribal people, particularly in the Bijapur area, the Dantewada area, their name is not listed in the voter list. No enumeration is going on; no enrolment is going on. If

you go through the figure, in 2011 election result, only 25 per cent people turned out to the polling stations.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

SHRI PRABODH PANDA : The polling station is 5-7 kilometres far away from their residences. If we do not increase the number of the polling stations, if we do not do enrolment of all the people, tribal people, how can you give political power to them? Only by administrative measures, only by providing some food etc., the problem cannot be solved. The problem would be solved to some extent if we provide some sort of political power, the Sixth Schedule, or properly implementing the crux, the essence of the Fifth Schedule. Without that it cannot be solved.

So, in this regard, I support this Bill. It is a welcome step but the situation is such that by not only supporting some tribes, some communities, the problem would be solved. With this, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री बहुत काबिल मंत्री हैं लेकिन इनका काम अभी तक पूर्ण काबिलियत वाला प्रदर्शित नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) बहुत होशियार आदमी हैं लेकिन जब काम ठीक देखेंगे तभी तो हम लोग होशियारी का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ये विधेयक लाए हैं, दो-तीन जातियों को आदिवासी में रखा जाए चाहे केरल में हो या छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन जो काम छूट गया, उसके विषय में मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में यह विभाग होम मिनिस्ट्री में था। आपका यह ट्राईबल वाला काम होम मिनिस्ट्री में था। होम मिनिस्ट्री से सोशल जस्टिस में आ गया। सोशल जस्टिस से ट्राईबल विभाग अलग हो गया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत कीजिए। व्यवधान नहीं डालिए। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम यह बता रहे हैं कि कठिनाइयां क्या हैं? श्रीमती गांधी जी ने, उस समय उन्हीं के निर्देश पर एक नोनिया जाति है, बिन्न जाति है, मलाह जाति है, निषाद है, केवट है, ग्योंट है, केवर्थ है, गौड़ है, इन सभी के संदर्भ में राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी की थी। वह चिट्ठी जो थी, वर्ष 1981 में ज्वाइंट सैक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लिखा-पढ़ी की थी। अब तो इनको वह कागज नहीं मिलेगा। वह कागज होम मिनिस्ट्री में है और राज्य सरकार ने रेस्पांड नहीं किया तो वे जातियां उसी तरह से रह गईं जबकि तमाम समाज, विज्ञान और जो एथनॉलोजी है, जो रांची वाला समाज अध्ययन संस्थान है, सबने लिखा-पढ़ी की है कि नोनिया जाति, जो नमक बनाने वाली जाति है और मिट्टी काटने वाली जाति है जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और महात्मा गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, उसमें अहम भूमिका नोनिया जाति की थी। अंग्रेजी सल्तनत से लड़ने में यह कौम काफी माहिर है। उत्तर प्रदेश में फांसी भी उनको हुई। इस तरह की यह बलिदानी कौम है और उसको कहां पर रखे हुए हैं? उस समय जब यह प्रयत्न हुआ, अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसलिए इस चीज को देखना चाहिए और वह कागज हमारे पास है। वह कॉपी इनके विभाग में तो नहीं होगी लेकिन तीन विभाग में बदला-बदली हुई। क्या सरकार के पास वो सब कागजात मिल सकेंगे? लेकिन उसमें नोनिया जाति का क्यों नहीं हो रहा? फिर यह मलाह जाति जिसके लिए ब्रिटिश राइटर ने जो उस समय की इथनॉलोजी लिखी है, उसमें कहा है कि ये सभी जातियां ट्राईबल हैं और इनको आदिवासी में आना चाहिए। मलाह जो निषाद वगैरह जातियां हैं। "मांगी नाव न केवट आना, कह ही तुहार मरमम्य जाना।" वह मलाह जाति का है। फिर लुहार जाति का है। अंग्रेजी में लोहार लिख देते हैं। झारखंड में लोहार है। लोहरा ट्राईबल में है। हमारा

बिहार, झारखंड, बंगाल एक था। अब उसमें बंट गया। झारखंड में लोहार ट्राईबल में है और बिहार में लोहार पिछड़ी जाति में है। लोग कहते हैं कि सौ चोट सुनार की और एक चोट लुहार की होती है। ऐसी कम्युनिटी लोहार है। लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनका जातीय महासंघ वगैरह सब है। सब लड़ रहे हैं। बराबर सम्मेलन कर रहे हैं। वे आंदोलन करते हैं। जंतर-मंतर पर आकर आंदोलन करते हैं लेकिन कौन सुनता है? वे लोग गरीब आदमी हैं। वे लोग वंचित शोषित लोग हैं।

इस देश में उनकी कौन सुनता है? लेकिन संविधान में धारा 342 और धारा 366 में प्रावधान हुआ कि उनको राष्ट्र की मूलधारा में रखने के लिए इन सब जातियों को रखा जाए। नोनिया, केवर्थ, मलाह, लोहार गोढ़ी और फिर बेलदार जातियां हैं। हमारे देश में भिन्न-भिन्न जातियां हैं कि काम के आधार पर जाति बन गई। जिन्होंने पान पैदा किया, तो वे बढ़ोई हो गये और जो लगाने लगे, वे तमोली हो गये। जिन्होंने तेल पैदा किया, वे तेली हो गये। लेकिन तेली जाति की क्या स्थिति है? कहा जाता है कि तेली जाति को सुबह में देख लिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। इस समाज में इतनी भ्रान्तियां और कुत्सित विचार पहले से हैं। इन सबको कैसे खत्म करना है? संविधान में प्रावधान किया गया कि इस सबको ठीक करना चाहिए। तेली जाति वाला आकर कह रहा है। अनुसूचित जाति से छुआछूत था तो संविधान ने और शिक्षा ने उसको मिटाया है, उसको कम किया है। लेकिन हमसे छुआछूत नहीं मिटा। अनुसूचित जाति के लोग भी यदि सुबह तेली को देख लें तो दिन खराब हो जाता है। इस तरह की मानसिक बीमारी हिन्दुस्तान के अंदर है, जातपात ले डूबू संसार, इससे देश का कितना भारी नुकसान हुआ है। वे कहते हैं कि पिछड़ी जाति में रखिए। वहां राज्य सरकार ने आयोग बनाया है, नितिश सरकार ने तय किया है क्योंकि तेली लोग झंझट कर रहे हैं कि हमें अति पिछड़ी जाति में रखो, अनुसूचित जाति में रखो। आयोग भी बना दिया।

महोदय, बेलदार, बिंड, केउट, केवट, केओट, केवर्त, गरेरिया, बाल, धानुक जातियां हैं। धानुक जाति का बहुत बड़ा काम है लेकिन ट्राइबल जाति के लिए संघर्ष हो रहा है, आंदोलन चल रहा है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि माननीय इंदिरा जी के समय में जो लिखापढ़ी सैंटर से प्रोएक्टिव होकर गरीबों के प्रति हुई थी, वह दृष्टि क्यों इस सरकार में खत्म हो गई है? आप उस तरह की सूची लेकर राज्य सरकार को हिदायत कीजिए ताकि राज्य सरकार इसके बारे में बताए।

अनुसूचित जाति आयोग के पुनिया जी चेयरमैन हैं, इसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग है, समाज अध्ययन संस्थान, ये विभाग मिलकर देखें क्योंकि वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग, जिसका कोई स्वर नहीं है, जिसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी कागजों की खोज करके राज्य सरकार को हिदायत दें और इसे कराएं। सब इन्हें काबिल का दर्जा दे रहे हैं तो मैं इसे और पुष्ट करूंगा। नहीं तो आया राम, गया राम हो जाएगा। गरीब आदमी चिल्ला रहा है, मर रहा है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है।

महोदय, मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन होना चाहिए।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह अमेंडमेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हैं, मैं पार्टी और अपनी तरफ से इसकी हिमायत करता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है, थोड़ी देर से उठा है लेकिन अच्छा कदम है। मैंने पहले भी दूसरे बिल पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा था कि इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। हम खुद ही जातियों में बंट चुके हैं, छुआछूत में बंट चुके हैं, नफरतों में बंट चुके हैं, ऊंच-नीच में बंट चुके हैं इसलिए शायद मुल्क में कमजोरियां रहती हैं। जब हम अपने मज़ाहिब, धर्म के पसेमंज़र में देख लें, बड़े-बड़े मज़ाहिब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म में सबकी फिलासिफी को देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान एक है और हम सभी लोग उसकी संतान हैं, हम सब एक हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि तेली का मुंह सुबह देख लें तो कहा जाता है कि खाना नहीं मिलेगा। यह छुआछूता वाला है, यह ऊंची जात वाला है, यह नीची जात वाला है, मुझे यकीन है और सब लोग मानेंगे कि जब तक यह नफरत रहेगी तब तक मुल्क बराबर तरक्की नहीं कर सकता है। जब दिलों की कुदूरतें रहेंगी, नफरत रहेगी, छुआछूत रहेगी, ऊंच-नीच रहेगा, मुल्क की तरक्की में अड़चनें पैदा होंगी, नफरतें बढ़ेंगी।

महोदय, जो लोग पसमांदह हैं, जिन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कॉस्ट कह रहे हैं, इन्हें साथ में चलाना है क्योंकि हम सब एक ही जिस्म के अंग हैं। अगर एक अंग दुखता है या कमजोर है तो सारा जिस्म दुखता रहेगा इसलिए इन्हें हर मैदान में आगे चलाना है। चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं इस सिलसिले में सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि आपने केरल और झारखंड के बारे में लिखा है। क्या यह ठीक नहीं होगा और यह वक्त की जरूरत भी है कि कमीशन सारे मुल्क में घूमकर देख ले कि कहां-कहां क्या है ताकि एक ही गोल में वसी और जामें बिल लाकर लोगों को शैड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जा सके ताकि वे उन फायदों से मुस्तफीद हो जाएं जो कांस्टीट्यूशन ने दिए हैं।

मैं कश्मीर की बात करूंगा। हमारे पहाड़ों पर हमारे गुज्जर लोग बेकसी की जिंदगी गुजार रहे थे। मामूली भेड़पालन और पशुपालन पर उनका गुजारा होता था। कुछ साल पहले सरकार ने उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया। आज शुक्र है खुदा का वह उसी हालात में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह उन्ही के साथ उसी जिंदगी में, उसी जगरादी हालत में, उसी समाजी हालत में, उन्हीं तकालिफ और दिक्कतों का सामना करते हुए उसी गांव में दस घर गुज्जरों के हैं और बीस घर उनके हैं, जो पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी और गुज्जर जुबां में मामूली फर्क है। लेकिन पहाड़ियों को आज तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने, गुलाम नबी आजाद की सरकार ने और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने

मुतवातिर सिफारिशें मरकज में भेजीं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब अटल जी प्रधान मंत्री थे तो वह करना गये थे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में उन लोगों को आश्वासन दिया था कि हम यह करेंगे। लेकिन एनडीए ने नहीं किया और यूपीए फर्स्ट और सैकिंड में भी नहीं हुआ। मेरी खुशकिस्मती है और शायद उन लोगों की खुशकिस्मती है कि इस वक्त सोनिया जी यहां बैठी हैं, जो यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मंत्री जी और सरकार इस बात का नोटिस ले लेगी और वहां के पहाड़ी बोलने वाले और पहाड़ी हालात में रहने वाले लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे देंगे, ताकि संविधान के तईन उन्हें भी अधिकार मिल सकें। इनको देखना है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से अदलिया में कितने लोग हैं, फौज में कितने लोग हैं, एक्जीक्यूटिव में कितने लोग हैं, कमीशंस में कितने हैं, यूनिवर्सिटीज में कितने हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, आपको हर जगह इस चीज पर ध्यान देना है और सरकार को तथा सारे लोगों को इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे काम करना है, क्योंकि यह मुल्क की मजबूती के लिए एक अहम् कदम होगा।

SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I would not speak for very long. I would just make a few points to the attention of the hon. Minister.

I would make a request to the hon. Minister. आजकल इन लोगों को शामिल करने की बहुत रिक्वैस्ट्स आती हैं कि इन लोगों को शामिल करने की जरूरत है तो उस क्राइटीरिया को किसी तरह से डायलूट न किया जाए।

Sir, if you study the list of Civil Servants, Class-I officers in Jharkhand, you will find that the number of officers from Jharkhand, who are on the Class-I posts in the Government of India, is very limited. If you start seeing across, I am quite sure, it may affect Odisha, Chhattisgarh and other States also.

So, the representation even in the All India Services from poorer tribal States is becoming lesser and lesser. It is a politically sensitive issue and also an important issue. Therefore, I would request the hon. Minister if the important tribal leaders, important social tribal activities can form a Commission to see whether there is a skewed development model for certain States, who are being neglected. If you look at the IAS and IPS Officers in my State, there are only two people right now in the Civil Services List in Police and I think, only one in the IAS from Jharkhand. If you look at the total number of people coming in from Orissa or Chhattisgarh or Jharkhand, it is very much limited.

The other important issue, on which I would like to make a request to the hon. Minister is this. Recently, the Supreme Court gave a judgment on the ownership of materials under the ground, which should be with the farmers. क्योंकि हमारी स्टेट में 65 लाख के आसपास आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं, despite protection under Chota Nagpur Tenancy Act and Schedule V. So, if the hon. Minister can confirm and implement that the ownership of coal and iron ore also belongs to the people, जिस किसान की ओनरशिप हो जायेगी that will be a great protection for the tribal people.

There is another problem, which many tribals of the bordering States are facing. जैसे बॉर्डरिंग स्टेट्स छत्तीसगढ़ में आप ट्राइबल स्टेटस देते हैं तो झारखंड में नहीं देते हैं और उस स्टेटस को एप्लाई करने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया में स्टेट लैवल से रजिस्ट्रार जनरल तक 10-15 साल तक का समय लग जाता है। उसी तरह से जैसे हाल में अरूणाचल प्रदेश की बात आई थी कि अरूणाचल प्रदेश में भी काफी ट्राइब्स हैं और झारखंड में भी काफी ट्राइब्स हैं और उनका दर्जा नगालैंड में आगामी ट्राइब के अंडर आता है। यदि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो, जैसे कि बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डर तो आर्टिफिशियल बॉर्डर है, वहां पर शादियां होती हैं। वहां जो-जो ट्राइब्स बॉर्डर में रहती हैं, अगर एक तरफ आपने शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दे दिया है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो जाए और आप उस पर निर्णय ले लें।

दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से एक कमिटमैन्ट हो जाए कि ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन आटोमैटिकली ट्राइबल लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक संख्या फिक्स की गई है, उसकी संख्या के ऊपर नहीं जाते तो ये लोग दौड़ते रहते हैं तो गवर्नमैन्ट की तरफ़ से एक कमिटमैन्ट हो जाए। Most important is यदि हमें शिड्युल कास्ट और शिड्युल ट्राइब्स की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करना है तो सरकार के ऊपर यह मैंडेटरी होना चाहिए कि हर साल शिड्युल कास्ट स्टेटस रिपोर्ट प्रेज़ेंट होनी चाहिए। खास तौर से access to electricity, water, school and health system and the Government should present this report every year. Then only, you see, नहीं तो we will keep only giving reservation. वास्तव में आदिवासी समाज के लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बालने का मौका दिया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपकी परमिशन से, शिड्युल ट्राइब्स के लिए यह जो बिल आया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने इसमें कुछ जातियां इंक्लूड की हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी बहुत मेहनती हैं और मैंने इनको देखा है, मैं इनके साथ एक कमेटी में था। He is a very good person. मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इसमें जो जातियां इंक्लूड की हैं, हम यह भी जानते हैं कि मेरे अपने इलाके में, अगर मेरे स्टेट जम्मू और कश्मीर की बात करें, तो हमारे कुछ लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे गुज्जर हैं, बक्करवाल हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं। गुज्जर वे हैं, जो भैंसें ले कर चलते हैं और बक्करवाल वे हैं जो भेड़-बकरियां पालते हैं। इसी तरीके से सिप्पी एक ट्राइब है। सिप्पी का ही एक हिस्सा है, जिसको कोली बोलते हैं। सिप्पी और कोली हमारे स्टेट में एक ही जाति है। फ़ारूख साहब बैठे हैं, he knows better. वे इस बात को मुझ से बेहतर जानते हैं। जब सिप्पी को दिया गया I am astonished. जब सिप्पी को दिया गया तो कोली को क्यों छोड़ा गया क्योंकि कोली उसी का ही एक हिस्सा था। उनकी शादियां, उनका रिश्ता, उनका सब कुछ एक जैसा था। फिर भी उस बेचारे को छोड़ दिया गया। जब यह शिड्युल ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा था तब हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को छोड़ा गया। जैसे कुछ इलाके हैं, जहां पहाड़ी स्पिकिंग लोग हैं। हमने कुछ इलाका सेंट्रलाइज़ किया है। लेकिन मैं उसको सेंट्रलाइज़ नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं उसको पुंछ, राजौरी, तरनाक और उरी के इलाके तक नहीं ले जाना चाहता हूँ। पहाड़ी स्पिकिंग का मतलब है कि जो किश्तवाड़, भद्रवाह, बसौली, बनी, बिलावर, रामनगर आदि इलाके हैं। कभी-भी कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी जनाब से विनती है।

मैं गुज्जरों की हालत बताना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि आज भी मेरा गुज्जर और बक्करवाल 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पैदल अपने जानवरों के साथ गर्मी से नीचे और सर्दी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको रास्ते में कितनी दिक्कतें आती हैं। उसको कभी पुलिस मारती है कि रास्ता रोक रखा है। कोई किसान उसको रास्ते में पकड़ता है कि तूने अपने जानवर मेरी जमीन में घुसा दिए। जब वह लास्ट कोने में पहुंचता है तो उसके सिर पर 50 किस्म के मोटे-मोटे रोड़े बने होते हैं। उस आदमी को इतना मारा जाता है। उसको ट्राइबल में तो शामिल किया। गुज्जर और बक्करवाल को महाराजा हरि सिंह के जमाने में, उस महीने में जब वे गर्मियों में ऊपर जाते थे, रात गुज्जरों, बक्करवालों और गद्दियों की होती थी। यह कानून था कि रात को उनको कोई ट्रैफिक नहीं रोकेगा। अब महाराजा साहब का जमाना चला गया, डैमोक्रेटिक सड़क बनी तो अब न उनके लिए दिन है और न रात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनकी दुर्दशा को ठीक कीजिए। मेरी जनाब से

विनती है कि अगर वे जाएं तो सरकार उसका इंतजाम करें। शिड्युल ट्राइब को आप बैनिफिट देते हैं। यह इंतजाम करें कि यहां से ट्रक दें। उनका माल और मवेशी उन ट्रकों में लोड कर के उस जगह छोड़ा जाए, जहां उसकी सड़क खत्म होती है। अगर वह कुचल गया, जनाब उसके छोटे-छोटे बच्चे सर्दियों में नंगे पांव और अभी-भी उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं हैं और वह पानी में, कीचड़ में खड़ा होता है। हमारे नेता फारूख साहब की तो वहां रिश्तेदारी है, इनकी तो उनमें ननिहाल है और ये उन सबके बारे में जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी हालत को सुधारना बहुत जरूरी है। सिप्पी और कोली जिन्हें छोड़ दिया गया है, मेरी जनाब से विनती है कि इन्हें रखा जाये। आपने मुझे कम समय दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सुन्दर लिबास में आये हैं, उन्हें आप ज्यादा समय देंगे। मैं अंत में एक बात का जवाब देना चाहता हूं, एक बात यह कही गयी कि हमारे कुछ आदिवासी लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, जब उन्हें इससे बेनिफिट नहीं मिला तो वे नक्सलाइट मूवमेंट में चले गये, वे माओवादी बन गये। हमारा भी कश्मीर का आदमी अगर इधर-उधर चला गया तो हमारे लोगों ने उसको मारा, अगर उसने हमारे देश के आदमी को मारने की कोशिश की तो उसको भी मारा। यह कोई बात नहीं है कि कोई जाति रूठकर मिलिटेन्ट बन जाये, उग्रवादी बन जाये, it is not possible. The country is the priority. कास्ट उसके आगे कुछ नहीं है। जो कास्ट देश के खिलाफ गन उठायेगी, फिर उस कास्ट को देखना पड़ेगा।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Respected Chairman, Sir, I am quite thankful to you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2012 brought by my esteemed colleague Shri V. Kishore Chandra Deo. I rise here to support the Bill and I heartily thank Shri Kishore Chandra Deo for having brought this laudable Bill.

इस विषय के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ बहुत संवेदनशील और बहुत ही गम्भीर मुद्दों को सदन के सामने रखना चाहता हूं और आपके जरिये मैं केन्द्रीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2003 में जब एनडीए की सरकार थी तब भारत सरकार, असम सरकार और उस समय की एक बोडो मिलिटेंट संस्था, जिसका नाम बोडो लिबरेशन टाइगर्स था, उनके साथ एक समझौता हुआ था। वह समझौता 10 फरवरी 2003 को हुआ था। उस समझौते के मुताबिक आज का बोडोलैंड टेरीटोरियल काउंसिल बन पाया। उस समझौते के क्लॉज नम्बर 8 में एक बात लिखी गयी थी कि Government of India will consider the urgent need of granting Scheduled Tribes status to the Boro-Kachari people living in Karbi-Anglong Autonomous Hills district and in the then North-Cachar Autonomous district, the present district of Dima Hasao.

In 1998 and in 2009 also, the State Government of Assam has recommended this very long pending issue to the Government of India. But, I am extremely sorry to apprise you of the fact that nothing tangible has been done so far in this regard. Today, nine years have already elapsed after the signing of that Second Bodo Accord. It is a matter of serious concern and great regret.

Through you, Sir, I would like to urge upon the Government of India, particularly the present Union Minister of Tribal Affairs, my friend, Shri V. Kishore Chandra Deo to take appropriate steps to help ensure the granting of ST status to the Boro-Kachari people living in these two particular hills districts of Assam. प्लेन एरिया में रहने वाले जितने भी बोडो-कछारी के लोग हैं,, we have given the tribal status to them. What about the Bodo people, the same people who have been living in these two hilly districts since times immemorial?

18.00hrs

In these two hill districts they have been deprived of the tribal status. This is very unfortunate. इसके साथ-साथ मैं एक सीरियस मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूँ। In 2002, the Government of India has revised the list of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes throughout the whole country. I think around one hundred numbers of new tribes have been incorporated in the list of the Scheduled Tribes. Unfortunately what happened to the reserved quota? Till today not a single additional percentage has been added to the existing 7.5 per cent meant for the tribal people.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठिये।

माननीय सदस्यो। अगर सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही का समय इस विधेयक एवं शून्यकाल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, हाँ।

MR. CHAIRMAN: The House has agreed for extension of time.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय,और 2002 में क्या हुआ? असम में पाँच नयी जातियों को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की लिस्ट में इनक्लूड किया गया, लेकिन उन लोगों के लिए जो रिज़र्वेशन में कोटा बढ़ाना था, वह आज तक नहीं बढ़ाया।

सभापति महोदय : आप ज़रा संक्षिप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : पहले 10 प्रतिशत था 9 ट्राइब्ज़ के लिए। Today the total number of STs stands at 14. अब 14 जातियों के लिए पहले का जो 10 प्रतिशत कोटा था, उसके कारण आज बहुत झंझट चल रहा है। तमाम हिन्दुस्तान में जितनी जातियों को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का बैनिफिट मिलना चाहिए, उनको अगर इनक्लूड किया जाए और उसके साथ-साथ शैड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए जो रिज़र्वेशन का कोटा है, उसको अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो देश की हालत क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी, यह बहुत गंभीर मामला है। इसके साथ-साथ मेरी मांग है कि the percentage meant for the tribal people should be increased from the present 7.5 per cent to at least 12 per cent because the population of tribal people also has increased the way the population of general people has increased. अगर जनरल लोगों की आबादी बढ़ गई है तो

ट्राइबल लोगों की आबादी भी बढ़ गई है। This 7.5 per cent was fixed based on the population census of 1971. By now 42 years have elapsed. इन 42 सालों के बीत जाने के बाद भी शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कोटे में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वह वृद्धि नहीं हुई है। इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए।

महोदय, कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मई 2013 में राज्य सभा ने Constitution (117th Amendment) Bill, 2012 पास किया लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस सदन में वह विधेयक पास नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपके ज़रिये भारत सरकार से दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस लंबित बिल को अतिशीघ्र पास करके हमारे ट्राइबल और शैड्यूल्ड कास्ट्स लोगों के हक को पूरा करने के लिए जल्दी काम करना चाहिए। यहाँ यूपीए की चेयरपरसन Madam Soniaji बैठी हुई हैं। सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से उनसे भी विनम्र विनती है कि इस पर ज़बर्दस्त कदम उठाने की ज़रूरत है।

महोदय, एक पॉइंट और है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 (1) के ज़रिये ट्राइबल इलाके को डैवलप करने के लिए जितनी धनराशि बजट में आबंटित की जाती है, वह बहुत कम है। That money should be enhanced to a great extent. So far as my observation is concerned, this year's total national plan budget allocation stands at about 7 lakh crores of rupees. If the population of Scheduled Tribes in India stands at 8 per cent, then the tribal people should have been given a minimum of Rs.57,000 crore. आपके मंत्रालय को करना था।

सभापति महोदय: पी.डी. राय जी आप बोलिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसलिए कम से कम 57 हजार करोड़ रुपये पिछले साल में आवंटन करना चाहिए था।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded.

सभापति महोदय : पी.डी. राय जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी, अपनी बात कह दी। अब उनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

(Interruptions) … *

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only the speech of Shri Prem Das Rai will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I rise to support this very important Bill which has been brought to this House. Listening to everybody, it is very clear that the House, with one voice, is supporting this Bill. This is important because it is an ongoing process. The door for other communities to be recognized as Scheduled Tribes is always open and I commend the Minister for bringing this Bill. This Bill is part of the inclusive agenda, I believe, of the UPA Government, and the social justice and affirmative action programme. In view of this, I would like to just place on record a few things for the information of this august House.

Sikkim, as we all know, became a part of India in 1975 through the 36th Constitutional Amendment. Till then, Sikkim was a tribal State and it was a State in which the people of Sikkim were considered as one and it has again been

* Not recorded.

recognized through an amendment to the Income Tax Act inserting Section 26AAA in 2008 when the Sikkimese people and the Sikkim Subject Register became the source on which the entire population was given income tax relief. Now, this is very important because under that kind of a scenario, all the people were not discriminated against; all the people were together and all the communities were together. This is a very important point because our hon. Chief Minister, Shri Pawan Chamlin, has written several letters to the Government of India and to Shrimati Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA stating that we have evidence through the Burman Commission Report, and the State Legislature has also passed in one voice a resolution, that the entire State should be considered a tribal State. Now, this is also important from another point of view that in view of the referendum of 1975, this is the only State which became the 26th State of India voluntarily under the then leadership of Shrimati Indira Gandhi. At that time, if the leaders of Sikkim had agreed or negotiated properly, then there would not have been this problem that today some communities are left out from the tribal status that is otherwise given.

I would like to inform this House that today, the process is a strenuous one and we have already made strides in respect of the process of how it can be done and that certain communities can also be considered as, by this particular House or by the Parliament, Scheduled Tribes.

So, with these words, I would like to say that it is important that the State, which is a very strategic State, be considered and all the requests made by the State Government and made by the people in one voice be considered in this House and taken into consideration in the future.

MR. CHAIRMAN: The last speaker is Shri Charles Dias.

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. In our country, in this complex situation of social strata, the Scheduled Tribes (ST) is a separate set. They are bound to follow a particular profession because of historic reasons, and are located in one place or the other. In this situation, they have become disabled because of so many disabilities and they are becoming backward. The Government, with due consideration, included one after the other, and now as my friends have pointed out here that a sizeable number of ST are included in this. But the process is very long, as my colleagues have pointed out, and there are so many communities that are facing disabilities. I request the Government that a study has to be conducted again.

The hon. Minister has pointed out that basically the States have to recommend a particular community to be included in the list of STs. Now, Marati community has been recommended from Kasargod and Hosdurg Districts of Kerala. They were facing disabilities, and basic amenities were denied to them. Similarly, there are two communities, namely, Abhuj Maria and Hill Korwa from Chhattisgarh. My friends have just now pointed out that this long process has to be curtailed and simplified. Otherwise, many are left out from the list of disabled communities. I request the Government to have a study on this, and these disabled people have to be brought into the list of communities. With these words, I support this Bill. .

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister to reply.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : Thank you, Mr. Chairman, Sir. First of all, I would like to thank all the hon. Members from all parts of the House who have participated in this discussion. It is heartening to hear 18 Members from different Parties from all sides of the House to give different ideas, and to mention that all of them have mentioned their views regarding the development of Tribals.

Sir, there are certain general questions, which have been raised by many Members who spoke earlier. So, firstly, I will deal with these general aspects before I go on to what each Member had asked with respect to their States and other communities.

Mr. Chairman, Sir, firstly, I would like to mention and I had mentioned this earlier also in the House that as far as the ST lists are concerned, every State has its own list. So, in our federal scheme of things, it is the State Governments who have to first send their recommendations and rightly so because sitting here in Delhi it is not possible for us to go into the details of what exactly is happening in the remote and interior areas in different States. In fact, it is a difficult task for the State Governments also. So, the first requirement is that the State Governments will have to send their recommendations to us after which, of course, we follow a policy. We examine it, and send it to the Registrar General of India and after he clears it, it goes to the National Commission of Scheduled Tribes, which exists now.

Then, ultimately, I take a call and bring it to this august House for approval by hon. Members.

Mr. Chairman, Sir, as many of my hon. friends have mentioned, it is a fact that there are many communities which are scheduled in one State and which are not scheduled in the neighbouring States. There are many communities which are in the Scheduled Tribes List in one State; in another State, they are in the Scheduled Castes List; in some other States, they are scheduled in the Backward Classes List; and, maybe, in none of these Lists in some States. This is a fact, but

unfortunately for me, this decision lies with the State Governments. There is no way by which I can force a State Government. If there is any representation, I can always send it to them; I can send it along with a Note with some sort of a justification. When hon. Members write to me, I have done it. But ultimately, it has to come from the States.

Then, Sir, if I want to do everything together on an All India basis, I will have to wait for all recommendations to come from different States, which is not practical. Then, it will be an endless wait and, probably, what we are able to do, at least, once in a few years will become impossible. In a situation where you cannot have a kind of one list for the entire country for which we have to wait for recommendations from all States which is impractical, hence the only solution is doing it in a piece-meal as and when you get a particular recommendation.

Sir, the hon. Member who initiated the debate, Shri Sohan Potai, and many others had raised this issue, and I am only repeating what I have said earlier in one of the discussions that we had in this House, that this is what the Constitution says and I am afraid it will not be possible for me to ensure that only community is scheduled in all the States or, at least, in some States which are neighbouring each other because that is not possible under the present scheme of things.

Then, another point that has been raised by the Member who has initiated this debate and by many others who spoke also; they spoke about large-scale displacement of tribals from the land that they have been occupying for years. Yes, this is a problem; it is a major problem; this is a problem which had brought in a lot of unrest – the problem which has led to the eviction of a large number of people from different parts of the country, who have become homeless, who have been deprived of their traditional sources of livelihood. It is with this in mind actually that during the regime of UPA-I, the Forest Rights Act was enacted.

Sir, as one of my friends who participated in the debate had mentioned earlier, there are large parts of lands which have remained un-surveyed till today. Prof. Saugata Roy said that in Abhujmad in Chhattisgarh about 60,000 square

kilometres of land still remains un-surveyed. This is the case with forest lands in many other States also. Therefore, the forest dwellers and tribals who are living in these forest areas actually had no proof of their residence in that particular region, even if they had been there for a few decades or, maybe, for centuries. They had no *pattas*; they had no electricity bills to show; telephones, of course, were something which are totally unknown; and they did not have cellphones in those areas as a result of which, once they were evicted or removed from these areas, there is nothing to show that they were part of it. One hon. Member referred to the Land Acquisition Act of 1894. But even to get compensation or rehabilitation under that Act, there was no proof that they had. There was no basis on which they could be rehabilitated or on which compensation could be given to them. That is why the Forest Rights Act is of immense importance or of paramount importance to Scheduled Tribes and to the forest dwellers who have been living in such areas. This was actually enacted to undo the historical injustice which these people had suffered, not for decades, but maybe for centuries. This was actually enacted in the year 2006 in this very House; on the 13th of December, 2006, it was passed. After that, the rules were framed and from the year 2008, the implementation began.

Mr. Chairman, you will appreciate the fact that both forest and land are State subjects. It devolved upon all the State Governments to implement this particular Act. This was in order to first establish their identity in these particular regions. In about three or four years time, a lot of obstacles came in certain areas probably which needed some clarity and about three or four years back, it was the National Advisory Council who had given some recommendations which were necessary to ensure that this Act was effectively implemented.

Mr. Chairman, I went through these recommendations personally. Based on those recommendations, based on representations which I had received from my colleagues from different parts of the country and based on my own experience about a year ago in the July, 2012, we sent fresh guidelines to the State

Governments and in the month of September, I even amended some rules and placed on the Table of this very House on the last day of Monsoon session of 2012.

We have actually been holding workshops. We have sent officials from my Ministry and they are holding Regional Conferences, basically to make the local people and the State Governments aware of the provisions of the Forest Rights Act. I myself have been communicating and have been in regular contact with the Chief Ministers of States with the concerned Ministers of Tribal Affairs, of the Forest Department to apprise them of the changes that have been made and to ensure that these laws are implemented effectively. There has been a response from States and I think that the amended rules and the new guidelines definitely have resulted in the larger number of claims that are being recognised. This Forest Rights Act actually gave two kinds of claims – individual claims and also claims to community rights and to community resources. There was a problem about community rights and community resources. I clarified that and after those clarifications have been sent because most of the rejections actually came from the applications which were made for community rights and for their resources. In fact with the new guidelines and rules, I have also clearly mentioned that where there was a *prima-facie* case, based on the new rules and guidelines that were sent to the State Governments that they should re-open cases which complied with new rules and guidelines and see that the pre-existing rights are recognised and regularized. So, that process is on and hopefully, if the new land acquisition law is passed, I am sure the Tribals will also get the benefit of this rather than falling back on the 1894 outmoded and antiquated law which we still follow. This is as far as rights of Tribals are concerned.

Sir, a large number of Members have mentioned about the threat of mining in these areas. Sir, the threat of mining in these areas also has been a cause of concern to us and also to the tribals especially who have been living in these areas. Sir, as far as these forest areas are concerned, they are mineral rich areas. We

require the minerals but at the same time as our UPA Government has stood for inclusive growth, this process should also be covered under law, the people who are living over-there, the most exploited sections of society, the most marginalized and the most deprived people who are actually living in these areas. So, there are two kinds of areas as far as this mineral rich and forest areas are concerned. One is the Schedule V areas where the people living in these areas enjoy constitutional protection and safeguards, others are the non-Scheduled V areas. In the Scheduled V areas, the people who do not belong to Scheduled Tribes listed in that particular state are prohibited from taking land on lease or buying land. This unfortunately has not been followed strictly by many State Governments. I am not naming this State or that State. I am not accusing any particular State for doing this in general. This has been flouted by signing a Memorandum of Understanding or giving lease to private corporate companies who have no *locus standi* in my opinion in these regions.

After all, a company or a society registered in the name of tribals controlled and owned by tribals are the only ones who can operate in these areas. Of course, some violations have taken place. Wherever they have been brought to my notice, I have written to the Chief Ministers. I have had responses from them. I have also written to the Governors of these scheduled States because the Constitution endows the Governors with some special powers. Some of our colleagues had mentioned about this in the earlier discussion that we had on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill. The Governors have some powers. There is the Tribal Advisory Council which is there. But irrespective of the Tribal Advisory Council, the Governors also have some powers which they can invoke in cases where peace or tranquillity and governance is disturbed due to reasons arising out of land or money-lending. I do not think there is anybody who says that mining has nothing to do with the land. So, whenever such cases arise and there is unrest and there is no good governance, it is in such

situations that the Constitution has envisaged these powers vis-à-vis Governors. But unfortunately I think, these are the areas where there is no governance at all. In such areas, I have been writing to Governors. I have been communicating to them, requesting them to invoke the powers to see that the constitutional guarantees which have been endowed upon the tribals by the founding fathers are not violated. Therefore, these are questions which have been raised by hon. colleagues of different parts of the House. I thought, I would deal with these problems first.

Many hon. Members have raised the question about the diversion of funds which are meant for the Tribal Sub-Plan. As far as the Tribal Sub-Plan is concerned, the Planning Commission of India decides what is to be given to each State depending upon the population and geographical area which is occupied by the Scheduled Tribe community. This fund actually goes from the Consolidated Fund of India directly to the Consolidated Funds of the State. This is an area where my Ministry has no role to play because this comes within the domain of the State Governments. Recently, the State Government of Andhra Pradesh enacted a law to ensure that this diversion does not take place as far as funds are concerned. In many cases, the funds meant for Tribal Sub-Plan areas are diverted by the respective State Governments irrespective of which party is governing. I am not accusing one party or the other. This is a trend which has to be stopped. I think, this trend has to be reversed and one must ensure that these funds are used for the purpose for which they are being earmarked either by the Planning Commission or the Government.

As far as the Ministry of Tribal Affairs is concerned, it is only critical areas or gaps which we are required to fill in for. So, funds under Article 275(1) come to my Ministry. There is a quota for every State. We release the funds based on the recommendations that come from the State Governments. All that I insist for is the utilization certificate and for certain guidelines or norms that have been set by us. These funds are given for educational purposes. They are given for

communication facilities. They are given for health purposes. This is, apart from the funds, that the line Ministries has to give to the TSP areas according to the directions of the Planning Commission which were issued actually in the year 1974. That is something which goes directly to the States from the line Ministries. As one of my colleagues, Dr. Raghuvansh Prasad Singh ji has said about it, there was no Tribal Affairs Ministry till about a decade ago. This was all a part of the Home Ministry. Then it came under the Ministry of Social Justice and Empowerment . This Ministry was formed at the turn of the century. So, it is about ten to 12 years old. From then, the funds that the line Ministries were supposed to send, whether the Agriculture Ministry or the HRD Ministry or the Health Ministry, they have been going directly from those line Ministries to the States. In fact, I have taken it up with these Ministries and I am trying to ensure and introduce some kind of a mechanism where the Tribal Affairs Ministry can have a say or can monitor or at least know where these funds are going.

That is because demands relating to tribal areas actually come to my Ministry. So, this is a process which I have initiated and I hope that very soon I will put in place a system by which funds from those line Ministries are also regulated and monitored. I am saying this because many of the hon. Members may not be aware of the fact that the annual budget allocation for my Ministry, for the Tribal Affairs Ministry, for the entire country is about Rs.4100 crore. Now the percentage that is allocated from the HRD Ministry for educational purposes in the TSP areas is Rs.5000 crore. So, only from one HRD Ministry, a line Ministry, more than Rs.1000 crore goes which is supposed to be spent for education in these areas. Likewise the Agriculture Ministry, the Health Ministry were required to spend. This was done during Late Mrs. Indira Gandhi’s time. There was no Tribal Affairs Ministry then. But till today that same system continues. I am trying to get that into some kind of a structure in a manner that it will actually go to the Tribal Sub Plan areas.

Hon. Members have several questions about their own States and certain other communities probably which they feel that deserve to be Scheduled. As I mentioned at the very outset, there is a particular process for this and I have to follow that process.

As far as Chattisgarh is concerned two communities were mentioned. One is about the Sohra and the other, Pathari community. Both these communities were actually not accepted by the Registrar General of India. Earlier on when the RGI rejected a particular proposal twice, the file was closed. But since several colleagues, hon. Members, State Governments have been writing to me, even if they have been rejected twice or thrice, when certain recommendations like this come and if I also feel that they are genuine, I have stopped that practice of closing those files and actually now I have been sending them back to the State Government asking them for clarifications, for justifications based on the grounds on which the RGI has rejected them.

As far as the Sohra and the Pathari are concerned, both have been sent to the Government of Chhattisgarh for their clarifications for the justification. As soon as we receive that justification I will again refer it to the RGI. That is because until it comes from there and goes to the NCST my hands are tied. Hon. Members will appreciate that.

Hon. Member Chauhan had referred not only to scheduling process but he had mentioned about some problems with teaching staff. These are matters of the State Government but if there are any problems and hon. Members bring it to my notice, I will surely take it up with the State Government and write to them asking them to correct those aberrations or problems if any. So, if there is any problem, please do write to me and I will get back to you.

Hon. Member Shailendra Kumar wanted to know about the Kohl community. As far as the Kohl community is concerned, they want to be made Scheduled Tribes, they are already in the list of Scheduled Castes. There are certain criteria that they have to satisfy to become a Scheduled Tribe. Kohl

community case had been sent to the RGI. RGI had rejected it. However, since this was raised earlier in this House by certain Members, I have sent it back to the Government of Uttar Pradesh and I have had no response from them. We have not heard anything about it so far. So, if and when that response comes giving fresh reasons as to why they should be included, I will certainly see that further action is taken.

Shri Dara Singh Chauhan had also mentioned about the rights of tribals. I have already mentioned about that. The hon. Member wanted me to take strong action against defaulting officers. These officers are of the State Government. They are the implementing authorities. So, if there is any problem being created by any officer, please let me know and I will write to the State Government. But it would be difficult for me to take action against a defaulting officer of the State Government. …(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो टाइम बाउंड कार्यक्रम था, अगर राज्य सरकार उसे लागू नहीं कर पा रही है तो मंत्रालय कौन सा कड़ा कदम उठा रहा है।...(व्यवधान)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Hon. Member will appreciate the fact that if I make it time-bound, the State Government which does not fulfill its responsibility within that time, after that, due to the fault of the bureaucrats of the State Government, the people who have not got, would be denied. So, I cannot close it in a time-frame. That is why, I kept it open. These are problems which have been there for decades and hundreds of years. … (*Interruptions*) It will take time. But I would only like to inform the hon. Members that the response from all the State Governments has been good; I have not got the negative response so far. They have been quite positive in their approach. I must take this august House into confidence; I am not casting aspersions on anybody. But the resistance has been coming from the Forest Departments of many States. I think, even the State Governments are having a lot of problems in getting over those pressures. But they are overcoming them.

Recently, the Cabinet has actually cleared a proposal to give minimum support price for minor forest produce – non-timber forest produce. I said, 'non-timber forest produce' because the Forest Rights Act recognizes bamboo, tendu leaves and betel leaves also as minor forest produce. So, I do not call it minor forest produce any more; it is non-timber forest produce. But this was in the domain of the State Governments. So, we had to put all the States on board; it took us time; we had series of negotiations with the officers from the State Governments; I spoke to the Chief Ministers; I spoke to the Ministers of the States; and finally, we have put on place a system where TRIFED, an organization which is within this Ministry, will be the coordinating authority with the agencies of the States. We will actually bear the loss, which the State Governments would be undergoing, if at all there is any such loss, so that the price fixation committee will decide on what prices the tribals will get. … (*Interruptions*) I am going in the order in which the hon. Members spoke.

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप अभी जो उत्तर दे रहे हैं, वह न देकर माननीय सदस्य ने आपसे जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए।...(व्यवधान)

श्री वी.किशोर चन्द्र देव : मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा। I will give replies to everyone; this is the subject in which all the hon. Members are interested in and participated. Prof. Saugata Roy has raised the question about the mineral rich resources in the Scheduled Tribe areas. The Member from Jharkhand also raised this and cited the Supreme Court judgment.

Mr. Chairman, Sir, I think, the Members may not be aware that the Supreme Court had, about a month ago, in a judgment stated that all mineral resources will belong to the person who owns the land. Earlier, it was presumed that everything under the soil belonged to the State. But it had clarified that and it had given the judgment. I am studying it; in the wake of that judgment, it will be a different kind of a situation as far as the tribals are concerned. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except that of the hon. Minister.

(Interruptions) … *

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO**:** Shri Mohan Jena had raised about certain communities from Odisha. As far as those communities are concerned, we have written to the Odisha Government. The Odisha Government has not yet sent back the replies. As far as we get back the replies, we will go forward with it. … (*Interruptions*) I know it is a genuine case; it has been rejected; it has been rejected many times; but yet, I have not closed the case. I have sent it to the State Government. It is up to the State Government to give the justification, based on the objections raised by the RGI. The moment it comes, I will again forward it.

As far as Tamil Nadu is concerned, I would like to inform my colleague-hon. Members from Tamil Nadu. that *narikuravar* has been cleared by the RGI and by the NCST. It is in the process; and as soon as it is ready, I will be bringing *narikuravar* to include in the List, before this House. As far as Badagas are concerned, they have been rejected more than twice.

Hon. Member from Kashmir had asked about Pahari community. Shri Lal Singh had asked about *Koli* and *Sippi* communities. All these three communities are pending with the State Government. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। लाल सिंह जी, आप भी बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO**:** From the records that have been given by my Ministry these three communities were recommended and rejected earlier. I have again sent it to the State Governments. The State Governments have not yet sent their justification.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except the hon. Minister's speech, will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Hon. Members, I would like to humbly submit to this august House that whoever gives an assurance, you cannot jump the procedures.

PROF. SAUGATA ROY : But the procedure should not take 20 years.

सभापति महोदय : शारिक जी, आप बैठ जाइये।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I cannot help if the State Government takes 25 years. I cannot force them.

Shri P.D. Rai had raised about some communities in Sikkim. There were 11 communities which were recommended. I think, in May 2012 we had referred it to the RGI. As soon as we will get a reply from them, we will proceed further with that issue… (*Interruptions*)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What about Bodoland?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Do not disturb.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: The issue of Bodoland is not in my domain. That is a different issue. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I have taken note of what other Members have suggested. I will look into those matters and will write back. With these words, Mr. Chairman, I commend this Bill for consideration.

---

[*] Not recorded.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Shri Nishikant Dubey, are you moving your amendment?

Clause 2 Amendment of Part VII and Part XX of Constitution(Scheduled Tribes)Order,1950

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जितनी बातें कहीं, मेरा केस उससे अलग है, यह मंत्री जी को पता है। 26 नवम्बर, 1948 को कांस्टीटूएंट असेम्बली ने तीन जातियों के लिए लिखा कि ये शैड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में हैं --खरवार, खेटौरी, घटवार और घटवाल। जब वर्ष 1950 में शैड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट लागू होने लगी, उस समय ये तीनों जातियों एक्सक्लूड हो गयीं। ...(व्यवधान) मैं बहुत शार्ट में कह रहा हूं। तीन जातियां थीं, जो 26 नवम्बर 1948 को कांस्टीटूएंट असेम्बली ने इस सभा में सैंट्रल हाल में पास किया और 26 नवम्बर, 1948 और 26 जनवरी 1950 के बीच में कोई कमेटी नहीं बनी। एक ईरानी की गलती से ये तीन जातियां एक्सक्लूड हो गयीं। उसमें से एक जाति खरवार आज शैड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में आ गयी। खेटौरी, घटवार और घटवाल, ये दो जो जातियां हैं, वे किस परिस्थिति में खत्म हुईं, मंत्री जी आपको पता है कि एक ईरानी की गलती के कारण 63 साल से वे लोग भुगत रहे हैं। इसके लिए आपने अटार्नी जनरल को लिखा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आरजीआई, स्टेट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन का रिकमेंडेशन लेने लगेंगे, तो और 50 साल लग जायेंगे। एनएससी चेयरमैन, मैडम सोनिया गांधी को मैंने पर्सनली लिखा है। उनके लोगों ने भी लिखा है। मैं आउट ऑफ दी वे गया हूं कि इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप उस अमेंडमैंट को इस सभा में ऐक्सैप्ट कीजिए, क्योंकि उसका केस अलग है। जो कांस्टीटूएंट असेम्बली ने 26 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा ने पास किया, वह 26 जनवरी, 1950 को लागू होने में छूट गया। वह ईरानी की गलती से छूटा है। आप उसे ऐक्सैप्ट कीजिए क्योंकि जो रघुवंश बाबू ने कहा कि इस होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, होम मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। आरजीआई जब शैड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय अलग हो गया, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अलग हो गया, तो आरजीआई का रिकमेंडेशन आप क्यों लेंगे या इस तरह का कमीशन लेंगे। मेरा यह कहना है कि आप मुझे समय बताइये कि कब यह अमेंडमैंट आयेगा तभी मैं अमेंडमैंट वापिस लूंगा क्योंकि मेरा हमेशा प्रश्न अलग है, इन चीजों से अलग है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब आप अमेंडमैंट मूव कर रहे हैं या वापिस ले रहे हैं।

श्री निशिकांत दुबे : मैं मूव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए,--

‘(iii) प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

“8क. भुइयां

8ख. भुइयां-घटवाल” ।

(iv) प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

“15क. घटवाल” ।

(v) प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

“17क. कादर” ।

(vi) प्रविष्टि 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

“22क. खेटौरी”।

(vii) प्रविष्टि 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--

“37क. पेरियार”।’। (3)

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.3, moved by Shri Nishikant Dubey to the vote of the House.

The amendment was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1 Short Title

Amendment made:

Page 1, lines 2 and 3, *for* "(Second Amendment) Act, 2012", s*ubstitute* "(Amendment) Act, 2013". (2)

(Shri Kishore Chandra Deo)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Sixty-third", *substitute* "Sixty-fourth". (1)

(Shri Kishore Chandra Deo)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI KISHORE CHANDRA DEO: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब शून्यकाल लिया जाता है।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आज जिस विषय को लेकर शून्यकाल में सुबह इस देश के विभिन्न भागों से आने वाले सांसदों ने चिन्ता व्यक्त की थी, मैं भी उसी विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। मेरी चिन्ता मेरे अपने प्रदेश, मध्य प्रदेश को लेकर है। जहां भीषण बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पिछले दिनों इतनी अधिक बारिश वहां पर हुई है कि बहुत बड़े क्षेत्र में किसान बोहनी भी नहीं कर पाये, उनके खेत पड़े रह गये। विशेष रूप से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर के बारे में बात उठाना चाहता हूं, जहां मात्र दो दिनों, 18 और 19 तारीख को 20 इंच से अधिक बारिश हो गयी और यह क्रम अभी तक जारी है। पिछले 40 वर्षों का रिकार्ड इस बारिश के कारण टूटा है। उस बारिश से एक ओर जहां शहरी क्षेत्र के घरों में पानी गया, घर-गृहस्थी के सामान का नुकसान हुआ, गरीबों के लिए कठिनाइयां खड़ी हुईं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि लगभग आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो प्रारंभिक आकलन है, 20 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान तो केवल फसलों का है। दो हजार से अधिक घर गिर चुके हैं। कई मवेशी पानी में बह गये हैं। इसके अलावा घर-गृहस्थी के सामान का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पर प्रारंभिक सर्वे और आकलन के निर्देश अधिकारियों को दे दिये हैं। राहत कैम्प लगाये गये हैं, वहां पर दो सौ से ज्यादा राहत कैम्प चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के स्तर से राहत का जो आकलन होगा, उसके बाद मुआवज़े की राशि भी देगी। लेकिन मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि केन्द्र सरकार भी अपने दायित्व का निर्वहन करे। ऐसे समय पर जो केन्द्र सरकार समय-समय पर करती है, एकमुश्त मुआवज़े की राशि मध्य प्रदेश को, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर भी है, तय करके राशि वहां पर दे। इस बारिश के कारण जिन गरीबों के कच्चे-पक्के मकान टूटे हैं, गिरने की स्थिति में आ गये हैं, बहुत से गिर चुके हैं, बहुत से गिरने वाले हैं, उनके लिए इंदिरा आवास से, जो अतिरिक्त रूप से पांच प्रतिशत इंदिरा आवास रखे जाते हैं, उनमें से एकमुश्त पर्याप्त संख्या में इंदिरा आवास मध्य प्रदेश को और मेरे संसदीय क्षेत्र को आवंटित करें ताकि गरीबों के सर पर हम छाया उपलब्ध करा सकें।

सभापति महोदय : श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री अशोक अर्गल अपने आप को श्री राकेश सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करते हैं।

SHRI BIREN SINGH ENGTI (AUTONOMOUS DISTT. ASSAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to raise a matter relating to my parliamentary constituency.

Over the last few days there have been agitations in my parliamentary constituency, Karbi Anglong, Assam over the issue of a separate State. The people of these two districts of Karbi Anglong and Dima Hasao have been agitating and are demanding a separate State for over 30 years in a democratic and peaceful manner. These two districts are remote and backward in Assam. People of these two districts want that for the socio-economic development of the area and also to protect the tribal culture as also the tribal language and to protect their identity they want a separate State. For the last so many years they have been demanding a separate State but the Central Government has not conceded to the demand for a separate State by these people.

Sir, under article 244 (a) there is a provision for creation of an autonomous State with the State of Assam. This can be done to fulfill the aspirations of the local people. Therefore, I would like to urge upon the Central Government to kindly concede to the demand of the people of these two districts of Karbi Anglong and Dima Hasao to fulfill their political aspirations by granting them statehood.

श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली): महोदय, हमारे देश में महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं को दुलहन के तौर पर, घरेलू नौकरानियों के तौर पर अथवा यौन कार्य हेतु बेचा जाता है, जो हमारे समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ, बच्चों को भी ऐसे कार्य में जबरन धकेला जा रहा है, जिसके बारे में हमें समय-समय पर मीडिया से पता चलता है।

महोदय, अधिकांश महिलाओं एवं लड़कियों के साथ उनकी गरीबी के कारण ऐसा होता है अथवा उनके साथ हुई प्राकृतिक आपदा में सर्वस्व तबाह हो जाने के कारण ऐसा होता है, जैसे हाल ही में उत्तराखण्ड में लोकप्रिय तीर्थस्थल में हुई तबाही के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए और उनका सब कुछ तबाह हो गया, उनकी आजीविका के साधन तक समाप्त हो गए। अधिकांश रूप

से युवा लड़कियों की तस्करी उनकी गरीबी के कारण ही होती है। दूसरे राज्यों में बूढ़े लोगों की शादी के बहाने हो या उनके द्वारा दहेज न मांगने के कारण हो, ऐसे में संभावना अधिक रहती है कि जो लोग गरीबी के कारण मजबूर हैं अथवा सब कुछ खो देने के बाद हताश हैं। ऐसी युवा लड़कियों एवं महिलाओं की तस्करी होने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वी एशिया के बाद भारत में मानव तस्करी का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यापार अधिकतर भूमिगत रूप से आयोजित किया जाता है, इस कारण सही आंकड़े मिलना कठिन हो जाता है। केवल भारत में ही हजारों की संख्या में नेपाल और बांग्लादेश से युवा लड़कियों की तस्करी, जबरन शादी के लिए भेजना, यौन कार्य में जबरन धकेलना, नौकरी के रूप में बंधुआ तरीके से काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युवा किशोरियों को या उन महिलाओं को विदेश जाने का लालच देकर उनकी कमजोर हालत की मजबूरी का अनैतिक लाभ उठाया जाता है। अधिक से अधिक वेतन का छल और झूठे वादों के माध्यम से उन्हें लुभाकर यौन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि मानव तस्करी को रोकने और इससे पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास का भी प्रबंध करे और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध व्यापार की रोकथाम करे।

महोदय, मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि इन तत्वों को जनता के सामने प्रकाश में लाया जाए और उनके कारनामे जनता के बीच प्रकाशित किए जाएं जिससे लोग इस विषय में जागरूक हो सकें और ऐसे तत्वों को समाज में पनपने का अवसर प्राप्त न हो सके।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदय, रेलवे में शुद्ध पेयजल किसी भी स्टेशन पर जनता एवं यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रेलवे की संसदीय समिति भी इस पर चिंता जता चुकी है। करीब 8245 रेलवे स्टेशन्स पर पीने लायक शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। पूरे देश के रेलवे स्टेशन्स पर मिनरल वाटर के नाम पर जो सीलबन्द पानी की बोतल यात्रियों द्वारा खरीदी जाती है, जरूरी नहीं है कि वह मिनरल वाटर ही हो, हो सकता है कि वह बोतल स्टेशन पर पटरियों की सफाई के लिए लगी पाइपलाइनों से भरी गयी हो। यह भी संभव है कि जो बोतल आप प्लेटफार्म पर रेलवे के अथॅराइज्ड वेन्डर से खरीदें, वह भी तय शुद्धता के मानक को पूरा न करती हो। रेल यात्रियों को साफ पेयजल उपलब्ध न होने के मामले में रेलवे की स्थायी संसदीय समिति भी चिंता जता चुकी है।

स्टेशंस और ट्रेंस में ऐसी पानी की बोतलें देखी भी थीं, जिन पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट नहीं थी। संसदीय समिति ने यह कहा था कि देश के प्रत्येक स्टेशन पर आरओ सिस्टम को लगाने जाने की जरूरत है, क्योंकि रेल नीर का उत्पादन इतना नहीं होता है कि हर स्टेशन और ट्रेन में इसकी बिक्री की जा सके। अतः इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और आम जनता की पीड.ा को समझते हुए सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करे, यही मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति जी, सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एनआरएचएम योजना के अंतर्गत पूरे देश में 8,70, हजार आशा वर्कर्स की नियुक्ति हुई। महोदय, ये वर्कर्स ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पता तक नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए 24 घंटे कार्य करती हैं। अगर किसी गांव में कोई महिला बीमार हो जाए तो ये रात को 12 बजे भी उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाती हैं। एक तरफ आठ घंटे की ड्यूटी करने वाले को 30,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं और दूसरी तरफ इन वर्कर्स को, जो 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं, इतनी तनख्वाह मिलती है कि वे मुश्किल से डेढ़ पाव प्याज ही खरीद सकती हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन आशा वर्कर्स, जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है और जन्म दर भी बढ़ी है, के हितों को देखते हुए सरकार अविलम्ब कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह वेतन देने की व्यवस्था कराए।

सभापति महोदय : श्री अजय कुमार, श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उठाए उक्त विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, कुछ सप्ताह पहले कांग्रेस पार्टी के साथियों ने बयान जारी किया कि देश में आज भी पांच रुपए में एक व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकता है। देश के विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनैतिक दलों के सदस्यों की प्रतिक्रिया इस पर आई। कई स्वतंत्र पत्रकारों और लेखकों ने इस पर लेख भी लिखे। अंत में उन लोगों को बयान को घुमा-फिराकर वापस लेना पड़ा। आज की कमरतोड़ महंगाई में पांच रुपए में भरपेट भोजन जैसी बात करना चौंकाने वाली और अविश्वसनीय लगती है। लेकिन यह बयान अगर सरकार गम्भीरता से लेती है तो यह वरदान भी साबित हो सकता है। एस.एस.एस.ओ. की हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में 23 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 17 रुपए खर्च करके लोग जीवन बसर करने को विवश हैं। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि इन 23 रुपए और 17 रुपए खर्च करके अपना जीवन बसर जो लोग कर रहे हैं, उनके

लिए पांच रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था सरकार कराए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार को अपनी खाद्य नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आज जो खाद्य वस्तुओं का उत्पादक है, उसे अधिक मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। इससे न तो किसान को और न ही उपभोक्ता को लाभ मिलता है, क्योंकि जब मूल्य अधिक मिलता है तो लागत भी उसी रेशो में बढ़ जाती है। आज देश का 80 प्रतिशत किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए नहीं, अपितु अपने उपयोग के लिए पैदा करता है। इसलिए ऐसी खाद्य नीति बनाएं, जिससे कृषि लाभकारी हो और सरकार को अचानक सूखे की परिस्थिति निर्माण होने पर भी खाद्य वस्तुओं की कमी न हो। इसलिए इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, जिसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो लोग 23 रुपए और 17 रुपए खर्च करके जीवन बसर कर रहे हैं, उनके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था की जा सके।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में सीतामढ़ी जिले में रीगा इलाका औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। रीगा एक महत्वपूर्ण शहर है, जो गन्ना उत्पादकों के लिए पूरे उत्तर बिहार में जाना जाता हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहां आते हैं। रीगा रेलवे स्टेशन स्वतंत्रता पूर्व समय का है, जिसका आज तक विकास नहीं हो पाया है। जबकि पड़ोसी देश नेपाल से सटा होने के कारण यह इलाका और रीगा रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमा के आर-पार जाने और आने के लिए इस रेलवे स्टेशन का बहुत महत्व है।

<u>19.00hrs</u>

किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर आज तक कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण प्रणाली की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहां के स्थानीय लोगों, विभिन्न शहरों एवं बाहर के प्रदेशों से आकर काम करने वाले कर्मियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी-नरकटियागंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है । सम्भवतः दो माह के अंदर यहां आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो जायेगा। तदुपरांत, आम लोगों की समस्या को देखते हुए यहां से गुजरने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का रीगा स्टेशन पर ठहराव नितांत आवश्यक होगा। यदि रीगा रेलवे स्टेशन पर कम्प्युटरीकृत टिकट आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने के साथ-साथ आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के बाद लम्बी दूरी तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाता है तो, इससे आम लोगों, व्यापारियों एवं यहां के उद्योग में कार्यरत कर्मियों को राहत मिलेगी तथा रेलवे को भी राजस्व का लाभ होगा।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के उपरोक्त रीगा रेलवे स्टेशन पर कम्प्युटरीकृत टिकट आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने के साथ-साथ सीतामढ़ी-नरकटियागंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत यहां से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए जिससे कि यहां से जुड़े आम लोगों एवं उद्योगों से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिल सके।

[*]**SHRI P. LINGAM (TENKASI):** Hon. Chairman Sir, thank you for this opportunity. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is an important scheme which is aimed to ensure 100 man-days of work per year to rural agricultural labourers and to remove property. This scheme was started to develop agriculture activities. This scheme is being implemented by all the States. This scheme is being implemented as per the Minimum Wages Acts of the respective State Governments. An amount of Rs.148/- is provided in Tamil Nadu. In other States their own Minimum Wages Acts are being followed. Unfortunately, in some States, the minimum wages as prescribed in their Acts are not provided. On the contrary, the wages of labourers are fixed on the basis of work done, through measurement mechanism. Sometimes the wages paid are even lower than Rs.40/-. I do not understand the reason. It is injustice to fix the wages through measurement mechanism. Some Officers too are working in such a way that hampers the implementation of the programme. It is felt that particularly during social audit, the Officers concerned are intimidated. I want to know whether social audit was included deliberately in the scheme to minimize the wages. I insist that the minimum wages should be ensured to the labourers. The purchasing power of poor people was taken into account in the past. But at time of the implementation of this Scheme, it is not taken into account. I urge that wages to the labourers must be fixed on daily wage basis. Also, minimum wages, as prescribed in the scheme, should be provided to the labourers. The wages, that were denied are indeed due to the labourers and they should be given to them

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

immediately. I urge upon the Union Government through this House that minimum wage, as prescribed in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, should be provided to the labourers on daily wage basis.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): सभापति जी, जब हम चुनाव में जाते हैं तो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का वचन देकर आते हैं। सड़क, बिजली और पानी को पूरा करने के लिए सरकार भी वचनबद्ध है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत द्वितीय फेज को पूरे देश सहित मेरे क्षेत्र बांदा-चित्रकूट को पूरा करने के लिए इसी सदन में माननीय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री शिंदे जी थे। मैंने नियम 377 के तहत मैंने एक मामले को उठाया था। उन्होंने लिखित उत्तर दिया था कि वर्ष 2014 तक द्वितीय फेज लेकर 300 से अधिक आबादी के जितनी बसावटें हैं उनका विद्युतीकरण कर दिया जाएगा।

महोदय, खेद का विषय है और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वर्ष 2010-11 में मेरे पास माननीय ऊर्जा मंत्री जी का लिखित जवाब आया था कि वर्ष 2014 तक पूरा कर देंगे। वर्ष 2014 आने वाला है और ढाई साल बीत चुके हैं, हमने माननीय मंत्री जी के वायदे के अनुसार मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से वायदे कर लिए हैं कि जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण हो जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी और सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर मैं इसी सदन में अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। मेरी आपसे मांग है कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 के चुनावों के पहले उस डीपीआर को स्वीकृत करें और बजट आबंटित करें। मेरे लोकसभा क्षेत्र में तीन सौ से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया जाए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to place before the Government some serious issues in Kerala. The Government of Kerala has requested the Central Government to allot 2.11 lakh MT food grains per month. Sir, the allotment was only 1.5 lakh MT. It means, Kerala is getting only 50 per cent of the total demand.

We are discussing the Food Security Act. There is an alarming report available now that there is a reduction of food grains to the BPL families to whom Kerala has been giving 25 kgs. to each BPL family but the same is reduced to 18 kgs. That means, there is a reduction of 7 kgs. This has to be compensated by

taking from the open market. The Chief Minister and the Ministers have come and met the Central Food Minister. The promise is that we are ready to give but it is from the open market and also to the APL families. So, it is alarming as it is not possible for any State to give. If it is from the open market, then, they can buy. Hence, I would request the Central Government to compensate the same by providing at target group price.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, देश के सभी प्रदेशों के युवा सिविल सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहते हैं और सभी प्रदेशों के युवाओं को सिविल सेवाओं में मौका मिलना भी चाहिए जिससे देश में एकजुटता व सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बना रहे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा 2013 की प्रारम्भिक परीक्षा में देश भर के 16 हजार से ज्यादा छात्र सफल हुए हैं जिनमें हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों की संख्या 100 भी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिविल सेवा परीक्षाओं के पैटर्न में परिवर्तन करके सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट यानी सीसेट लागू कर दिया गया है। इसमें सात मुख्य बिंदु हैं। प्रत्येक में से औसतन 20 सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ किस्म के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां बिंदू इंग्लिश लैंग्वेज काम्प्रिहेंसिव स्किल्स का है जिसमें 20 प्रश्न पूछने से 40 नंबर अंग्रेजी के होंगे जो हिन्दी भाषी राज्यों के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मजदूरों, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के साधन विहीन छात्र-छात्रा अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा में सफल होते थे उन्हें प्रारंभ में ही अंग्रेजी के कारण बाहर किया गया है। वर्ष 2008 की मुख्य परीक्षा में 11320 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिसमें से 5117 छात्र हिंदी माध्यम व 5822 अंग्रेजी माध्यम व शेष छात्र दूसरी भाषाओं के थे और इस वर्ष 2013 की प्री-परीक्षा में ही मात्र 100 से भी कम हिंदी भाषी छात्र पास हुए हैं जो मैन परीक्षा में मात्र 30 से 40 ही रह जाएंगे।

अतः भारत सरकार के कार्मिक व लोक शिकायत मंत्रालय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में सीटेट में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव स्किल को हटा कर पूर्व की भांति सिविल सेवा परीक्षा में भाषाओं को क्वालीफाईंग पेपर ही रखा जाए ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके और प्रशासन की भाषा संबंधी दक्षता का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके। भारतीय प्रशासन में सभी क्षेत्रों के लोग आए जो सभी क्षेत्रों के लिए काम करें।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री राजेन्द्र अग्रवाल को भी सम्बद्ध किया जाता है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise a very important matter of public importance. It relates to the tribal people and it relates to the Scheduled Areas.

Sir, Polavaram Project violates the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996 as it does not have the approval of Gram Sabhas of hundreds of villages that would be submerged in Odisha, in Chhattisgarh and also in Andhra Pradesh if the project comes up. Why is the Union Government being a mute spectator when this project is affecting the tribals of three States? The project will wipe out many primitive tribal groups besides destroying the habitat of lakhs of tribals and forest resources.

The environment clearance given for the Polavaram Project is not valid as there have been fundamental changes in the design of the project. Even though the project is yet to come up fully, recently about 160 villages to be affected by it, particularly in Motu Tehsil of Malkangiri District of Odisha, were submerged by incessant rain and floods, the situation can well be imagined once the project comes up. Besides affecting more than 600 villages, the project will submerge 436-year old Shri Ram Temple at Badranchal. This proposed dam is likely to cause mass destruction, particularly in Malkangiri District. It is high time the Union Government and its Ministers dissociate from promoting this Polavaram Project which violates a number of Union Government Acts and trample upon the rights of tribals and forest dwellers.

So, I urge upon the Government not to proceed to declare this Polavaram Project as a national project and desist from violating the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act and PESA Act.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): आपकी मेहरबानी से मुझे समय मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके यहां तो बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है। मेरी कांस्टीटुएंसी में रावी नदी, उज, तरनाह और छोटे-छोटे नालों ने बहुत बर्बादी की है। गांवों की जमीन बह गई है, फसल लगी हुई ढह गई है। काफी गांव अफेक्टिड हुए है। कई ऐसे घर हैं जो बारिश के कारण गिर गए हैं। धन्ना, धनोर, करोर और निहाल की जमीन चली गई है। इसी तरह से उज की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि माइचाकन, नंगल, पुंडोरियां, कोड़पुन्नु, कोड़पट्टियां, पंजाब का एरिया भी साथ था, सारा बह गया। इसी तरह से तरनाह का एरिया भी है।

महोदय, कई वर्षों से लगातार अच्छी जमीन बह रही है, फसल लगी जमीन है, पैडी लगी हुई है, मेरी सरकार से मांग है कि इस जमीन को इरोज़न से बचाया जाए और दोबारा जमीन को रिक्लेम किया जाए क्योंकि पहले ही जमीन की लैंड होल्डिंग बहुत कम है। इससे उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। मेरी मांग है कि जो अफेक्टिड लोगों में छोटे-छोटे किसान हैं, गुर्जर, बकरवाल, शैड्यूल्ड कास्ट आदि हैं। शेरपुर का गांव तो सारा ही बह गया है। मेरी विनती है कि कम्पेनसेशन दिया जाए, जमीन का मुआवजा दिया जाए, उनकी गुजर-बसर के लिए कुछ किया जाए।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, पूरे देश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है लेकिन झारखंड में भयंकर सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। झारखंड में हमारे क्षेत्र में 90 परसेंट किसान वर्षा पर निर्भर हैं और यहां की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक स्पेशल रिलीफ सीड्स पर दिया जाए ताकि बीज सब्सिडी पर मिल जाए। मनरेगा में एक्सपेंशन अर्थ वर्क बंद किया गया था, उस फंड को जल्दी रिलीज करें ताकि लोगों को काम करने का मौका मिल सके।

महोदय, माइनर इरीगेशन विभाग का हस्तक्षेप हो जाए ताकि पुराने तालाब जो भर गए हैं, उनका मेकेनाइज्ड जलोधार हो जाए तो मुझे लगता है कि सुखाड़ की स्थिति में जनता को बहुत फायदा होगा।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जब पद भार संभाला था उस समय संकेत दिया था कि देश में आम आदमी को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए। सरकार द्वारा सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की नीति की घोषणा भी की जाती रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में शीघ्र हाई कोर्ट बैंच स्थापित किए जाने का आश्वासन क्षेत्रीय जनता को दिया गया है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45,00,000 से ज्यादा वादों में से लगभग एक चौथाई वाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। इस समय वहां 1980 के वादों पर विचार चल रहा है जिनका निर्णय नहीं हुआ है। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि इन वादों को निपटाने में 100 साल से भी अधिक का समय लगेगा। पुरानी कहावत है - जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। वाद के निर्णय में इतना विलंब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। यही कारण है कि आम आदमी का न्याय व्यवस्था से विश्वास खत्म हो रहा है। इस तरह से यह सबसे सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की सरकारी नीति के भी विरुद्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। मैंने पहले भी अनेक बार इस मांग को सदन में तथा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादियों के वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने, खाने-पीने तथा ठहरने का इंतजाम करने में ही खेत तथा मकान बिक जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुए तत्काल मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना करने का कष्ट करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने आपको श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again on Monday, the 26th August, 2013 at 11 a.m.

19.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 26, 2013/Bhadrapada 2, 1935 (Saka).